हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

3 मार्च, 1993

खण्ड–1, अंक–7

अधिकृत विवरण

विशत सूची

बुधवार, 3 मार्च, 1993

पृश्ठ संख्या

तारांकित प्र न एवं उत्तर	(7)1
सदस्यों का नाम लेना	(7)6
वाक आउट	(7)10
तारांकित प्र न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)	(7)10

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्र नों के लिखित उत्तर	(7)21
अतारांकित प्र न एवं उत्तर	(7)23
वैयक्तिक स्पश्टीकरण –	(7)25
श्री बंसी लाल द्वारा	
कलैरिफिकेशन स्टेटमैंट –	(7)37
मुख्य मंत्री द्वारा	
ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –	(7)40
यमुनानगर के पेपर मिल, चीनी मिल, शराब के कारखाने इत्यादि का जहरीला पानी पश्चिमी यमुना नहर में जाने से रोकने सम्बन्धी	
वक्तव्य –	
वन मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी	(7)40
विभिन्न ध्यानाकर्शण सूचनाओं के बारे में माननीय अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित सदस्यों की सूचना देना	(7)44
नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्यों का निलम्बन	(7)46

सदन की मेज पर रखे गये कागज–पत्र	(7)55
सर्श 1993–94 के बजट पर सामान्य चर्चा	(7)56
सदस्यों का नाम लेना	(7)56
वर्श 1993–94 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)62
वैयक्तिक स्पश्टीकरण –	(7)62
वित्त मंत्री द्वारा	
वर्श 1993–94 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)	(7)66

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 3 मार्च, 1993

हरियाणा विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्ड़ीगढ़ में प्रातः 9.30 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी ईश्वर सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मैम्बर्ज, क्वैश्चंज आवर।

Selling of Fake Tickets

***418. Sh. Ram Bhajan Aggarwal**: Will the Minister of State for Transport be pleased to state whether the Govt. is aware of the fact that the fake tickets are being issued by the Conductors of Haryana Roadways; if so, whether any Conductor has been found guilty on this account togetherwith the action taken thereon?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री बलबीर पाल शाह): जी हां, वर्श 1989 के पश्चात् हरियाणा राज्य परिवहन में परिचालकों द्वारा यात्रियों को जाली टिकट देने के 5 केस पकड़े गये हैं। इनमें से दो परिचालकों की सेवायें भंग कर दी हैं। शेश तीन परिचालकों ने विभिन्न अदालतो से सेवायें भंग करने/विभागीय कार्यवाही करने के विरूद्ध स्थगन आदेश्श प्राप्त कर लिये हैं।

श्री राम भजन अग्रवाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि ये परिचालक किस किस डिपो में थे और उनके खिलाफ क्या कोई केस रजिस्टर किया गया है, यदि हां तो किस–किस धारा के अन्दर किया गया? इसके अलावा क्या भिवानी बस स्टैंड के सामने कुछ बोगस टिकटों के बडल भी मिले थे, अगर मिले थे तो उस कंडक्टर के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? अध्यक्ष महोदय, भिवानी डिपो करोड़ों रूपये के घाटे में चल रहा है, कहीं इसका कारण ये बोगस टिकटों की बिक्री ही तो नहीं है?

श्री बलबीर पाल शाह: अध्यक्ष महोदय, हरियाणा रोडवेज दादरी में फेक टिकटों का एक केस पकड़ा गया जो 324 रूपये का था। इसके अलावा 261 रूपये की टिकटें कंडक्टर के बौक्स में से मिली थीं जो जाली थीं। इस कंडक्टर को सस्पैंड कर दिया गया है लेकिन उसने कोर्ट से स्टे ले लिया है। स्टे वेकेट होने के बाद ही उसके खिलाफ फर्दर एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह से हरियाणा रोडवेज दिल्ली में भभी एक केस 2222 रूपये का पकड़ा गया जो एक फ्राड था। इसके लिए महावीर सिंह, कंडक्टर नम्बर 88 को पकड़ा गया है ओर उसके खिलाफ आई.एस.बी.टी. पुलिस स्टेशन दिल्ली में केस रजिस्टर करवा दिया गया है। इसके इलावा, 7.8.92 को टर्मीनेशन का नोटिस भी इशू कर दिया गया है लेकिन पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने इस आर्डर के अर्गेस्ट स्टे दे दिया है, इसलिए स्टे वेकेट होते ही इसके खिलाफ विभागीय कार्यवही

करेंगे। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से चण्डीगढ़ में 58377 रूपये की जाली टिकटें, काबूल सिंह कंडक्टर नम्बर 288 से पकड़ी गयीं। इसको भी सस्पैंड करके चार्जशीट इशू कर दी गयी है लेकिन इसने भी कोई से स्टे ले लिया है। जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं देता तब तक उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। इसी प्रकार हरियाणा रोडवेज डिपो भिवानी में, इन्द्रसिंह कंडक्टर नम्बर 217 से 266 रूपये की जाली टिकटें पकड़ी गयी, उसकी सर्विसिज भी टर्मिनेट कर दी गयी हैं। यह 5.10.92 को टर्मिनेट किया गया है। इसी तरह से मुख्तयार सिंह कंडक्टर नमबर 230 को 25.10.92 को टर्मिनेट किया गया है, इसके खिलाफ पुलिस में केस रजिस्टर किया गया है और विभागीय कार्यवाही जारी है। जहां तक जाली टिकटों का सवाल है, इसको हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं और आने वाले समय में हम सिक्योरिटी प्रिटिंग प्रैस से ही टिकटें प्रिंट करायेंगे, जैसे नोट छपते हैं। ऐसा करने से कोई भी व्यक्ति आसानी से जाली टिकटें नहीं छाप सकेगा। हम इस बात को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। यह वास्तव में चिंता का विशय है लेकिन जहां तक भिवानी डिपो का सवाल है, भिवानी में तो एक कल्चर ही बनी हुई है कि वहां पर लोग अकसर बसों की छतों पर बैठकर ट्रैवल करते हैं और टिकटें भी नहीं लेते। जब हमारा फ्लाईंग सक्वैड या हमारे इंसपैक्टर लोगों को पकड़ने के लिए जाते हैं, तो ये लोग बसों की छतों से कूद जाते हैं। हमें तो यही डर लगा रहता हूं कि कहीं ये व्यक्ति बसों के नीचे कुचले न जाएं। हमने पिछले दिनों उनके खिलाफ एक्सटैंसिव ड्राईव किया

तथा मिनी बसों के द्वारा और पुलिस की सहायता लेकर पकड़ा है। इसके अलावा, हमारे विभाग के आर.टी.ए. ओर डिपोर्टमैंटल अफसरों ने भी मिलकर लोगों को पकड़ा है। इस तरह से 25 पैस प्रति किलोमीटर रैवेन्यू रसीट बढ़ी है और फ्री ट्रैवलिंग भी कम हुई है। लोगों को भी अपना दायित्व समझना चाहिए लेकिन वे नहीं समझते।

श्री धीर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 5 कंडक्टर्ज में से इन्होंने 3 की सेवाएं समाप्त कर दी हैं और बाकी के 3 कंडक्टर्ज ने कोर्ट से स्थगत आंदेश लिया हुआ है। यह जो कांड हुए हैं, क्या इनमें केवल कंडक्टर्ज ही भागीदार हैं या कोई रैकेट या गिरोह है? इसके लिए आपके जो अधिकारी रिस्पांसिबल हैं, उनके खिलाफ इन्क्वायरी क्यों नहीं की गई? ये टिकटें कहां से और किस अधिकारी के आदेश से जारी हुई हैं?

श्री बलबीर पाल शाह: स्पीकर सर, यह केस पुलिस में रजिस्टर्ड है। विभागीय तौर पर इसकी जांच हो रही और पुलिस भी इसकी जांच कर रही है। अगर हमारे विभाग का कोई आफिसर दोशी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ हम अवश्य कार्यवाही करेंगे। जहां तक टिकटें जारी होने का सवाल है, विभाग से तो ये टिकटें जारी नहीं होतीं। जो जाली प्रिंटिंग कराई जाती है, इसकी पुलिस इंक्वायरी कर रही है। कबूल सिंह, कंडक्टर के खिलाफ जो केस है, यह 18.5.89 का है। श्री इंद्रसिंह का केस 28.4.90 का है। यह

दोनों आपके वक्त के हैं। तीसरा केस मुखतियार सिंह के खिलाफ है, यह 12.7.90 का है। हम इस मामले में बड़े सीरियस हैं। हमने ऐक्सटैंसिव ड्राइवर शुरू किया है। 58 हजार रूपये के जाली टिकटों का केस भी इनके समय का है। असल में बताना तो इनको चाहिए कि ये टिकटें कहां से इशू हुई हैं?

श्री पीर चन्द: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सत्य है कि रतिया के अन्दर जो बस–अड्डा बना रहे हैं, उसमें तार लगाई है जिसका खर्चा एक लाख, 29 हजार 242 रूपये दिया हैं। यह खर्चा नाजायज है (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: आप का सलीप्मैंटरी इस प्रश्न से रिलेटिड नहीं है, इसलिए this question is not to be replied.

श्री अमर सिंह: स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि दिनांक 28.4.90 एवं 12.7.90 को बोगस टिकटों समेत जो कंडक्टर्स पकड़े गए हैं, उस समय कौन परिवहन मंत्री थे और आज वे कहां बैठे हुए हैं? क्या यह भी हकीकत है कि 17 जनवरी, 1993 को मुख्यमंत्री जी स्वयं दि दैन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के यहां गए थे, ये कारनामे दि दैन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के ही हैं। क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही होगी?

श्री बलबीर पाल शाह: स्पीकर सर, उस समय कौन मंत्री थे, कौन मंत्री थे, इसका रिकार्ड तो मेरे पास नहीं है। इनके

मुख्यमंत्री और मंत्री तो रोज ही बदलते रहते थे। अब मैं किस का नाम ले दूं।

श्री मनी राम केहरवाला: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात मंत्री जी के नोटिस में लाना चाहूंगा कि इस महकमे की जो फलाईग स्कवैड बनी हुई है, जब वह सड़क पर निकलती है तो आम आदमी को कई बार काफी तकलीफ होती है। प्राइवेट जीप पर जो लोग चलते हैं, चाहे कोई बीमार हो या किसी ने गमी–खुशी में कहीं जाना हो, उनको भी चालान कर देते हैं, इससे महकमे की बड़ी बदनामी होती है।

Mr. Speaker: This question does not arise out of this question.

श्री हरि सिंह नलवा: स्पीकर साहब, आपके द्वारा मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जो कंडक्टर्ज जाली टिकटों में इन्वाल्वड हैं, ये भर्ती किसके द्वारा हुए थे? क्या ये सम्पत सिंह की सिफारिश पर भर्ती हुए थे या चौटाला की सिफारिश पर हुए थे?

Mr. Speaker: This question does not arise otu of this question.

प्रो. छतर सिंह चौहान: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया है कि बस की छत पर सफर करना भिवानी जिले के कल्चर है। भिवानी जिले की यह कल्चर नहीं है बल्कि आजकल राजनीतिक प्रतिशोध की भावना के कारण कार्यवाही की जा रही है। वहां पर कोई बस ही नहीं है। आज भिवानी से

हरिद्वार और भिवानीसे अजमेर तक जो बसें जाती हैं, आप उनकी रिटर्न देखें, कितनी हैं। दूसरी बात यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने यह टिकटें छपवायीं और जिन लोगों द्वारा प्रिंटिंग प्रैस से टिकटें छानी गयी, उनको पकड़ कर सरकार ने क्या एक ान लिया है? वे छलांग मारकर चौ. भजन लाल को गोद में चले गये, इसलिये उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मैं मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहता हूं कि वह प्रिंटिंग प्रैस वाले कौन से आदमी हैं जिन्होंने यह टिकटें छानी हैं और जिनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी हैं? मेरा कहना यह है कि राजनीतिक सरंक्षण प्राप्त होने के करण उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, यह बात सारा प्रदेश जानता है कि उस वक्त, जब चौ. देवी लाल का राज था, सारे काम ओम प्रकाश चौटाला के कहने पर होते थे, चाहे कंडक्टर्ज की भर्ती की बात हो चाहे और कोई बात हो। (व्यवधान व शोर)

श्री धीर पाल सिंह: स्पीकर साहब, यह सदन को गुमराह करने वाली बात कह रहे हैं। (व्यवधान व शोर)

चौ. भजन लाल: आप पहले मेरी बात सुन तो लो (व्यवधान) बात करने का यह कोई तरीका नहीं है। (व्यवधान)

(इस समय समाजवादी जनता पार्टी के बहुत से सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने लगे)

प्रो. सम्पत सिंह: आजकल तो चन्द्र मोहन और कुलदीप की सिफारिश पर हरियाणा में सारे काम होते हैं, ये क्या बात करते हैं? स्पीकर साहब, चौ. देवी लाल और चौटाला के बारे में जो बात कही गई है, आप इसको एक्सपंज करवाईए।

श्री भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इनका बोलने का यह क्या तरीका है?

श्री अध्यक्ष: मेरी इजाजत के वगैर जो कुछ बोला जा रहा है, वह रिकार्ड न किया जाए।

चौ. भजन लाल: * * * * (व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह: * * * * (व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह डांगी: * * * * (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अनपालिग्यामेंटरी लफ्ज दोनों तरफ से कहे जा रहे हैं, ये रिकार्ड न किए जाएं।

प्रो. सम्पत सिंह: * * * * (व्यवधान)

श्री आनन्द सिंह डांगी: * * * * (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सभी बैठ जाइए। (व्यवधान) श्री सम्पत सिंह जी, मैं खड़ा हूं, इसलिए आप बैठ जाइए। अगर आप इस तरह से परसिस्ट करेंगे तो मुझे मजबूर होकर आपको नेम करना पड़ेगा। (व्यवधान)

प्रो. सम्पत सिंह: * * * * (व्यवधान)

चौ. भजन लाल: * * * * (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दोनों तरफ की ये बातें रिकाड न की जाएं। (व्यवधान) मैं आप सभी को कह रहा हूं कि when Speaker is on his legs, all must sit. अगर आप मेरी बात की पालना नहीं करेंगे तो I shall have to name you.

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे * * * *

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नौ, आप सब पहले बैठिये। मैंने आपको बोलने की इजाजत नहीं दी है। Please take your seats. (Interruptions)

(At this stage the members of Janata Party did not resume their seats and continued speaking)

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, उस समय चौ. देवी लाल चीफ मिनिस्टर नहीं थे। चौ. भजन लाल झूठा आरोप लगा रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

चौ. भजन लाल: आप लोगों का क्या रोल है, यह सारी प्रैस देख रही है, सारा प्रदेश देख रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

सदस्यों का नाम लेना

श्री अध्यक्ष: अगर आप इस तरह से बिना इजाजत से खड़े होकर बोलते रहेंगे तो मुझे आप को नेम करना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान) मेरी इजाजत के बगैर जो बोला जा रहा है, वह रिकार्ड न किया जाए। (शोर एवं व्यवधान) सम्पत सिंह जी अगर आप अपनी सीट पर नहीं बैठेंगे तो मैं आपको नेम करूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

(At this stage Prof. Sampat Singh did not resume his seat).

Mr. Speaker: I name you. Prof. Sampat Singh Ji, please leave the House.

(The hon. Member did not leave the House and continued speaking).

Mr. Speaker: Marshal, please take him out of the House.

(At this stage the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch and Ward staff took his out of the House).

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra): Sir, my submission is this that there is a Rule in the Rules of Procedure and Conduct of Business of Haryana Vidhan Sabha that when a person is named twice in the session, he should be suspended from the House for the rest of the session.

श्री रमेश कुमार: प्रजातन्त्र की हत्या की जा रही है। चौ. देवी लाल के बारे में गलत आरोप लगाया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Ramesh Kumar Ji, your are speaking without my permission. Please take your seat, otherwise I shall have to name you.

Sh. Ramesh Kumar: Speaker, Sir .....

Mr. Speaker: I also name :Sh. Ramesh Kumar. He may please leave the House.

(The Hon'ble Member did not leave the house and continued speaking.)

Mr. Speaker: Marshal, please take him out of the House.

(At this stage, the Sergeant-at-arms with the aid of the Watch & Ward staff, took him out of the House).

श्री धीर पाल सिंह: स्पीकर साहब, ...(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नो, धीरपाल सिंह जी, बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

Ch. Jagdish Nehra: Sir, my submission to this House is that in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, it is clearly written that when a person is named twice in the session, he should be suspended from the service of the rest of the session.

श्री धीर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा कि क्या कोई मिनिस्टर क्वैश्चन आवर में इस तरह से उठकर बोल सकते हैं जिस तरह से नेहरा साहब बोल रहे हैं? (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धीरपाल सिंह जी, आप बगैर परमिशन के खड़े हुए हैं, आप बैठ जाइए (शोर)

श्री धीर पाल सिंह: नहीं जी। मैं आपसे परमिशन ले करके ही बोला हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष: बिल्कुल नहीं।

चौ. जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, यदि एक मैम्बर सैशन में दो बार आप द्वारा नेम कर दिया जाए तो उसको सैशन के बाकी पीरियड के लिये डिवार कर दिया जाता है। इस हाऊस के दो सदस्यों को आप द्वारा दो बार नेम किया जा चुका है,

इसलिये इन दोनों को रैस्ट आफ दि सैशन के लिये सस्पैन्ड कर दिया जाना चाहिये।

श्री बंसी लाल (तोशाम): अध्यक्ष महोदय, इस बार मुझे ऐसा लगता है कि सैशन शुरू होने से पहले इस सदन की ऐसी कार्यवाही के लिये रूलिंग पार्टी वाले मैम्बर पहले ही अच्छी तरह से तैयार होकर आए हैं। सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि आप भी उनकी सारी बातें मान लेते हैं। लीडर आफ दि अपोजीशन से इनसे एक बात पूछी है कि उस वक्त मिनिस्टर कौन था, तो उन्होंने यह पूछकर कौन सी गल्ती कर दी थी, जिसके जवाब में मुख्यमंत्री महोदय ने यह कह दिया कि राज तो देवी लाल का उस समय था लेकिन चौटाला के कहने से सब कुछ होता था? मैं जानना चाहता हूं कि जो मिनिस्टर वहां बैठा था क्या उस कंसर्ड मिनिस्टर की मर्जी से कुछ नहीं होता था? इसके कि मुख्यमंत्री सम्बन्धित मिनिस्टर का नाम लैते उन्होंने चौटाला जी का नाम ले दिया जिसके कारण यह सारा बावलेला मचा। इससे आगे, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि * * * * । सदन का चलाने के लिये पार्लियामैंटरी कनवैन्शन्ज है, उनको फोलो करना चाहिए। * * * * यह पार्लियामैन्टरी कन्वैन्शन्ज के मुताबिक ठीक नहीं है।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, चौ. बंसी लाल जी काफी सीनियर मैम्बर हैं और हम इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। इनको यह बात कहनी शोभा नहीं देती कि स्पीकर साहब को रोल

ठीक नहीं है। इन्होने साथ ही यह भी कह दिया कि स्पीकर साहब रूलिंग पार्टी की बात काके मानते हैं। यह एक तरह से स्पीकर साहब पर इलजाम है। इस तरह के निराधार इलजाम लगाना इनको शोभा नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, जो इलजाम इन्होंने आपके ऊपर लगाया है, यह कार्यवाही से एक्सपन्ज करवा दिया जाए। दूसरा चौ. बंसी लाल जी ने कहा कि यहां पर सरकार ने * * * * इकट्ठे कर रखे हैं। चौ. बंसी लाल जी, आप तो हाउस में बाद में आए। आपके साथ वीरेन्द्र सिंह जी, राम बिलास शर्मा जी और पीर चन्द इत्यादि कई और सदस्य बैठे थे, इनको सारी बातों का पता है। जब मैं क्वैश्चन आवर मैं सवाल का जवाब दे रहा था ..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीर पाल सिंह: आप गलत जवाब दे रहे थे। (शोर)

चौ. भजन लाल: गल्त दे रहा था या सही दे रहा था, यह देखना आपका काम नहीं है। (शोर)

श्री अध्यक्ष: धीर पाल जी, आपको इस तरह बीच में इंट्रप्ट नहीं करना चाहिये।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा, वह रिकार्ड में है। मैंने जो जवाब दिया वह सब के सामने है। इनकी तो यह प्री–प्लानिंग था कि आज हाउस को चलने ही नहीं देना है। (शोर एवं व्यवधान) चौ. बंसी लाल जी ने आप पर भी इलजाम लगा दिया। यह सारी इन लोगों की प्लानिंग थी। माननीय गवर्नर

महोदय के एड्रैस पर चौ. बंसी लाल जी और सम्पत सिंह जी खूब बोले। हमने इनकी सारी बातें बहुत ही प्यार से सुनीं और हमने कहा कि मेहरबानी करके आप भी हामरी सारी बातें हाउस में बैठकर शान्ति से सुनना लेकिन इनमें शान्ति से हमारी बातें सुनने का दम नहीं था और ये भाग गए। चौ. बंसी लाल जी तो बार–बार यही पूछते रहे कि मुझे भी नेम किया है या नहीं? स्पीकर साहब, इनसे पूछो कि पूछने की क्या जरूरत थी? इनका मतलब यह था कि ये हमारी बातें सुनना नहीं चाहते थे और यहां बैठता नहीं चाहते थे। इस तरह का माहौल इन्होंने जानबूझ कर यहां पर बनाया है। इसलिये मेरी आपके द्वारा इनसे प्रार्थना है कि इस तरह के इलजाम आगे से चेयर पर न लगाए जाएं, तो अच्छा है। इन्हें सदन की मान मर्यादा को देखना चाहिये। मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि जितना शानदार तरीके से आप हाउस को चला रहे हैं यह काबिले तारीफ है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने * * और माश्ल का भी जिक्र किया कि जिस तरीके से उन्होंने मैम्बर्ज के साथ व्यवहार किया, वह ठीक नहीं था। अगर कुछ मैम्बर्ज स्पीकर साहब की चेयर के पास जाकर इस तरह का अभद्र व्यवहार करें, जैसा कि आज इन लोगों ने किया है, तो क्या यह शोभा देता है? इस तरह के अभद्र व्यवहार की रोकथाम के लिये ही, जब मैंबर साहब स्पीकर साहब, का आदेश न मानें, मार्शल को आना पड़ता है। कोई भी अच्छा आदमी स्पीकर साहब के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता है। जब वह अवहेलना करता है तो मार्शल को आना पड़ता हैं उसक बाद इनको जब मार्शल कहता है कि चलो तो ये

अपने माइक को पकड़ कर बैठ जाते हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेहरबानी करके हाउस की कार्यवाही ठीक तरीके से चलने दें। आप जानते हैं कि यह क्वैश्चन आवर है। माननीय सदस्यों ने अपने सवाल कर रखे हैं इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेहरबानी करके आप क्वैश्चन आवर जारी करवाएं।

श्री अध्यक्ष: सबसे से पहले चौ. बंसी लाल जी ने जो कुछ कहा है, मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की फेवर की जाती है और अपोजीशन की बात उतनी नहीं सुनी जाती। गवर्नर एड्रैस पर कांग्रेस पार्टी को, चीफ मिनिस्टर साहब के समेत बोलने के लिए 193 मिनट मिले और अपोजीशन को बगैर इंडिपैंडैंटस के 274 मिनट मिले। इंडीपैंडैंटस को 35 मिनट मिले। तो आप ही बताएं कि इसमें फेवर की क्या बात है? कांग्रेस के मैंबर्ज अपोजीशन से ज्यादा हैं, अपोजीशन के थोड़े हैं। हिसाब से तो कांग्रेस के मैंबर्ज को ज्यादा टाईम मिलना चाहिए और अपोजीशन को उसके मुकाबले में कम मिलना चाहिए था।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहब, मेरी प्रार्थना है कि आप बेशक कांग्रेस को बोलने के लिए एक हफता दें, हमें कोई एतराज नहीं है। इनका बहुमत है, मगर हमको भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। सैशन की केवल 13 सिटिंग्ज हैं, बजट कैसे पास हो जाएगा? इसलिए आप इनको चाहे हफ्ता देंचाहे इससे भी ज्यादा दें लेकिन हमें अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्षः चौ. बंसी लाल जी आपको पूरा टाईम दिया गया है और आप गवर्नर एड्रैस पर 74 मिनट बोले। आप अपनी सैटिसफैकशन के मुताबिक ही अपने आप बैठे थे। हमने आपको बोलने से नहीं रोका था और न ही किसी ने बीच में टोका टाकी की थी।

चौ. जगदीश नेहराः स्पीकर साहब, जो आपने डैटा यिदा है, मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की इजाजत चाहूंगा। चौ. बंसी लाल जी ने कहा .... (शोर) अगर ये मेरी बात नहीं सुनना चाहते तो अलग बात है। (शोर)

श्री अध्यक्षः अगर आप चाहते हैं तो क्वैश्चन आवर को जारी रहने देते हैं। यह मामला क्वैश्चन आवर के बाद रिजौल्व कर लेंगे। अभी क्वैश्चन आवर को चलने दें। (शोर) अगला सवाल श्री जय प्रकाश जी का है। वह पुट करें।

वाक आउट

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, यह तो सरकार की बदनियती थी। हमें बोलने के लिये समय नहीं दिया जा रहा है। हम इसके विरोध में वाक–आउट करते हैं।

(इस समय श्री धीरपाल सिंह तथा जनता पार्टी के सभी उपस्थित सदस्य सदन से वाक आउट कर गये।)

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

10.00 बजे

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी उस समय सप्लीमैंटरी का जवाब दे रहे थे तो इनको अपना कम्पलीट जवाब तो देना चाहिए (शोर)।

श्री वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, इस क्वैश्चन से पहले मुख्यमंत्री को उसी सप्लीमैंटरी का जवाब देना चाहिए। (शोर)

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह तो हाउस से बाहर चले गये लेकिन मैं चौ. बंसी लाल जी से कहूंगा कि वे मेरी बात को सुनने की कोशिश करें। अध्यक्ष महोदय ये कहते हैं कि यह आदमी अब भजन लाल की गोद में जा कर बैठ गया। उस समय मैं इनकी इस बात का जवाब देने के लिए खड़ा हो गया कि वह आदमी चीफ मिनिस्टर की गोद में जाकर बैइ गया वरना हमारे मंत्री जी इनके सलवा का जवाब बड़ी अच्छी तरह से दे रह थे और हमारे मंत्री जी ने इनकी सभी बातों का जवाब बड़ी अच्छी तरह से दिया है। मैंने केवल इतना ही कहा था कि चाहे वह उस समय मंत्री थे और चाहे कोई दूसरे महानुभाव थे, लेकिन उस समय राज औम प्रकाश चौटाला का था और उस राज में किसी दूसरे आदमी काकोई दखल नहीं था। मैंने इतनी बात कही तो ये सारे एकदम खड़े हो गए। अब भी मैं यह बात कहता हूं कि चौटाला के राज में किसी दूसरे आदमी का दखल नहीं था।

श्री अमर सिंह: उस मंत्री का नाम क्या था? (शोर)

चौ. भजन लाल: उनका नाम धर्मबीर सिंह था और वे चौ. बंसी लाल जी को चुनाव में हरा कर असैम्बली में आए थे और फिर वे मंत्री भी बने। यह भी ठीक बात है, हो सकता है उनके राज में कोई गड़बड़ हुई होगी। वह मामला ज्यों ही हमारे नोटिस में आया, हमने बाकायदा केस रजिस्टर किया और उनको सर्विस से टर्मीनेट किया। मैं हाउस को एक ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे कोई कितना ही बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई कितना ही बड़ा सियासी हो, चाहे वह किसी की भी गोद में जा कर बैठ जाए, जिसका भी कसूर मिलेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही आज की सरकार करेगी।

साथी लहरी सिंह: आपने मंत्री के खिलाफ क्या एक्शन लिया?

चौ. भजन लाल: इन्क्वायरी रिपोर्ट में जो बात आएगी, उसके मुताबिक कार्यवाही होगी।

Complaints against Liquor Vends

439. Sh. Jai Parkash: Will the Minister for Excise and Taxation be pleased to state –

(a) the district-wise total number of complaints received against the Liquor Vends owners (wine contractors) for selling adulterated liquor is the State during the year 1992-93; and

(b) whether any complaints have also been received regarding violation of instructions in respect of timings for opening of Liquor shops in villages, towns and cities in the State during the year 1990-91; if so, the action taken thereon?

Excise and Taxation Minister (Sh. A.C. Chaudhri):

(a) & (b): No, Sir, does not arise.

प्रो. राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, क्या मंत्री जी बताने का कश्ट करेंगे कि महेन्द्रगढ़ में एक ठेकेदार के खिलाफ वहां के डी.ई.टी.सी. ने कोई छापा मारा था और क्या उस ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया? अगर केस दर्ज करवाया था तो ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई? स्पीकर साहब, आज भी शराब का ठेका उसी ठेकेदार के पास है, क्या यह बात मंत्री जी के नोटिस में है?

श्री ए.सी. चौधरी: स्पीकर साहब, शायद मेरे दोस्त ने क्वैश्चन पूरा नहीं पढ़ा। क्वैश्चन यह पूछा गया है कि ''राजय में मिलावटी शराब बेचने के लिये शराब के ठेकों के मालिकों (शराब के ठेकेदारों) के विरूद्ध जिलावार कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई''। इसका जवाब मैंने दिया है – 'नहीं' श्रीमान जी'। इस सवाल के दूसरे भाग में यह पूछा गया है कि राज्य के गांवों कस्बों तथा शहरों में, शराब की दुकानें खोलने के समय के संबंध में, अनुदेशों की उल्लंधना के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई मैंने इसका जवाब दिया है – 'प्रश्न ही नहीं उठता'। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि क्या महेन्द्रगढ़ में किसी ठेकेदार के

खिलाफ डी.ई.टी.सी. ने छापा मारा? इसे बारे में हमारे एक्साईज ऐक्ट में यह प्रोवीजन है कि एक्साईज इन्सपैक्टर हफ्ते में एक बार शहरी ठेकों की चैकिंग करता है ओर 15 दिन में एक बार देहाती ठेकों की चैकिंग करता है और महीने में एक बार देहाती ठेकों की चैकिंग करता है। डी.ई.टी.सी. एक महीने में एक बार शहरी ठेकों की और दो महीने में एक बार देहाती ठेकों की चैंकिंग करता है। जिस किसी ठेकेदार की कोई गलती पाई जाती है, उसके खिलाफ एक्साईज ऐक्ट के मुताबिक एक्शन लिया जाता है।

प्रो. राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी जितना तो पढ़ा लिखा नहीं हूं लेकिन मैंने इस सवाल को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है और मैंने एक स्पैसिफिक सप्लीमैंटरी पूछा है कि क्या महेन्द्रगढ़ में डी.ई.टी.सी. ने किसी शराब के ठेकेदार के खिलाफ कोई छापा मारा है और क्या डी.ई.टी.सी. ने उस ठेकेदार के खिलाफ केस दर्ज करवाया है? Still the case is pending against the contractor, क्या यह बात मंत्री जी के नोटिस में है और यदि मंत्री जी मेरे सवाल का जवाब देना नहीं चाहते तो बात अलग है। क्या सरकार की उस ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्यवाही करने की नीयत बनती है या नहीं, इसका जवाब मंत्री जी दे दे।

श्री ए.सी. चौधरी: स्पीकर साहब, सरकार की नीयत वही होगी जो कानून कहेगा।

प्रो. राम बिलास शर्मा: अध्यक्ष महोदय, क्या डी.ई.टी.सी. ने उस ठेकेदार के खिलाफ छापा मारा और केस दर्ज करवाया है? (शोर)।

श्री ए.सी. चौधरी: अध्यक्ष महोदय, अभी मैंने अपने जवाब में बताया है कि एक्साईज ऐक्ट के तहत इन्सपैक्टर, ई.टी. ओ. और डी.ई.टी.सी. को कितने कि तने दिन बाद छापे मारने का अधिकार है। इन छापों के दौरान जो कसूरवार पाया जाता है, जुर्माने के तौर पर उसको लाईसैन्स कैन्सेलेशन का नोटिस देते हैं, फिर वह अपील करता है और अपील में जुर्माना लगा कर, उसको बहाल कर देते हैं। जहां तक पुलिस कार्यवाही की बात है, वह मैं अपने माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि यह काम उस इलाके की पुलिस का है, इसमें हमने कुछ नहीं करना होता।

Digging of Ditch Drain

***431. Sh. Kitab Singh**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to dig out Ditch Drain on both sides of Bhalaut Sub-Branch and J.L.N. canal branch; and

(b) if so, the time by which it is likely to be completed?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra):

(a) Yes.

(b) The work will be completed in a phased manner depending upon teh availability of budget/funds.

श्री किताब सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने मेरे सवाल के जवाब में बताया है कि यह काम धन की उपलब्धता पर निर्भर करता है, जिसको ये चरणबद्ध ढंग से पूरा करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या ये इस काम को अपने समय में पूरा करवा देंगे?

चौ. जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, जब इस काम के लिये बजट अवेलेबल होगा, काम करवा दिया जायेगा। फिर भी मैं आपके माध्यम से माननीय साथी को बताना चाहता हूं कि जे.एल. एन फीडर और भालोठ सब–ब्रांच दोनों में वाटर लौगिंग हो गई थी, इसके लिए एक स्कीम 1986 में बनाई गई थी। इस स्कीम के तहत इसमैं 70.73 किलोमीटर पर काम होना था और उस समय इस पर 137.56 लाख रूपये खर्च होने थे। इसमें से अब तक 22. 086 किलोमीटर पर काम हो चुका है जिस पर 28 लाख रूपये खर्च हो चुके हैं लेकिन अभी वाटर लौगिंग का पूरा काम होना बाकी रहता है। ज्यों ही हमें फण्डज अवेलेबल होंगे, इस पर कार्यवाही की जाएगी।

Memorandum of Understanding

***476. Prof. Sampat Singh, Ch. Birender Singh**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state –

(a) whether any draft of the Memorandum of Understanding (M.O.U.) on the sharing of Yamuna water was finalised at a meeting with the representatives of five States recently held with the Union Minister of Water Resources; if so, the details thereof; and

(b) whether the aforesaid draft of M.O.U. has been approved by the Haryana Government?

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra):

(a) Yes. As per draft M.O.U. out of total available Yamuna waters of 11.983 BCm after construction of storages on Yamuna waters of 5.73 BCM, 4.032 BCM, 1.119 BCM, 0.378 BCM, 0.724 BCM have been allocated to Haryana, U.P. Rajasthan, H.P. and Delhi respectively. However, the natural flow of river will be divided at Tajewala and subsequently at Hathnikund between Western Yamuna Canal and Eastern Yamuna Canal in terms of existing agreement of 1954k, until upstream storages are not completed.

(b) Yes.

चौ. बीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है उसमें दो बातें सामने आती हैं। एक तो यह कि यमुना में टोटल अवेलेबिलिटी आफ वाटर 11.983 बी.सी.एम. है। अभी इसी सत्र में मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हरियाणा का शेयर 2/3 है और इससे कम नहीं होगा लेकिन जो मैमोरैण्डम और अण्डस्टैडिंग तैयार किया गया है, उसके मुताबिक हमें 5.73 बी.सी. एम. पानी मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री

महोदय से पूछना चाहता हूं कि 2/3 को जो क्लेम कियाग या है, वह कैसे पूरा होगा? दूसरी बात यह हे कि राजस्थान गवर्नमैंट ने इस मैमोरैण्डम आफ अण्डरस्टैडिंग को रदद कर दिया है। अगर यह बात हरियाणा के हित में है तो इस रिजैक्शन के बाद, मैमोरेन्डम आफ फाईनेलाईजैशन के बाद हरियाणा सरकार ने या इरिगेशन डिपार्टमैंट ने इसको कम्पलीट करने के लिए क्या कार्यवाही की है? वे दो सवाल मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं।

चौ. जगदीश नेहरा: स्पीकर सर, पहला सवाल जो माननीय सदस्य चौ. बीरेन्द्र सिंह ने किया है, उसके मुताबिक 2/3 हिस्सा यानि 2 हिस्सा हरियाणा को और एक हिस्सा यू.पी. को नहीं मिलता है। स्पीकर सर, ताजेवाला और ओखला दो जगह से हरियाणा को पानी मिलता है। ताजेवाला से वैस्टर्न जमुना कैनाल निकलती है और ओखला से आगरा कैनाल निकलती है। स्पीकर सर, जो स्थिति अब है, वही स्थिति हमने एम.ओ.यू. में रखी है। ताजेवाला पर दो–एक का हिस्सा है और औखला पर अब भी 3 हिस्से यू.पी. का और एक हिस्सा हरियाणा का है। यही स्थिति एम. ओ.यू. में भी है। तीन एक ओखला जमा दो एक ताजेवाला और जमा इनकी स्टोरेज, यदि की जाए तो हरियाणा में पानी की बिल्कुल कोई भी कमी नहीं है। दूसरी इनका सवाल यह है कि एम.ओ.यू. राजस्थान ने रद्द कर दिया है और अब हरियाणा सरकार इस बारे में क्या कर रही है? स्पीकर सर, पहले जो मुख्य

मन्त्रियों की मीटिंग हुई थी, उसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री शेखावत जी आए थे और वे इस बात पर जोर दे रहे थे कि एम.ओ.यू. साईन होना चाहिए लेकिन उस टाईम यू.पी. को ऐतराज था अब राजस्थान में गवर्नर राज है, इस वजह से गवर्नर साहब ने कहा है कि जब तक पापुलर गवर्नमैंट न आ जाए तब तक यह एम.ओ.यू. साईन नहीं होना चाहिए। पापुलर गवर्नमैंट अपने के बाद ही साईन होने चाहिएं। यही प्ली उन्होंने उस वक्त रखी थी और एम.ओ.यू. को रिजैक्ट नहीं किया था। आज भी उनका स्टैंड यही है। राजस्थान दिल्ली और हिमाचल प्रदेश को पीने का पानी मिलता है इरीगेशन का पानी नहीं मिलता है। इरीगेशन का पानी सिर्फ हरियाणा और यू.पी. का है। जहां तक उस बात का सम्बन्ध है कि उसके बाद हरियाणा सरकार ने क्या कार्यवाही करनी है वह तो केन्द्रीय सरकार ने करनी है। केन्द्रीय सरकार ने बुला कर एम.ओ. यू. का फैसला करना था और रफली करीब–करीब एग्रीमैंट के नजदीक था। मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट से भी इसकी एप्रूवल ले ली थी लेकिन तीनों जगहों पर पापुलर गवर्नमैंट नहीं थी और उसके गवर्नर साहब नहीं आए, इसी वजह से ही यह नहीं हो पाया है।

चौ. वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, यह तो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। यह अलग चीज है। मेरा प्रश्न तो यह था कि यमुना वाटर में हमारा शेयर कितना है? अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय तथा मुख्यमंत्री जो ने सारे सदन की मौजूदगी में कहा है कि 2/3 हिस्सा हरियाणा का और 1/3 हिस यू.पी. का है।

ओखला से आगरा कैनाल का जो पानी फीयर की जाता है, वह अलग बात है। मैं तो सिर्फ शेयर की बात कह रहा हूं। That comes to 50% of the total water available in the Yamuna.

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, दरअसल चौ. बीरेन्द्र सिंह जी ने या तो इस बात को पूरी तरह से देखा नहीं है या ये इसको समझे नहीं है। ताजेवाला पर हमारा हिस्सा 5.23 बी.सी.एम. है और ओखला में .50 हे। कुल मिलाकर 5.73 बी. सी.एम. है। उत्तर प्रदेश का ताजेवाला में 2.54 बी.सी.एम. और हमारा 5.23 बी.सी.एम. है। स्पीकर साहब, अब ये खुद हिसाब लगा लें कि हमारा शेयर 2/3 बनता है या नहीं बनता है? ओखला में . 50 का जो हमारा हिस्सा है, वह आगरा कैनाल से पानी फीड होता है। उनका ओखला में पानी 1.52 है। अगर वे अपना पानी ले जाएं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, हमने सही बात कही है। एम.ओ.यू. जब साईन होने लगा तो उन्होंने एक क्लाज और डाल दी हे। हमने कह यिदा गाि कि जब तक अप–स्ट्रीम स्टोरेज डैम नहीं बन जाता, तब तक यह एग्रीमैन्ट लागू नहीं होगा। आप जानते हैं कि सर्दी के दिनों में पानी घट जाता है। इस बार भी जमुना का पानी केवल 18 सौ क्यूसिक रहा है। डैम बनने के बाद हमारी कोशिश यही रहेगी कि कम से कम 6 महीने तक हमें पूरा पूरा पानी मिले। स्टोरेज बनने के बाद तो वह पानी फालतू ही हो जाएगा। अभी चौ. बीरेन्द्र सिंह जी ने जो भी प्रश्न पूछे हैं, उनके विशय में मैं इनको यही बताना चाहता हूं कि हम

कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हरियाणा का एक बूंद भी पानी वेस्ट जाये।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने अपने जवाब में बताते समय कुछ अमैंडमैंट की है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि जब तक ये हमारी मदद नहीं करेंगे, तब तक यह बात साफ नहीं होगी। जो इन्होंने जवाब दिया है, वह मैं पढ़कर सुनाता हूं –

"Yes. As per draft M.O.U. out of total available Yamuna waters of 11.983 BCM after construction of storages on Yamuna, waters of 5.73 BCM, 4.032 BCM, 1.119 BCM, 0.378 BCM, 0.724 BCM have been allocated to Haryana, U.P., Rajasthan, H.P. and Delhi, respectively."

Speaker, Sir, we forget about the share of Rajasthan Himachal Pradesh and Delhi. But our concern is only about the shares of water between Haryana and Uttar Pradesh, we categorically wat to know as to how much water the Haryana will get from Yamuna. जो इन्होंने जमुना वाटर में हरियाणा का शेयर बताया हे, वह 5.23 बी.सी.एम. बताया है और इसका जिक्र एम.ओ.यू. में भी किया गया है। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारा शेयर जो भी हो परन्तु इन्होंने यू.पी. का शेयर 4.032 बताया है। तो यह कैसे हो गया? यह 2/3 और 1/3 कैसे है?

Again in the reply, you have written:-

"However, the natural flow of river will be divided at Tajewala and subsequently at Hathnikund between Western

Yamuna Canal and Eastern Yamuna Canal in terms of existing agreement of 1954, unitla upstream storages are not completed."

Speaker, Sir, whatever, I have been able to understand from this reply कि एम.ओ.यू. के रिकार्ड के मुताबिक तो हरियाणा को 5.73 बी.सी.एम. पानी का प्रोविजन है और यू.पी. को 4.032 बी.सी.एम. का प्रोवीजन हैं मिनिस्टर ने जवाब में कुछ और बताया है और रिप्लाई में कुछ और है। तो आप सही–सही बताएं कि हरियाणा का कितना हिस्सा है और यू.पी. का कितना हिस्सा है?

चौ. भजन लाल: मैं तो आपको अलग अलग जगह का बता रहा हूं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, जो आप बता रहे हैं वह रिप्लाई में नहीं है, कयोंकि जो बात रिप्लाई में है वह ज्यादा महत्व रखती है। इसलिये में इनसे कहूंगा कि ये रिकार्ड को ठीक करें वर्ना हरियाणा को नुक्सान होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश को 4. समथिंग मिल रहा है this is the total share which you have said. एम.ओ.यू. में जो दर्ज है, वह किस प्रकार से दो तिहाई और एक तिहाई बनता है, हमें तो पता नहीं चल रहा है। आप जवाब देते समय फरमायें कि एम.ओ.यू. में यह प्रोवीजन क्यों नहीं है कि उत्तर प्रदेश को 2.4 बी.सी.एम. पानी दिया जाये? It means the written reply is wrong?

चौ. भजन लाल: यह अलग अलग है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: यह रिप्लाई आप ठीक करें, क्योंकि अगर विधानसभा के रिकार्ड में यह बात आती है तो इससे हरियाणा को बहुत नुक्सान होगा। मैं फिर आपसे कहता हूं कि आप अपनी रिप्लाई ठीक करें। अध्यक्ष महोदय, इसको डैफर करके कल फिर यहां पर सही जवाब मंगाया जाए, नहीं तो हरियाणा को बहुत नुक्सान हो जाएगा। हम यह जवाब नहीं आने देंगे।

श्री अध्यक्ष: नेहरा साहब, इसके साथ साथ आप यह भी बता दें कि ताजेवाला हैड वर्क्स से आपको दो और एक की ऐशो से मिलता है। ताजेवला पर बरसात को छोड़कर सर्दियों में टोटल पानी निकाल लिया जाता है इसलिये वह आगे नहीं जाता है। आगे जो पानी ओखला में बांटता है, वह कहां कहां बंटता है। कुछ पानी तो दिल्ली सिवरेज का आता है और कुछ पानी मुनक पर बढ़ता है तथा कुछ गंगा का पानी भी आता है। ओखला तक पानी कहां–कहां से बढ़ता है?

सिंचाई मंत्री (चौ. जगदीश नेहरा): अध्यक्ष महोदय, यमुना के पानी का दो जगह डिवीजन होता है एक ताजेवाला पर और एक ओखला पर। चौ. वीरेन्द्र सिंह स्वयं इरीगेशन मिनिस्टर रहे हैं इसलिये इनसे यह बात छिपी नहीं है। यह बात इनको पता है कि दो जगह पानी का डिवीजन होता है। अध्यक्ष महोदय, यह सारे हरियाणा का मसला है। हम तो यह चाहते हैं कि अगर यह

बात कम उजागार हो तो जयादा अच्छा है। कंट्रोवर्सी होने से मामला बिगड़ जाता है लेकिन यह पानी आज भी उसी तरह से यूज में लाया जा रहा है जैसे पहले लाया जाता था। जब रेनुका और दूसरे डैम बन जाएंगे तक एम.ओ.यू. लागू होगा वरना नहीं होगा। इस ऐग्रीमैन्ट में मुख्यमंत्री जी का विरोध भी यही था और यू.पी. वाले चाहते थे कि हथनीकुन्ड बन जाये और हथनीकुन्ड के बनते ही यह ऐग्रीमैंट लागू हो जाये, लेकिन हमने इस बात का विरोध किया। हमने कहा कि हमें पानी चाहिए।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमें यह बता दें कि यह फिगर सही है या गलत है, जो हमें यहां पर दे रहे हो।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि इन्होंने जो फिगर्ज दी हैं, वह इकट्ठी दी हैं। केवल इतना ही फर्क है लेकिन जोड़ में कोई अन्तर नहीं है। इनकी यह लिखना चाहिए था कि ताजेवाला पर 2.54 बी.सी.एम. पानी है। इसका मतलब गलत निकल सकता है, इसको हम ठीक करेंगे। लेकिन मैं इसमें इतना ही कहना चाहूंगा कि हमें इस मसले को ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए क्योंकि फिर उत्तर प्रदेश वाले कुछ और कहेंगे जिससे हरियाणा को नुक्सान हो सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।

श्री वीरेन्द्र सिंह: लेकिन आप रिकार्ड को तो सही करा दें।

चौ. भजन लाल: वह हम करा देंगे।

चौ. वीरेन्द्र सिंह: स्पीकर सर, मेरी यह सबमिशन है कि यह हरियाणा के लिए बड़ा वाईटल इशू है। इसमें जो शेयर मिलेगा, वह पता नहीं कितने सालौं तक चलेगा, इसलिये मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस क्वैश्चन पर आप आधे घंटे के लिये डिसकशन अलाऊ कर दें।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कि यह हमारे बैनीफिट के लिये ही हो रहा है।

चौ. वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदय, यह तो वही सवाल है जो आपने पूछा था कि ताजेवाला पर दो हिस्से पानी चला गया और एक हिस्सा पानी वैस्टर्न जमुना कैनाल में चला गया तो कम से कम सदन को तो यह पता चलना ही चाहिए कि इस पानी का कैसे डिवीजन किया जाएगा।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कहा है वह बिल्कुल सही है इसको हम दुरूस्त कर देंगे और चौ. वीरेन्द्र सिंह जी ने कहा है कि यह बड़ा वाईटल इशू है। यह स्टेट के इंट्रैस्ट का सवाल है और जहां तक इस बात का संबंध है कि हम कितना पानी यूज कर रहे हैं वह तो हमें जितना मिल रहा है, उससे कम यूज कर रहे हैं। यह हरियाणा के हित की बात है। अगर इस समय हम कोई ऐसी वैसी बात करेंगे तो यू.पी. वाले झगड़ा करेंगे इसलिये मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है कि जब इसका फैसला होने लगेगा तो जो अपोजीशन के लीडर्स हैं, उन सबको

बुलाकर बात करेंगे और बातचीत के बाद ही एग्रीमैंट साइन करेंगे।

Up-Gradation of the General Hospital, Beri

***450. Ch. Om Parkash Beri**: Will the Minister for Health be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to up grade the General Hospital, Beri in District Rohtak to community Health Centre; and

(b) if so, the time by which the said hospital is likely to be upgraded?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी):

(क) जी नहीं।

(ख) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, डीघल वर्श 1992–93 में स्वीकृत हो चुका है जोकि बेरी खण्ड में पड़ता है। पहले से कार्यरत बेरी अस्पताल का दर्जा बढ़ाया जाएगा तथा अतिरिक्त बिस्तर जोड़े जाएंगे।

चौ. ओम प्रकाश बेरी: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने बताया है कि जनरल होस्पीटल बेरी का दर्जा बढ़ा दिया जाएगा। हमारा बेरी का हस्पताल मैडीकल कालेज, रोहतक के परव्यू में आता है। मैडीकल कालेज के डाक्टर बेरी के हस्पताल में दो घंटे से ज्यादा नहीं रहते। मैं मंत्री महोदया से पूछता चाहूंगा कि क्या

वे हाउस को आश्वासन देंगी कि जनरल हस्पताल बेरी को मैडीकल कालेज के परव्यू से निकालकर, हरियाणा हैल्थ डिपार्टमैंट के परव्यू में लाया जाएगा? दूसरे जो अपग्रेडेशन की बात मंत्री महोदया ने बताई है, क्या वे हाउस को यह भी आश्वासन देंगी कि वर्तमान 20 बैडज वाले हस्पताल के स्थान पर 50 बैडज का हस्पताल बनेगा जिसमें 1.4.93 से 10 बैडज और 1.4.94 से आगे 20 बैडज बढ़ा दिए जाएंगे?

बहिन करतार देवी: अध्यक्ष महोदय, जहां तक माननीय सदस्य का यह सवाल है कि बेरी का हस्पताल मैडीकल कालेज के परव्यू में पड़ता है, यह बात ठीक है। मैडीकल कालेज रोहतक को रूरल एरियार्ज के कुछ पी.एच.सी. दिए हुए हैं। मैडीकल कालेज के डाक्टर्ज के साथ साथ जो डाक्टर्ज ट्रेनिंग लेते हैं, वे भी इनमें जाते हैं। इससे ग्रामीण लोगों को सुविधा मिलती है। इस प्रकार की कई रिक्वैस्टस आई हैं। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने भी कहा है कि हमारे मदीने के हस्पताल को भी मैडीकल कालेज के परव्यू में दे दें। इसलिए स्पीकर सर, मैं यह आश्वासन देना चाहती हूं कि बेरी हस्पताल को हरियाणा स्वास्थ्य विभाग के अधीन कर लिया जाएगा। जहां तक बैडज बढ़ाने का सवाल है वह तो आप जानते ही हैं कि नये भवन बताने के लिये पैसा चाहिए फिर भी मुख्यमंत्री जी ने एक जनसभा में जनता को जो आश्वासन दिया था, उसके अनुसार दस बैडज तो इसी चालू वित्त वर्श में बढ़ा

देंगे और 50 बैडज बढ़ाने के बारे में अगले वित्त वर्श में विचार कर लिया जाएगा।

Extension of Karsa Minor

***480. Sh. Ram Pal Singh Kanwar**: Will the Minister for Irrigation be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to extend the Karsa Minor in district Karnal upto village Ratole; if so, the time by which the said Minor is likely to be extended?

सिंचाई मंत्री (चौ. जगदीश नेहरा): कारसा माईनर को गांव खेड़ी सकरा तक बढ़ाने के प्रस्ताव पर जांच पड़ताल चल रही है।

श्री राम पाल सिंह कंवर: सर, मेरा क्वैश्चन और था, इसमें क्लेरिकल मिस्टेक हुई है। सप्लीमैंटरी में मैं दोबारा पूछना चाहूंगा कि चोरकारसा गांव की माइनर की अप्रूवल किस साल में हुई? बजट सैशन के बाद सन 1993–94 में क्या इस पर निर्माण का काम आरम्भ करने का कोई विचार है?

चौ. जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, अगले साल में इनका मामला विचाराधीन है जिस खसरे का यह जिक्र कर रहे हैं, उस पर इस स्कीम के अधीन 32 लाख 75 हजार रूपया खर्च आयेगा। 21500 फुट तक इस माईनर की स्क्स्टैंशन करेंगे, इससे किसानों को काफी फायदा होगा यानी करीब अढ़ाई हजार एकड़

एरिया को फायदा होगा और कई गांवों में पानी जायेगा। अगले साल के लिये यह मामला विचाराधीन है।

Mr. Speaker: Question Hour is over please.

नियम 45 के अधीन सदन की मेज पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

Construction of Approach Road

***461. Sh. Krishan Lal**: Will the Minister for P.W.D. (B & R) be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a new approach road from the Padha Road to village Kaimla in District Panipat during the current year; and

(b) if so, the time by which the said approach road is likely to be completed?

लोक निर्माण मंत्री (चौ. आनन्द सिंह डांगी):

(क) जिला पानीपत मैं पाढ़ा से कैमला गांव तक सड़क के निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) इस सड़क के निर्माण का समय निर्धारित करना संभव नहीं है।

Construction of Bus Stand at Hathin

***467. Ch. Azmat Khan**: Will the Minister of State for Transport be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a Bus Stand at Hathin; and

(b) if so, the time by which the said Bus Stand is likely to be constructed?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री बलबीर पाल शाह):

(क) जी, हां।

(ख) भूमि अभिग्रहण की जा चुकी है। जब भी विभाग के पास धन उपलब्ध होगा, निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

30 Bed Hospital at Hassanpur

***486. Sh. Ram Rattan**: Will the Minister for Health be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct a 30 bed hospital at Hassanpur in Distt. Faridabad; and

(b) if so, the time by which the aforesaid hospital is likely to be constructed?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी):

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होगां

Construction of Common Latrines

***492. Sh. Karan Singh Dalal**: Will the Minister of State for Local Government be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to construct common latrines for women in the following Harijan areas of Palwal City:-

(i) Kasba Mohalla (ii) Jaindipura (iii) Lanepura (iv) Mohalla Barkhandi Koliyan (v) Mohalla Khatikwara; and

(b) the time by which common latrines are likely to be constructed?

स्थानीय शासन राज्य मंत्री (चौ. धर्मबीर गाबा):

(क) तथा (ख) नहीं नगरपालिका पलवल शहर के उन क्षेत्रों में जहां सीवर नहीं हैं, वहां कम खर्च शौचालयों की 3500 यूनिटें बनाने की एक योजना तैयार की जा रही है।

Upgradation of Middle School, Naunond

***501. Ch. Balwant Singh Maina**: Will the Minister for Education be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Govt. to upgrade the Middle School, Naunond in District Rohtak into 10+2 system school; if so, the time by which the said school is likely to be upgraded?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी): जी नहीं।

Construction of a Road from Kheri-Bula to Paiga

***507. Sh. Ram Kumar Katwal**: Will the Minister for P.W.D. (B &R) be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a road from Kheri Bula to Paiga, in District Kaithal; if so, the time by which it is likely to be constructed?

लोक निर्माण मंत्री (चौ. आनन्द सिंह डांगी): खेड़ी बुला से पेगा तक सड़क निर्माण का कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है। इसलिये यह बताना संभव नहीं है कि किस समय तक यह सड़क बन जाएगी।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Vacant Posts of Headmasters

85. Ch. Birender Singh: Will the Minister for Education be pleased to state –

(a) the number of posts of Headmaster lying vacant in the State as at present; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Govt. to fill up these posts through direct recruitment, departmental promotion; if so, the time by which these are likely to be filled up?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती शान्ति देवी):

(क) इस समय राज्य के विभिन्न राजकीय उच्च विद्यालयों में मुख्याध्यापकों के 435 पद रिक्त पड़े हैं।

(ख) हां, उपरोक्त खाली स्थानों को सीधी भर्ती तथा विभागीय पदोन्नति द्वारा शीघ्रातिशीघ्र भरे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

Upgradation of Schools

86. Ch. Birender Singh: Will the Minister for Education be pleased to state –

(a) the number of Schools upgraded from Primary to Middle, Middle to High School and High School to Senior Secondary School during the year 1992-93 in the State; and

(b) the number of Girls Schools out of those as referred to in part (a) above?

शिक्षा मंत्री (श्रीमती शान्ति देवी राठी):

(क) वर्श 1992–93 में स्तरोन्नत किए गए वर्गवार विद्यालयों की संख्या इस प्रकार है:–

प्राईमरी से मिडल स्तर तक	56
मिडल से उच्च स्तर तक	63
उच्च से वरिश्ठ माध्यमिक स्तर तक	30
कुल	149

(ख) उपरोक्त भाग (क) में दिखाई गई संख्या में कन्या विद्यालयों की संख्या इस प्रकार है :–

प्राईमरी से मिडल स्तर तक	8
मिडल से उच्च स्तर तक	12
उच्च से वरिश्ठ माध्यमिक स्तर तक	10
कुल	30

Sewerage System in Uchana Kalan Mandi

87. Ch. Birender Singh: Will the Minister for Public Health be pleased to state the extent of work on sewerage system of Uchana Kalan Mandi completed so far together with the time by which the construction work is likely to be completed?

जन स्वास्थ्य मंत्री (श्री निर्मल सिंह): मल निकास प्रणाली बिछाने का कार्य मंडी क्षेत्र में आरम्भ किया गया है और यह कार्य लगभग 70 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है। मंडी क्षेत्र में बाकी कार्य आगामी वित्त वर्श के लिए जाने की संभावना है। उचाना कलां में अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया। इस क्षेत्र में मल निकास प्रणाली बिछाने के लिये योजना के अनुमान का संशोधन विचाराधीन है। कार्य सम्पूर्ण करने की कोई निश्चित तिथि तय

नहीं की जा सकती क्योंकि यह धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

Community Health Centres

***88. Ch. Birender Singh**: Will the Minister for Health be pleased to state –

(a) the number of Community Health Centres proposed to be opened during the 8th Five Year Plan in the State; and

(b) the number of Community Health Centres opened during the year 1992-93 in the State?

स्वास्थ्य मंत्री (बहिन करतार देवी):

(क) राज्य में आठवीं पंचवर्शीय योजना के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की संख्याः 57

(ख) राज्य में वर्श 199–92 के दौरान जितेन सामुदायिक स्ववास्थ्य केन्द्र खोले गए हैंः 18

वैयक्तिक स्पश्टीकरण –

श्री बंसी लाल द्वारा

Sh. Bansi Lal: Speaker Sir, on a point of personal explanation.

Finance Minister (Sh. Mange Ram Gupata): Speaker Sir, on a point of personal explanation.

प्रो. राम बिलास शर्मा: सर, मेरा भी एक काल अटैन्शन मोशन था। (शोर)

चौ. बंसी लाल: स्पीकर साहब, कल आपने मुझे यह कहा था कि कल आप मुझे बोलने के लिए टाईम देंगे, इसलिए आज मेरा पहता नम्बर होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: श्री राम बिलास शर्मा जी, आप किस प्वायंट पर बोलना चाहते हैं?

प्रो. राम बिलास शर्मा: अगर आप मुझे इजाजत देंगे तभी तो मैं कुछ कहूंगा। आपकी इजाजत के बिना तो मैं एक शब्द भी नहीं बोलूंगा। मैंने आज ही आपकी सेवा में एक ध्यानाकर्शण प्रस्ताव हरियाणा विधान सभा के रूल 63 के तहत दिया है। स्पीकर साहब, पिछले दिनों मेवात में 9 आदमी तीन महीने के अन्दर मारे गये हैं। 35 मन्दिर टूट गये हैं और गाय जलाई गयी। उसके बाद 30 तारीख को वहां पर गोली चली है। तीन महीने से वहां के लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन कोई गिरफतारी नहीं हुई है। इस बात के बावजूद 30 तारीख को, यहां के एक एम.एल.ए. की गाड़ी से टकरा कर 4 लोग मरे हैं। हमारे 14 वर्कर्ज के खिलाफ झूठे मुकदमें बनाये गये हैं। चौ. कंवर सूरज पाल के खिलाफ 302 का झूठा मुकदमा बनाकर उनकी गिरफतारी हुई है।

श्री अध्यक्ष: आपका नोटिस 9 बजकर 20 मिनट पर अया है। It is now under consideration.

प्रो. राम बिलास शर्मा: वहां के लोगों ने सामाजिक बहिश्कार किया हुआ है क्योंकि लोगों के साथ धक्का किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: जो आपने काल अटैंशन नोटिस दिया है, उसका मैंने आपको जवाब दे दिया है कि आज सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर आया है। It is under consideration. इसलिये आप अभी चुप ही रहें।

प्रो. राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, मैं अकेला ही अपने पार्टी का मैम्बर हूं। उन लोगों के साथ धक्का किया जात रहा है और लोगों का सामाजिक बहिश्कार हो रहा है। इस सदन के दो मन्त्रियों ने उस इलाके के मन्दिरों को जलाकर राख कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: आपने जो काल अटैन्शसन नोटिस दिया है, उस बारे में मैंने यह बता दिया है कि वह अन्डर कंसीड्रेशन है। जब हम उस पर डिसीजन देंगे तो उस वक्त आप बोल लेना।

सिंचाई मंत्री (चौ. जगदीश नेहरा): स्पीकर साहब, पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के लिये लगातार कहा जा रहा है और कई मैम्बर साहेबान ने देनी चाही है। वह रूल 63 के तहत आती है। उन रूल में यह स्पश्ट किया गया है कि अगर कोई मैम्बर पर्सनल एक्प्लेनेशन देनपा चाहे तो इम्मीजीयेटली पर्सनल एक्सप्लेनेशन देगा। अगर वह किसी कारण से न दे सके तो वह

आपको रिटन में देगा। अब ये महानुभावन चौ. बंसी लाल जी यह कह रहे हैं कि वे पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। इनकी बात परसों हुई थीं। अब अगर ये पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना शुरू करेंगे तो फिर काउन्टर एक्सप्लेनेशन होगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अब जो बजट पर डिस्कशन होगी, उसमें बोलने के लिए टाईम मिलेगा, उस वक्त सारी बात बात कही जा सकती हैं। स्पीकर साहब, पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन इम्मीजिएटली होना चाहिए। जैसे कल कोई बात कही गई हो तो उसके बारे पर्सनल ऐक्सम्प्लेनेशन उसी वक्त होना चाहिए या ज्यादा से ज्यादा आज दिया जा सकता है। पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन अगर उसी दिन न दिया जा सके तो लिखकर भी भेजा जा सकता है। लिखकर इसलिए भेजा जा सकता है क्योंकि कोई ऐसा रीजन हो सकता है जिस के कारण उस समय ऐक्सप्लेनेशन देना संभव न हो। स्पीकर साहब, अब अगर ये पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देते हैं तो उससे काउन्टर बात भी पैदा होगी ओर उसके बाद फिर ये कोई बात कहेंगे।

श्री अध्यक्ष: क्या आप इस बारे में रूल कोट कर सकते हैं?

चौ. जगदीश नेहरा: जी हां, रूल 63 है।

श्री अध्यक्ष: आप पढ़ दीजिए।

Ch. Jagdish Nehra: Sir, Rule 63 says as under:-

"Any member may, with the permission of the Speaker make a personal explanation although there is no question before the Assembly:

Provided that such explanation, if permitted, shall be made at the earliest possible opportunity before the business for the day is entered upon,"

This is the clinching point.

"And shall be limited to the circumstances which are the subject of the explanation and no speech or debate thereon shall be allowed by the Speaker".

In proviso it is clear that it should be immediately after the business.

तो जो उस दिन बिजनैस था उसके बाद इमीजिएटली खड़े होकर ये पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन दे सकते थे और उस दिन जवाब देने का मौका दिया जा सकता था। जब जवाब देने का मौका आया तो इन्होंने इंटैनशली हाउस का बायकाट कर दिया। (शोर एवं व्यवधान)। आपको इन लोगों को नेम करना पड़ा। इन लोगों ने यह परम्परा गल्त डाल दी। उस दिन चौ. बंसी लाल 74 मिनट और चौ. सम्पत सिंह 75 मिनटर बोले थे और हम उस दिन चुपचाप बैठे रहे। इनका फर्ज बनता था कि ये लोग उसी दिन जवाब देते। स्पीकर साहब, मुख्यमंत्री जी ने स्पैसीफिकली कहा था कि वे जब जवाब देंगे तो आप सुनने के लिये बैठना, एक–एक प्वायंट का जवाब देंगे आप सुनने की कृपा करना, आप जाना नहीं। इन्होंने इंटैन्शली उस दिन वाक–आउट की बात की। ये उस

दिन का हाउस में वापिस आ सकते थे जैसे कि अब आ गए है। (शोर एवं व्यवधान) आप लोग हमारी बात को सुनना नहीं चाहते थे इसलिए उस दिन मार्शल के द्वारा निकालना पड़ा। स्पीकर साहब, ये लोग कोई ऐक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहते, ये तो हाउस का टाईम जाया करना चाहते हैं।

श्री बंसी लाल (तोशाम): स्पीकर साहब, मेरा निवेदन यह है कि उस दिन आपने मुझे नेम कर दिया था इसलिए हाउस में नहीं आ सकता था। अगली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इसके बाद इस रूल में यह भी है – "This explanation will be given before the business of the House is taken up" तो बिजनैस आफ दि हाउस कल जब आपने टेक अप किया, उसी वक्त मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के लिये खड़ा हुआ था लेकिन आपने उस वक्त रूलिंग दे दी कि कल मुझको टाईम देंगे। आप इस बारे में रूलिंग पहले ही दे चुके हैं, इसलिये मुझे पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देने की इजाजत दी जाए। स्पीकर साहब, जब ये पर्सनल ऐलीगेशन लगाते हैं तो पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन से क्यों डरते हैं। यह बात मेरी समझ में नहीं आती। काउन्टर ऐलीगेशन लगाना हो तो लगा लें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। जब मेरे खिलाफ पर्सनल ऐलीगेशंज लगाए गस हैं तो उसका जवाब देने का मौका तो मुझे मिलना ही चाहिए। आपकी रूलिंग तो इस बारे में पहले ही आ चुकी है कि मुझे टाईम मिलेगा।

श्री अमीर चन्द मक्कड: स्पीकर साहब, मैंने भी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन के लिये लिखकर दिया हुआ हे, इसलिये मुझे भी इजाजत देने की कृपा करें।

श्री जय प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, माननीय चौ. बंसी लाल पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देने के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि पहले वे अपने कार्यकाल को शीशे में रखकर देख लें .....(शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जय प्रकाश जी, आप बैठिए।

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, कल आपके आदेशानुसार मैंने जब अपनी बजट स्पीच पढ़नी शुरू की तो मेरे विरोधी पक्ष के भाईयों ने हाउस के अन्दर एक फोटो स्टेट कापी दिखाते हुए सदन के वाक आउट किया कि गुप्ता जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के स्ट्रिक्चर पास किये हैं ..... (शोर एवं व्यवधान) इस बारे में, मैं पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहत हूं। (शोर)

साथी लहरी सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफर आर्डर हैं गुप्ता जी किस बात की पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं (शोर) कल आपने रूलिंग दी थी कि कल चौ. बंसी लाल जी को सबसे पहले बोलने का समय दिया जाएगा। इसलिए गुप्ता जी को सुनने से पहले चौ. बंसी लाल जी को बोलने का समय दिया जाना चाहिए। (शोर)

श्री अध्यक्ष: वे पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन पर नहीं बोल रहे हैं। वे तो सिर्फ अपना प्वायंट बता रहे हैं। इनको अपना प्वायंट रेज करने का हक है, इनको कहने दीजिएगा।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि कल मेरे विरोधी पक्ष के भाईयों ने यहां हाउस के अन्दर एक फोटो स्टेट कापी दिखाते हुए सदन से वाक आउट किया था और साथ में यह कह रहे थे कि गुप्ता जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में स्ट्रिक्चर पास किये हुए हैं। इसलिये इनको यहां सदन में बजट स्पीच देने को कोई हक नहीं है। इस बारे में, मेरा कहना यह है कि कल जब मैं अपनी बजट स्पीच समाप्त कर चुका था तो उसके एकदम बाद आपने हाउस एडजर्न कर दिया था, इसलिए मुझे अपनी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देने का मौका ही नहीं मिला। इसलिये में आपसे इजाजत चाहूंगा कि मुझे पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन देने के लिये समय दिया जाए। (शोर)

श्री कर्ण सिंह दलाल: स्पीकर साहब, पहले चौ. बंसी लाल जी को बोलने का समय दिया जाए। (शोर)

श्री अमर सिंह: चौ. अमर सिंह जी, आप बैठिए।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विरोधी पक्ष के बारे में गुप्ता जी कह रहे हैं कि उन्होंने गुप्ता जी के ऊपर आरोप लगाया था कि गुप्ता जी के खिलाफ सुप्रीम कोट व हाई कोर्ट ने कुछ स्ट्रिक्चर पास किये हैं।

मैं हाउस में बताना चाहता हूं कि गुप्ता जी ने खुद एक पब्लिक मीटिंग में एक बात कही थी कि अगर मेरे विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में कोई फैसला हो जाए या कोई स्ट्रिक्चर पास कर दे तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा। मेरा कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी इनके खिलाफ फैसला हो गया है स्ट्रिक्चर पास कर दिये हैं। इसलिये इनको सदन में बजट स्पीच पढ़ने का कोई हक नहीं है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धीरपाल जी, इस बात का आज के बिजनैस से कोई ताल्लुक नहीं है। यह कोई चर्चा का विशय नहीं है।

चौ. जगदीश नेहरा: अध्यक्ष महोदय, कौल एंड शकधर की पुस्तक में से प्रिसाइजली यह बात आप की सुविधा के लिये बताना चाहता हूं। मैं केवल रेलेवैन्ट पोर्शन ही पढ़ना चाहूंगा ताकि आप उस बात से सन्तुश्ट हो जाएं।

श्री अध्यक्ष: नेहरा साहब, आप कौन से रेलेवैन्ट पोर्शन का जिक्र कर रहे हैं और कौन से पेज को आप रैफर कर रहे हैं?

Ch. Jagdish Nehra: Sir, I would like to draw your kind attention to page 342 of the Book "Practice & Procedure of Parliament" by Kaul and Shakdher, where it is written:-

"When the member is present in the House at the time the allegations are made, he is normally permitted to make a statement by way of personal explanation at the end of the speech of the member who makes the allegations or, if the later gives way, immediately after the allegations are made.

But he cannot make a long personal explanation in the midst of a speech; for that, he must seek permission and raise the matter separately.

It is further stated that –

"When the member in question does not wish to make a personal explanation on the spot or if he is not present at that time in the House, he is allowed to make a statement later on. In this case the member seeking permission for a personal explanation either places personally the fact before the speaker in his chamber or makes a written request to him enclosing a copy of the statement to be made by him by way of proposed explanation or a gist thereof. The Advance copy of the statement is examined with a view to seeing that it is brief nad concise and does not introdue any further controversial or debatable matter. If any portion thereof is considered objectionable or beyond the scope of personal explanation, the member is asked to delete it, before permission to maek the statement is granted. The copy is to be submitted to the Speaker sufficiently in advance for his approval."

Speaker, Sir, from the above stated quotation it is clear that if a member want to make a personal explanation then वे सीट पर खडे हों और उसके बाद यदि न खड़े हों तो इमीजिएटली सदन में आने पर वे पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। यदि फिर भी वे लेट हों तो आपके चैम्बर में अपनी बात कह सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप कौन से पेज को रैफर कर रहे हैं?

चौ. जगदीश नेहरा: सर, यह कौल एंड शकधर की बुक का पेज 342 है।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कल आपने मुझे टाईम दे दिया था और अब उसके बाद यह बहस नहीं होनी चाहिए। एक चीज यह है कि जब रूलिंग पार्टी की तरफ से इनके मुख्यमंत्री जी या कोई मंत्री हमारे ऊपर ऐलीगेशन लगाएं तो मेरी पर्सनल ऐक्सप्लेनेशन से ये सारे घबराए हुए क्यों हैं?

आवाजें: हम बिल्कुल नहीं घबराए हुए हैं।

श्री बंसी लाल: आप आप घबराए हुए नहीं हैं तो स्पीकर साहब को कहें कि मुझे टाईम दिया जाए। मैं कोई गल्त बात नहीं कहूंगा बल्कि वही बात कहूंगा जो जायज है।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, हाउस वैसे नहीं चलेगा जैसे चौ. बंसी लाल जी चाहेंगे।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, नेहरा साहब जो किताब आपको दे रहे थे, यह इनको कल देनी चाहिए थी और कल ही इस बात पर आर्गूमैंट करना चाहिए था। जब आपने उनको टाईम दे दिया और कह दिया कि आज नहीं, कल इन्हें टाईम मिलेगा, तो आज इन्कार क्यों कर रहे हैं? स्पीकर साहब, क्या इनको आप पर एतबार नहीं है?

श्री अध्यक्षः तीन महानुभावों ने पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए कहा है। नम्बर वन, श्री मांगे राम गुप्ता जी की एक्सप्लेनेशन का जहां तक ताल्लुक है, इनके बारे में जो कुछ उन्होंने कहा था, वह रिकार्ड पर नहीं लाया गया है। इसलिए पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। दूसरे, मक्कड़ साहब ने अगेंस्ट जो कुछ कहा गया था, वह भी एक्सपंज कर दिया याग था। इसलिए इनको भी एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। श्री मांगे राम जी ने अगर फिर भी अपनी कोई बात रिफलैक्ट करनी हो तो जब वे बजट का जवाब देंगे, उस वक्त अपनी बात कह लेंगे। मक्कड़ साहब को भी हम टाईम देंगे। अगर इन्होंने कोई और बात कहनी होगी तो उस वक्त कह लेंगे। जहां तक चौ. बंसी लाल का ताल्लुक है, इनको हमने जरूर कहा था कि हम आपको पर्सनल एक्सप्लेनेशन का टाईम देंगे। लेकिन अगर कोई बात, कोई रूल इस ढंग से इन्टरप्रेट करें और नोटिस में लाएं तो उसे भी जांचना हमारा फर्ज है। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि चौ. बंसी लाल को हम टाईम दें। बजट पर हर बात कही जा सकती है, जैसे गवर्नर एडरैस पर भी कही गई है। तो जब वे बजट पर बोलेंगे, तो उस समय अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी दे दें। अब श्री बंसी लाल जी अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, हमीर असैम्बली के रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनैस के रूल 63 में जो लिखा है, मैं उसके कोट करता हूं :–

"Any member may, with teh permission of the Speaker make a persona explanation although there is no question before the Assembly: Provided that such explanation, if permitted, shall be made at the earliest possible opportunity before the business for the day is entered upon, and shall be limited to the circumstances which are the subjec of the explanation and no speech or debate thereon shall be allowed by the Speaker."

अध्यक्ष महोदय, अरलियैस्ट अनपर्च्यूनिटी मैरे लिए कल की थी और जब कल मैं अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के लिए बोलना शुरू करने लगा तो उससे पहले ही ये लोग खड़े हो गए। जब मैंने आपसे यह कहा कि मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं तो आपने उस वक्त यह कहा था कि आप मुझे कल पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के लिए टाईम देंगे। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि आज आप उस रूलिंग को क्यों रिवाईज करने जा रहे हैं? उस तरफ से भी पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने के लिए साथी खड़े होने लग रहे हैं ताकि मैं अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन न दे सकूं। ये मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन से डरते क्यों हैं? इनको मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन से इतना डर क्यों ले रहा है? इन्होंने हाऊस का जितना टाईम खराब किया है, इतने टाईम में तो मैं अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन दे चुका होता और अब तक बजट पर जनरल डिस्कशन शुरू भी हो गई होती।

चौ. जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। चौ. बंसी लाल जी ने कहा कि ये मेरी पर्सनल

एक्सप्लेनेशन से डरते क्यों हैं। स्पीकर साहब, हमें डरने की कोई बात नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि रूल्ज ऑफ प्रोसीजर एंड कंटक्ट औफ बिजनैस मे ंजा कुछ दिया हुआ है, उसके बारे में हमने आपसे अर्ज की थी। इसके बावजूद भी मेरी एक रिक्वैस्ट है और एक सुझाव भी है कि चूंकि आपने हमारे दो माननीय सदस्यों को यह कह दिया है कि उनके बारे में जो बातें कही गई थीं, वे एक्सपंज हो चुकी हैं, इसलिए उनको उन बातों पर कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अब यदि चौ. बंसी लाल जी अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहते है तो मेरा सुझाव है कि ये इस समय बजट पर बोलना शुरू कर दें और उस दौरान जो बातें कहना चाहें, वह कह दें इससे क्या फर्क पड़ता है। ये बजट पर भी बोल लेंगे और इनकी पर्सनल एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगी।

जेल राज्य मंत्री (कैप्टन अजय सिं यादव): स्पीकर साहब, इस तरह से तो चौ. बंसी लाल जी हाउस का समय खराब कर रहे हैं। (शोर)

Mr. Speaker: You please sit down. He has a right to speak.

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर पेश हुए धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई बहस का जवाब देते हुए मेरे ऊपर कुछ इल्जाम लगाए थे।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कि at this stage you are not allowed.

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड निकाल कर देख लें, मैंने इन पर कोई इल्जाम नहीं लगाया। ईराडी कमीशन ने जो कहा था, वह मैंने पढ़ कर सुनाया था। यदि ये उस बारे में कुछ कहेंगे तो वह मुझे आज फिर दोबारा पढ़ना पड़ेगा।

श्री बंसी लाल: आप उसको चार बार पढ़ दें मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री अध्यक्ष: क्या अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन देनी है?

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मैं पर्सनल एक्सप्लेनेशन ही दे रहा हूं। इन्होंने मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाए थे, मैं उनका जवाब तो दूंगा।

श्री अध्यक्ष: ठीक है, आप बोलें।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मुख्मयंत्री जी ने मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाए हैं, मैं उनका जवाब दूंगा।

चौ. भजन लाल: फिर तो आप जो बात कहेंगे, उसका मुझे भी जवाब देना पड़ेगा।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने इलैस्ट्रीसिटी बोर्ड के बारे में मेरे ऊपर इल्जाम लगाया और सी.ए. जी. की रिपोर्ट का एक हिस्सा भी इन्होंने पढ़ा। अध्यक्ष महोदय, इलैक्ट्रीफिकेशन का स्पैशल आडिट भी हो गया था और सैंट्रल

कैबिनेट की एक कमेटी ने सारी बातों पर गौर भी किया था, उसको देखने के बाद कोई गड़बड़ नहीं पाई गई है। इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड एक औटोनोमस बाडी है

इलैक्ट्रीसिटी बोर्ड ने जो इलैक्ट्रीफिकेशन किया था, उसमें किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि बंसी लाल चीफ मिनिस्टर बनने से पहले ब्रीफ लैस लायर थे। अध्यक्ष महोदय, मैं तो एक साधारण किसान का लड़का हूं। मैं न साहूकार था और न आज हूं। मगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो जरा ये अपने गिरेबान में भी मुंह डाल कर देख लें।

श्री जय प्रकाश: स्पीकर साहब, ये अपने समय को तो याद करें। (विध्न एवं शोर)

श्री अध्यक्ष: जयप्रकाश जी, आप बार–बार इन्टरफियर न करें। अगर बार–बार आप इन्टरफियर करेंगे तो आपको भी नेम किया जा सकता है।

श्री धीर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे सबमिशन है। विरोधी पक्ष के भाईयों को जिस ढंग से नेम किया गया है, उससे ज्यादा इन्टरफियर तो यह प्रकाश जी एक रहे हैं। मैंने कल हाउस में कोई ऐसी आपत्तिजनक बात भी नहीं कही थी लेकिन फिर भी मुझ को नेम कर दिया गया। आज जय प्रकाश जी और दूसरे साथी बार–बार चेयर की बात को नहीं मान रहे।

श्री अध्यक्षः धीरपाल जी, मैंने जब प्रकाश जी को बता दिया है कि उनको भी नेम किया जा सकता है।

श्री धीर पाल सिंहः स्पीकर साहब, मैं भी अपनी पार्टी का अध्यक्ष हूं। मैं आपकी रूलिंग चाहूंगा ताकि हमारे साथ कोई बेइंसाफी न हो।

श्री अध्यक्षः आप बैठिये, आपके साथ कोई बेइंसाफी नहीं होगी।

श्री बंसी लालः अध्यक्ष महोदय, 1989 में, मुख्यमंत्री जी पार्लियामेंट के मैम्बर थे या मंत्री थे, उन्होंने अपने मकान के बारे में कहा था कि वे उससे इन्कार नहीं करते कि उनका मकान नहीं है। मैं जो पढ़कर सुनाऊंगा वह रैलेवेंट ही पढ़ कर सुनाऊंगा। (विघ्न) इन्होंने राज्य सभा में 4 अगस्त, 1989 को कहा है –

''ईश्वर की कृपा से मैं भूखा नंगा भी नहीं हूं, यह आज की बात नहीं है, 7 पुश्तों से ईश्वर की कृपा है। आज की बात नहीं है कुछ भी, 500 एकड़ जमीन पाकिस्तान में छोड़कर आए हैं खानदान के लोग .....''

लेकिन जहां तक मेरा सवाल है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओम प्रकाश चौटाला ने, 4 अगस्त, 1989 को, एक सर्टिफाईड कापी हरियाणा के किसी आफिस से लेकर तमाम एम. पीज. को सर्कुलेट की थी। वह एक कापी मेरे पास भी आई। मैं भी एम.पी. था, इसके मुताबिक अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी के

फादर चौ. खिराज के नाम, बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट के, कोड़ा वाला गांव में साढ़े पांच एकड़ जमीन थी उसके बदले यहां पर साढ़े तीन एकड़ जमीन मिली थी। अध्यक्ष महोदय, इसका एक ही असली जवाब है कि मुख्यमंत्री जी की 495 एकड़ जमीन इस कागज में छुपा ली गई या कुछ औ बात है, उसका सदन में ये जवाब दे दें। हमारे पस तो न तो 500 एकड़ थी और न 500 बीघे जमीन थी। हम तो साधारण किसान हैं और इसका सबसे अच्छा इलाज यही हो सकता है कि जब मैं मुख्ममंत्री बना उससे पहले की और बाद की मेरी, मेरे कुटुम्ब की, मेरे नजदीकी रिश्तेदारों की सम्पति की जांच करा ली जाये। इसी तरह चौ. भजन लाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उससे पहले की और आज तक की इनकी, इनके कुटुम्ब की और इनके नजदीकी रिश्तेदारों की, यानी हमारी दोनों की सम्पति की जांच किसी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से करवा ली जाये ताकि रोज–रोज का यह झगड़ा ही खत्म हो जाए। क्योंकि ये कभी कुछ कहें और मैं कुछ कहूं। ऐसा होने पर हरियाणा की जनता को पता लग जाएगा कि ये क्या थे और मैं क्या था और आज ये क्या हैं और मैं क्या हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब सिटिंग जज से जांच हो जायेगी तो सारी पोजीशन कलीयर हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, ये कह रहे हैं कि इराडी कमीशन की ये फाईडिग्ज थीं। मैं वैसे तो इराडी कमीशन को मानता ही नहीं क्योंकि इराडी कमीशन तो मेरे खिलाफ मन बना कर बैठा था और चौ. भजन लाल भी सरकार की तरफ से एज गवाह उसमें आए थे। स्पीकर साहब, इराडी कमीशन के बारे

में, हिन्दुस्तान टाईम्ज अखबार दिनांक 13.5.1973 की एक कटिंग इत्तफाक से मुझे मिल गई है, इसमें लिखा है:–

11.00 बजे

"Keeping Bhajan Lal in Cabinet called "incredible".

"The action of former Haryana Chief Minister, Bansi Lal in retaining Mr. Bhajan Lal as a member of his cabinet for nearly five years despite criminal charges pending against him has been described by the Jagamohan Reddy Commission as "utterly incredible" and most extraordinary behaviour for a Chief Minister."

In his second report, indicting Mr. Bansi Lal on several counts, Mr. Justice P. Jagamohan Reddy has stated that "no Cabinet can function where the Chief Minister knows that his colleagues are indulging in criminal activities and are men without integrity or honesty."

"I am not much impressed by the philosophy of Sh. Bansi lal when he says that he took the view that he who comitted these offences will reap the consequences", the commission has stated.

The report, places before both Houses of Parliament yesterday, deals at length with the relationship between Mr. Bansi lal and his colleague and makes adverse commets on the manner of Mr. Bansi Lal's functioning.

Mr. Bansi Lal's counsel had questioned Mr. Bhajan Lal on the former's educational qualifications and on criminal

charges pending against him. Mr. Bhajan Lal had defended himself.

The report reproduced at length the questions and answers to establish the point that Mr. Bansi lal was aware that Mr. Bhajan Lal has charges of sumuggling and rape pending against him throughout Mr. Bhajan Lal's tenure as a member of Mr. Bansi Lal's Cabinet.

"Sh. Bansi Lal, inspite of the admission by Sh. Bhajan Lal that he was a smuggler and that a case of rape was pending against him, kept him in the Cabinet.

What is more astounding and surprising is that even when such allegations were pending against him he was given a Congress ticket for the State Assembly elections in February 1972 and after he was elected MLA he was again inducted into his Cabinet. he was retained as a Minister for five years after these serious allegations which Sh. Bansi Lal believed in and continued to believe in."

It was only after emergency that Mr. Bhajan Lal was dropped from the Cabinet, the commission noted."

अध्यक्ष महोदय, मैं तो कहता हूं कि जो इराडी कमीशन है, मैं उसको मानता ही नहीं। भजन लाल जी इस कमीशन को ज्यादा मानते हैं, इसलिए इनसे ताल्लुक रखने वाला जो पोर्शन है, वह तो इन पर लागू होना ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, एक बात मैं एम्फेसाईज करने कहना चाहता हूं कि जब से मैं मुख्यमंत्री बना हूं, तब से आज तक मेरे, मेरे कुटुम्ब और मेरे करीबी रिश्तेदार की

तथा चौ. भजन लाल जब से मिनिस्टर बने हैं उस दिन से आज तक इनके कुटुम्ब और जो इनके नजदीकी रिश्तेदार हैं, उन पर जो इल्जाम लगे हैं उनकी सुप्रीम कोर्ट के सिटिंज जज द्वारा इन्कवायरी करवा ली जाए ताकि मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। 4–6 महीने बाद सारी पिक्चर सामने आ जाएगी कि कौन क्या था और अब कौन क्या है?

कलैरिफिकैटरी स्टेटमैंट –

मुख्यमंत्री द्वारा

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): चौ. बंसी लाल जी ने पाकिस्तान में बहावलपुर रियासत में हमारी 500 एकड़ जमीन का जिक्र किया और कुटुम्ब की बात कही। पहली बात यह कही कि श्री औम प्रकाश चौटाला ने सर्टिफाईड कापी दी। (पिघ्न) अध्यक्ष महोदय, मेरे परिवार की जमीन 3 गांवों में थी। रियासत बहावलपुर से बहुत से लोग उजड़ कर आए हैं। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, बहावलपुर स्टेट का रिकार्ड उन्होंने हिन्दुस्तान को नहीं दिया। बहावलपुर में कोड़ांवाली, धर्मपुरा और खिजुरी जाटी यानी तीन गांवों में हमारे परिवार की जमीन थी। बहावलपुर स्टेट से रिकार्ड नहीं मिला। बड़े भाई लड़ते रहे लेकिन किसी को भी रिकार्ड नहीं मिला। बहावलपुर स्टेट के नवाब ने यह कह दिया कि जो लोग वहां से उजड़ कर आए थे, वे उस जमीन के मालिक नहीं थे बल्कि वे उस जमीन थी, बहावलपुर स्टेट वालों को बड़ी मुश्किल

से, उसकी 1/3 हिस्से से भी कम जमीन यहां हिन्दुस्तान में अलाट की गई। यहजमीन हलफीया बयान और ऐफिडेविट लेकर दी गई। अध्यक्ष महोदय, ये जो बेबुनियाद बातें करते हैं, इनका कोई मतलब नहीं है।

श्री बंसी लाल: अगर आपको 1/3 हिस्सा मिला तो साढ़े पांच एकड़ का कितना हुआ?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, साढ़े पांच एकड़ इन्होंने एक गांव की जमीन बतायी है परन्तु मैं तीन गांवों की जमीन के बारे में कहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस बात को कोई मतलब नहीं है, जिस बात की कोई तुक नहीं है उसके बारे में क्या कहना है?

दूसरे, इन्होंने कहा कि उनके और उसके कुटुम्ब की, भजन लाल और उसके कुटुम्ब की जायदाद के बारे में कोई भी सिटिंग जज से जांच करा लें। मेरी और मेरे कुटुम्ब की तो जांच एक कमीशन ने कर ली। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरे खिलाफ लिखकर दिया और जसबन्त सिंह कमीशन जांच के लिए बैठा। कमीशन ने एक–एक बात की जांच की और भजन लाल को बरी कर दिया। आज तक अगर किसी को कमीशन ने बरी किया है तो उसका नाम भजन लाल है। अब बंसी लाल जी तो कहते हैं कि कमीशन की बात को वे नहीं मानते हैं। जुडिशियरी के वकील होकर भी आप यह बात करते हैं कि मैं कमीशन की बात को नहीं

मानता, आपको शोभा नहीं देता। अध्यक्ष महोदय, जो उस कमीशन ने कहा है मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं।

श्री सतबीर सिंह कादयान: आप तो ग्रेवाल कमीशन को भी नहीं मानता हैं।

चौ. भजन लाल: हम सब की बात मानते हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने इनके खिलाफ श्री जगमोहन रेड्डी नाम के जांच कमीशन का गठन किया। कई लोगों ने इनके खिलाफ लिखकर दिया कि इनके खिलाफ इन्कवायरी की जाए। उस कमीशन ने बाकायदा लोगों के एफिडेविट लिए। एफिडेविट लेने के बाद कमीशन ने सुरजीत सिंह डी.एस.पी. के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया। इसके अलावा 21 हलफिया ब्यान ओर 10 स्टेटमेंटस बाकायदा रिकार्ड की गई। कम्पट्रोलर एंड आडिटर जनरल, भारत सरकार के जांच करने के उपरान्त बाकायदा ड्राफ्ट पैरा बना। यह नहीं कि यह कोई फर्जी बात हो। अध्यक्ष महोदय, पैरा तभी बनता है जब उसमें कुरप्शन की बात साबित हो जाती है। तो इनके खिलाफ जो चार्जिज लगाए गए कि ''मुख्यमंत्री महोदय के कहने से मैसर्ज हरियाणा कंडक्टर से विच्छेदित संबंध फिर बहाल किए गए।'' श्री कुन्दन लाल डाबरी वाला के अधूरे टैन्डर को स्वीकार कर लिया गया क्योंकि इस फर्म के चौ. बंसी लाल के साथ नजदीकी संबंध थे। जांच के बाद वह कमीशन कहता है कि खराब पोल स्वीकार कर लिए गए।

श्री अध्यक्ष: यह रिपोर्ट हिन्दी में है या अंग्रैजी में है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह अंग्रेजी में है। मैं आपको पेज नम्बर भी बता दूंगा कि किस पेज पर क्या लिख है? अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष पी.सन. साहनी बिजली बोर्ड ने सितम्बर, 1969 में इन्डियन ऐलमोनियम केवल कम्पनी एण्ड इक्युपमैंट सेल्ज कारपोरेशन के प्रतिनिधी श्री बी.एम. पटेल के साथ मुख्यमंत्री के आदेश पर एक पैकेज डील की जिससे इस फर्म को नाजायज फायदा दिया गया।

चौथी बात, अध्यक्ष महोदय हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने, मुख्यमंत्री जी के कहने पर श्री जीया लाल जैन को आदेश दिया कि 20 लाख रूपए श्री एस.एस. अटवाल को स्ट्रक्चरल फैक्टरी के लिए सीमेंट के पोल बनाने के लिए दे दें। उसके मना करने पर उनको बोर्ड से हटा दिया गया। अध्यक्ष महोदय, कमीशन यह भी कहता है कि मुख्यमंत्री के दबाब के कारण भिवानी में मैसर्ज पैलोफिल फर्म को सिन्थैटिक व नाइलोन के रस्सों का आर्डर दे दिया गया। मुख्य मंत्री इस फर्म के 11वें महीने 1967 से एक जनवरी 1972 तक पार्टनर थे। सर्वश्री एस.एस. अटवाल डाबरीवाला और सुरजीत सिंह कैरों को सिंचाई एंव बिजली मंत्री की सिफारिशों को नजरअन्दाज करके अनुचित फायदा पहुंचाया गया। श्री पी.एन. साहनी, अध्यक्ष बिजली बोर्ड को राज्यपाल महोदय से सीधी ऐक्सटैन्शन दिलवा दी गयी। अध्यक्ष महोदय, हलफिया बयानों, स्टेटमैंटों और जांच से यह निश्कर्श निकलता है

कि सामा को खरीद लेने में अनियमिततायें बरती गई हैं। विभाग द्वारा नियत की गई विधियों को नजरअन्दाज करके निर्णय लिए गए हैं। कई बार बिना किसी ठोस कारण से नीति में परिवर्तन किए गए हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, डी.एस.पी. की टीम ने बाकायदा यह रिपोर्ट रेड्डी कमीशन को दी है। अध्यक्ष महोदय, मैसर्ज हरियाणा कंडक्टर से विच्छेदित संबंधों को बहाल करके बिजली की तारें खरीदी गयीं। इनकी पुरानी परफारमैंस को ताक पर रखकर मैसर्ज इंडियन एल्युमिनियम केवल कम्पनी और इक्युपमैंट सेल्ज कारपोरेशन के साथ पैकेज डील किये गये, प्रावधानों को नजरअन्दाज करके सीधी बातचीत के द्वारा आर्डर दिये गये। इंडियन ऐल्योमिनियम कम्पनी को नाजायज प्राइस दी गयी जिसकी वह हकदार नहीं थी। इसके अलावा, मैसर्ज जैन एंड इनवैस्टमैंट एंड इंडस्ट्रियल कम्पनी को विशेश छूट देते हुए सीमैंट के खम्भों के आर्डर दिये गये जबकि इस फम्र ने न तो टैंडर डौकुमैंट खरीदे ओर न ही इसका टैंडर पूरा था। साथ ही हरियाणा स्ट्रक्चर इंजीनियर कम्पनी से खराब परफोरमैंस के बावजूद माल खरीदा गया। कम्पनी की बिना वजह पुनः समीक्षा करायी गयी। नायलोन सस्ते–मंझोले रस्से की जगह भिवानी की फर्म, जिसमें ये स्वयं पार्टनर थे, पैलोफिस से मंहगे नायलौन के रस्से खरीदे गये। अध्यक्ष महोदय, टोटल परचेजिज 48 करोड़ 57 लाख रूपये की, की गयी। इसमें भी वह आगे कहते हें कि कंडक्टर्ज में 1.5 करोड़ रूपये का, ट्रांसफारमर में 2.5 करोड़ रूपये का, सीमेंट के पोल में 20 लाख रूपये का, मीटर्ज में 90

लाख रूपये का, केबल्ज में 30 लाख रूपये का तथा अन्य सामानों में 60 लाख रूपये का घपला हुआ। इस तरह से टोटल 6 करोड़ रूपये का नाजायद फायदा चौ. बंसी लाल जी ने लोगों को पहुंचाया। (विघ्न) इन्होंने पता नहीं कहां–कहां से अखबार में से उठाकर पढ़ दिया। चौ. बंसीलाल जी आप नोट कर लें और आपको याद रहेगा। इसी रिपोर्ट में पेज न. 103 पर रेड्डी कमीशन क्या कहता है? वह कहता है कि यह एक मिसाल है कि सत्ता के नशे में चूर होकर एक मुख्यमंत्री किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है तथा अन्य लोगों को भी इस तरह से भयभीत कर सकता है ताकि वे अपने कर्त्तव्यों का पालन ठीक तरीके से न कर सकें। आगे पेज नं. 166 पर इरेड्डी कमीशन कहता है कि 9 सितम्बर 1991 में श्री बंसी लाल ने तीन डाक्टरों को सस्पैंड कर दिया और वह भी फाईल को अच्छी तरह से देखे बिना। डा. पी.आर. सोंधी, डायरैक्टर हैल्थ सर्विसिज की भी इन्होंने फाईल नहीं देखी जिसमें किसी डाक्टर को टी.बी. क्षेत्र में ट्रेनिंग के लिए जाना था, क्योंकि डा. सोंधी उस डियूटी पर थे। इसके अलावा, डा. बिरमानी को भी सस्पैंड कर दिया और कुछ दिनों के बाद फिर बहाल कर दिया। उसके बाद दूसरे डिप्टी डायरैक्टर डा. चौपड़ा को भी सस्पैन्ड कर दिया। इस पर टिप्पणी करते हुए इरेड्डी कमीशन ने लिख है कि मेरे विचार में विभाग के अधिकारियों को निलम्बन किया जाना .....(विघ्न)

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। मुख्यमंत्री जी पहली वाली को ही दोहरा रहे हैं।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ये सुनने की तो कृपा करें। यह बात नयी है। निलम्बल किया जाना एक ऐसे व्यक्ति का आचरण दर्शाता है, जो सत्ता हो हज्म नहीं कर सकता और अपने घमंड का प्रदर्शन करता है। यह व्यक्ति न किसी कानून को रूकावट मानता है और न किसी प्रोसीजर को मानता है तथा न किसी और बात को मानता है। अध्यक्ष महोदय, आगे इरेड्डी कमीशन कहता है कि श्री बंसी लाल के आचरण से यह कहावत याद आ जाती है कि ''अन्धेर नगरी चौपट राजा'' फांसी के फंदे पर जिसकी गर्दन आ सके, उसी को फांसी लगा दी जाए। कसूर किसी अन्य व्यक्ति का हो लेकिन अगर मोटी गर्दन वाला व्यक्ति बेकसूर भी हो तो उसी को फांसी लगा दी जाए क्योंकि कसूरवार व्यक्ति की गर्दन पतली है। यह बात रेड्डी कमीशन है भजन लाल नहीं कहता।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, चौ. भजन लाल ने एक बात तो यह कही कि इनकी प्रोपर्टी और इनके खानदान की प्रोपर्टी की जांच तो कमीशन कर चुका है। मेरे खिलाफ चार कमीशन बैठे और चार में से तीन की रिपोर्ट तो पार्लियामैंट में हाउस की टेबल पर रखी गई और एक हरियाणा विधान सभा मे सदन की टेबल पर रखी गई। तो जरा मुख्यमंत्री जी, अपनी और अपने खानदान की इन्कवायरी रिपोर्ट की फाईल भी इस सदन की

टेबल पर रख दें। कमीशन की रिपोर्ट चाहे असैम्बली में आए, चाहे पार्लियामैंट में आए, जिस गवर्नमैंट ने कमीशन बैठाया है, उसको रिपोर्ट आएगी। इनकी जांच–पड़ताल जो कमीशन ने की हे, उसकी रिपोर्ट हाउस की टेबल पर रख दें ताकि हम भी देख सकें कि ये सच कितना बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री जी, इन बातों को कितनी सच्चाई से पढ़ रहे हैं, शायद यह उतनी ही सच्चाई है जितनी 500 एकड़ और साढ़े 5 एकड़ जमीन में फर्क है ये इसी प्रपोरेशन में सच बोल रहे हैं और यह बात मैं ही नहीं कह रहा बल्कि इनके डिसीडैन्टस ने अपनी करनाल रैली में यह कहा है कि हरियाणा में जो भ्रश्टाचार हे, अगर उसको खत्म नहीं किया गया तो एजीटेशन करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, इनके खिलाफ एलिगेशन की जो लिस्ट है, उसमें भ्रश्टाचार का भी एक चार्ज था।

श्री अध्यक्ष: चौ. बंसी लाल जी, यह तो पौलिटिकल बात है। Now, it is over.

ध्यानाकर्शण प्रस्ताव –

यमुनानगर के पेपर मिल, चीनी मिल, शराब का कारखना इत्यादि का जहरीला पानी पश्चिमी यमुना नगर में जाने से रोकने संबंधी

Mr. Speaker: Hon'ble members, I have received a Calling Attention notice given notice of by Sh. Lehri Singh regarding the poisonous water of Paper Mill, Sugar Mill, Brewery etc. in Yamunanagar, which is flowing in the Western

Yamuna Canal. I admit it. Sh. Lehri Singh may please read his notice. (interuptions)

साथी लहरी सिंह: मैं इस महानसदन का ध्यान एक अत्यावश्यक लोक महत्व के विशय की ओर दिलाना चाहता हूं कि यमुनानगर के बड़े कारखानों जैसे कि पेपर मिल, शूगर मिल, शराब का कारखाना, इत्यादि का जहरीला पानी पश्चिमी यमुना नहर में डाला जा रहा है। इस दूशित पानी को पीने से रादौर के इलाके एंव शहर में हजारों पशुओं को जान से हाथ धोना पड़ा और हर साल सैंकड़ों पशु इसके शिकार हो रहे हैं। शहर में और आस पास के गांव में इसकी गन्दगी से एवं जहरीली गैर से कई खतरनाक बीमारियां भी फैल गई हैं। पश्चिमी यमुना नहर में जहरीली पानी के सिवाए स्वच्छ पानी कभी नहीं आता। सरकार इस जहरीली गेस एवं गन्दगी में रह रहे ग्रामीणों एवं शहरियों की दूभर जिन्दगी को ध्यान में रखते हुए इलाके की भोली जनता की जिन्दगी के साथ हो रहे खिलवाड़ से उसे तुरन्त राहत दिलाएं। अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह इस संबंध में सदन में एक वक्तव्य देकर अपनी स्थिति स्पश्ट करें।

Mr. Speaker: Now, I would request the Forest Minister to make a statement.

वक्तव्य –

वन मंत्री द्वारा उपर्युक्त ध्यानाकर्शण प्रस्ताव सम्बन्धी

Forests Minister (Rao Inderjit Singh): The following big factories of Yamuna Nagar are releasing their waste water into Western Yamuna Canal through a local nallah down steam of Yamuna Nagar head Regulator:-

1. Ballarpur Industries Ltd., Yamuna Nagar.

2. Sarswati Sugar Mills, Yamuna Nagar.

3. Haryana Distillery, Yamuna Nagar.

In addition to above industries other smaller units also discharge their effluent through nallah into the Western Yamuna Canal.

The total waste water discharged by the above mentioned three big factories is approximately 62000 kilo litres per day.

As regards effluent status of these units, M/s. Ballarpur Industries, Yamuna Nagar had installed complete effluent Treatment Plant in December, 1986 wiht a capital cost of Rs. 1.53 crores. The waste water dischaged by M/s. Ballapur Industries. Ltd., is meeting the permissible limits laid down by the Board. M/s. Sarswati Sugar Mills, Yamuna nagar had also installed complete effluent treatment plant during 1985-86 with a total cost of Rs. 54.00 lacs. The waste water after treatment is meeting the standards fixed by the Board. M/s. Haryana Distrillery Yamuna Nagar has also installed primary effluent treatment plant with a total cost of Rs. 1.25 crores about two years back. The BOD level has been reduced from 40000 mg/1 to 3000 mg/1 and the Board had

launched prosecution against this factory under Water & Air Act as the results are not upto the standards.

The waste water of the above three units amongst others is being discharged into a local nallah which joins Western Yamuna Canal. the BOD value of the nallah waste water is about 250 mg/1 which is because of industries located at Yamuna Nagar and seserage effluent of city Yamuna Nagar and Jagadhir. the quantity of water in Western Yamuna Canal is being monitored by the Board regularly in association with the Central Pollution Control Boards and quarterly data is being setn to them. Test results of Western Yamuna Canal at 100 meters down streams of the Nallah show BOD value 4.2 mg/1. This is due to release of fresh water from Yamuna Nagar Head Regulator into Western Yamuna Canal.

However, during no flow period the effluent of nallah stagnates in the Western Yamuna Canal and higher values of BOD are expected mainly because of untreated effluent of Municipal Sewerage of Yamuna Nagar and Jagadhri Towns. Under Yamuna action Plan complete treatment plants have been proposed for Yamuna Nagar and Jagadhri towns which will reduce the BOD concentration to the desired limits of 30 mg/1.

Regarding Air Pollution, M/s Ballarpur Industry Yamuna Nagar is using about 650 M.T. steam/had coal per day. The unit has provided on electrostatic precipitator and multicyclone to control the Air Pollution. Three more electrostatic precipitators are going to be installed to further reduce the Air Pollution. M/s. Sarswati Sugar Mills is using 200 M.T. bag gases per day as fuel. The unit has providen

multicyclone system at the cost of Rs. 40.00 lacs. M/s. Haryana Distillary has provided multicyclone and wet scrubber at the cost of Rs. 4.00 lacs.

The apprehension of Sh. Lehri Singh, M.L.A. regarding diseases dose not seem to be well founded. The Director, Health Services and Director, Animal Husbandry Haryana have both informed the board that there are no unusual water-bore diseases or casualties due to release of waste water from big factories in this District when compared with other Districts.

साथी लहरी सिंह: स्पीकर सर, अभी मंत्री जी ने अपने जवाब में कंट्राडिक्शन की है। सबसे पहले तो उन्होंने यह काह है कि यमुनानगर शूगर मिल, पेपर मिल और हरियाणा डिस्टिलरी, इन तीनों ने वाटर ट्रीटमैंट प्लांट लगा लिये हैं ओर वाटर ट्रीटमैंट प्लांट लगाने के बाद पानी साफ आ रहा है। यह सर्टिफिकेट तो इन्होंने दे दिया लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि प्रौसीक्यूशन भी लांच की गयी है। आप देखिये, अपने ही जवाब को ये कन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। कितना बड़ा डिफरैंस है? दूसरी बात यह है कि इतनी जल्दी हैल्थ डिपार्टमैंअ से भी और पशु पालन विभाग से भी सर्टिफिकेटस ले लिये हैं कि अब जान–माल का कोई खतरा नहीं है। दूसरे जिलों की तुलना में यहां पर कोई ज्यादा बीमारी नहीं हुई है। मैं सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि वहां पर नलके से जो पानी निकलता है, वह भी जहरीला होता है और उस पानी को लोग पी नहीं सकते। आप 10 दिन तक अपने डंगरों को

पानी पिलाकर देखें या 10 दिन तक स्वयं पीकर देखें, तो सेहत पर अवश्य ही कोई न कोई फर्क पड़ जायेगा। मैं इस बारे में स्पश्टीकरण चाहता हूं कि जिनका प्रोसीक्यूशन चल रहा है, उनका क्या इन्तजाम कर रहे हैं और वह कब तक पूरा हो जाएगा? वहां पर जहरीला पानी है और इससे प्रदूशण फैल रहा है। इस नजरिए को सामने रखकर उन फैक्टरीज को बन्द कर दिया जाए, चाहे वे इंटस्ट्रीज हिमाचल में हैं, चाहे हरियाणा में हैं, जहरीला पानी लोगों को नहीं मिलना चाहिए। स्वच्छ पानी का इन्तजाम करना आवश्यक है। स्पीकर साहब, वैस्टर्न जमुना कैनाल में साफ पानी डाला जाए जिससे कि वह साफ पानी पीने के लिए तथा खेती के लिए काम आ सके।

राव इन्द्रजीत सिंहः स्पीकर साहब, मैंने प्रोसीक्यूशन के बारे में जरूर कहा है और तीन इंडस्ट्रीज का जिक्र हुआ है। श्री लहरी सिंह ने कहा कि मैंने अपने जवाब में कन्ट्राडिक्शन की है। स्पीकर साहब, मैंने कहा है कि दो इंडस्ट्रीज मैसर्ज बलारपुर उद्योग लि. यमुनानगर और मसर्ज सरस्वती शूगर मिल्ज, यमुनानगर ने ऐफलुएन्ट प्लांट लगा दिए हैं और ये दोनों हमारे हिसाब से ठीक हैं। जहां तक हरियाणा डिस्टिलरी, यमुनानगर का ताल्लुक है, उसमें दो वर्श पहले ऐफलुऐन्ट ट्रीटमैंट प्लांट लगाए हें और बी. ओ.डी. का लैवल चालीस हजार मिलिग्राम से घटकर तीन हजार मिलिग्राम प्रति लीटर आ गई है, लेकिन यह तीन हजार भी ज्यादा है। हमारे हिसाब से दो सौ से तीन सौ तक होना चाहिए, इससे

ज्यादा नहीं होना चाहिए और उसको कम करने के लिए बोर्ड ने प्रोसीक्यूशन प्रोसीडिंग्ज लांच कर रखी हैं।

जहां तक इस बात का ताल्लुक है, जैसा कि इन्होंने कहा कि इतनी जल्दी सर्टिफिकेट कैसे ले लिया, स्पीकर साहब, इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसी काम को करने का मन हो और शीघ्र करना चाहे, तो रात–दिन काम करके काम पूरा किया जा सकता है। इसी तरह से रादौर म्युनिसिपल कमेटी के बारे में जिक्र किया कि वहां पर बीमारियां फैल रही हैं और लोग मर गए हैं। इस बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इस साल जनवरी से लेकर आज तक कुल मिलाकर रादौर म्युनिसिपल कमेटी एरिया में ग्यारह मौतें हुई हैं। इनमें से सात ओल्ड एज की वजह से मरे हैं, एक टी.बी. की वजही से मरा है, एक अस्थमा की वजह से मरा है, एक दिन के रोग से मरा है और एक डायरिया की वजह से जहां तक गांवों में मरने वालों का ताल्लुक हे, उसके बारे में मैं बता देता हूं कि रादौर पुलिस स्टेशन के एरिया की पी.एच.सी. ने कहा है कि एक आदमी पानी में डूब जाने के कारण मरा है, पानी पीने के कारण नहीं मरा है।

स्पीकर साहब, यह बात ठीक है कि इस कैनाल के अन्दर जिस समय डिस्चार्ज नहीं होता, उस समय पानी खड़ा होता है और उसमें गन्दगी हो जाती है। इस तरफ सरकार का ध्यान है। जिस समय पानी नहीं चल रहा होता तो गन्दा पानी खड़ा हो जाता है लेकिन अभी तक पानी गन्दा होने के कारण कोई मौत

नहीं हुई है। हम इस कात को टेक–अप कररहे हैं और सिवरेज ऐफलुऐन्ट ट्रीटमैंट प्लांट लगाकर इस समस्या को हल करेंगे। एक बात को चौ. लहरी सिंह जी ने और जिक्र किया है कि हिमाचल प्रदेश के अन्दर भी प्रदूशण फैलाने वाली कुछेक इंडस्ट्रीज ऐसी हैं, जिनको बन्द किया जाना चाहिये। हिमाचल प्रदेश की इंडस्ट्रीज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं हैं जहां तक हमारे प्रान्त की इंडस्ट्रीज का ताल्लुक है, उस बारे में हम पूरी तरह से सजग हैं ताकि प्रदेश को कोई नुकसान न हो। इस बारे में हम पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं।

चौ. फूल चन्द मुलाना: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय के नोटिस में लाना चाहता हूं कि मारकण्डा रिवर से भी काफी प्रदूशण होता है, उसको भी रोकने का प्रबनघ किया जाना चाहिये। (शोर)

श्री अध्यक्ष: मुलाना साहब आप सप्लीमैंट्री न करें। आप बैठिये।

साथी लहरी सिंह: अध्यक्ष महोदय, वास्तव में मंत्री महोदय ठीक नहीं फरमा रहे हैं कि एक आदमी डूबने से मरा है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वहां पर पानी जहरीला होने की वजह से वह आदमी मरा, न कि डूबने के कारण। अगर पानी जहरीला न होता तो शायद वह न मरता। मेरा इस बारे में सरकार से निवेदन है कि इस पानी को किसी और बड़ी नदी में डाल दिया

जाए तो बेहतर रहेगा ताकि लोग व डंगर न मरें और न ही उस इलाके की फसल ही बरबाद हो।

श्री अध्यक्षः लहरी सिंह जी, यमुना ऐक्शन प्लाट की बात के बारे में तो इन्होंने एश्योर किया है कि इस काम को सबसे पहले टेक–अप करेंगे।

विभिन्न ध्यानाकर्शण सूचनाओं के बारे मे माननीय अध्यक्ष द्वारा सम्बन्धित सदस्यों को सूचना देना

प्रो. छत्तर सिंह चौहानः अध्यक्ष महोदय, मेरा और चौ. अमर सिंह जी का एक काल अटैन्शन नोटिस था, उसका क्या बना? (शोर)

श्री अमर सिंहः स्पीकर साहब, एक नोटिस हमारा मैडीकल कालेज, रोहतक में इररैगुलैरेटीज व रूल्ज और रैगुलेशन की वायलेशन के बारे में था और दूसरा एस.डी. हाई स्कूल के बारे में था।

श्री अध्यक्षः हां। चौ. अमर सिंह जी और प्रोफेसर छतर सिंह चौहान जी की तरफ से मैडिकल काजेल में रूल्ज और रैगुलेशंज की वायलेशन के बारे में काल अटैन्शन नोटिस मिली थी, वह डिस–अलाऊ कर दी है। जहां तक एस.डी. स्कूल के बारे में काल अटैन्शन मोशन का ताल्लुक है क्योंकि यह मामला भी सबजुडिस है, इसलिये इसे भी डिसअलाऊ कर दिया गया है।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, वह सब–जुडिस कैसे है? यह बहुत जरूरी नोटिस है। वहां पर मर्डर होने का डर है। मुख्यमंत्री महोदय इस बात को जानते हैं ओर उनके पर्सनल नौलेज में भी है। गड़बड़ होने का अन्देशा है। भिवानी और दूसरे आस–पास के गांव के लोग इस बात से भड़के हुए हैं क्योंकि एक ही आदमी ने उस स्कूल पर कब्जा कर रखा है और मैनेजमैंट का कोई झगड़ा नहीं है। केवल एक टीचर ने ही मैनेजमैंट के खिलाफ झगड़ा छेड़ रखा है।

श्री अध्यक्ष: आप यह मामला लिखकर इनके नोटिस में लाएं।

प्रो. छतर सिंह चौहान: स्पीकर सर, मेरी आपसे सबमिशन है कि यह मामला बड़ा ही गंभीर है। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सब–जुडिस कैसे शायद इस बारे में आपको किसी ने गल्त रिपोर्ट दी है। सरकार की ओर से जो आपको जवाब मिला है, वह ठीक नहीं है। आप इसकी अच्छीं तरह से पड़ताल करें। यूं ही हाउस को मिड–गाईड किया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष: आप लिखकर के इनके नोटिस में लाएं। इस तरह से काल अटैन्शन नोटिस के द्वारा सभी मसले हल नहीं हुआ करते। (शोर)

साथी लहरी सिंह: स्पीकर साहब, मेरी भी एक काल अटैन्शन मोशन था। उसका क्या फेट है?

श्री अध्यक्ष: लहरी सिंह जी, आपको कोई काल अटैन्शन मोशन नहीं है। आपके कब दिया था?

साथी लहरी सिंह: इन्हीं के साथ ही दिया था। एक्सपोर्ट क्वालिटी का जो चावल 40 रूपये पर किलो का था, उसमें किसी ने 10 रूपये किलो का चावल मिला दिया जिससे इस देश व प्रदेश की छवि बिगड़ी है और हमें लगभग 100 करोड़ रूपये की विदेशी मुद्रा का नुक्सान हुआ है। वह मेरा काल–अटैन्शन मोशन था।

श्री अध्यक्ष: लहरी सिंह जी, आप का यह कहा अटैन्शन मोशन डिस–अलाऊ कर दिया है। आप इस बारे में बजट स्पीच मैं कह लेना।

Sh. Chhattar Singh Chauhan: Sir, I have also given a notice of calling attention motion concerning the medical college, Rohtak. I want to know the fate of my notice?

Mr. Speaker: That has been disallowed as the matter is sub-judice.

Hon. Members, I have received notice of calling attention motion from Sh. Karan Singh Dalal, M.L.A. regarding non-observing of pollution ruels by the new industrial units and milk plant being set upt around Palwal city. This notice has been admitted for 4th March, 1993.

I have also received another calling attention motion from Sh. Karan Singh Dalal, M.L.A. regarding damage

of mustard crop due to dissease 'chepa' in district Faridabad. This notice has also been admitted for 9th March, 1993.

I have also received a notice of calling attention motion from Sh. Karan Singh Dalal, M.L.A. regarding cracks which have developed in the houses of Palwal city. The comments are being asked in respect of this notice from the Government.

नियम 104 का निलम्बन तथा सदन की सेवा से सदस्यों का निलम्बन

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra): Sir, with your permission, I beg to move –

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Sarvshri Sampat Singh and Ramesh Kumar.

Mr. Speaker: Motion moved –

That Rule 104 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the House be suspended in its application to the motion regarding suspension of Sarvshri Sampat Singh and Ramesh Kumar.

श्री धीर पाल सिंह (बादली): अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मंत्री जी ने जो मोशन मूव किया है, इससे ऐसा जाहिर होता है कि सरकार की बदनीयती और सोची समझी साजिश के तहत, विरोधी पक्ष के विधायकों के अधिकार छीनने की

कोशिश की जा रही है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि पीछे पार्लियामैंट में सोमवार को जिस ढंग से चर्चा हुई, उसको देखते हुए हाऊस को बार–बार एडजर्न करना पड़ा। एक दिन में तीन–तीन और चार–चार बार सदन को स्थगित करना पड़ा लेकिन यहां पर नेहरा साहब, और तरीके से हाउस को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर साहब, हम अपनी बात केवल आपको ही कह सकते हैं। लोकतन्त्र में हाऊस एक ऐसा प्लेटफार्म है जहां ट्रेजरी बैंचिंज और विरोधी पक्ष साथ–साथ बैठकर प्रदेश के हितों की चर्चा कर सकते हैं। आज जिस ढंग से हमारे अधिकार छीनने की कोशिश की जा रही है, यह लोकतन्त्र की हत्या है। मेरा आपसे नम्र निवेदन है और आशा करते है कि इस प्रसताव को वापिस लिया जाए और विरोधी पक्ष के नेता श्री सम्पत सिंह तथा रमेश कुमार की सस्पैन्शन को रिवोक करने का कश्ट करें।

श्री वीरेन्द्र सिंह (नारनौंद): स्पीकर साहब, पार्लियामैंटरी अफैयर्ज मिनिस्टर ने रूल 104 के तहत मोशन मूव किया है। यह रिकार्ड की बात है कि श्री सम्पत सिंह जी और श्री रमेश खटक को नेम किया गया है, परन्तु डिस्क्रिशन फिर भी आप की है। यदि आप चाहें और जरूरी समझते हैं, for proper conduct of business in the House and to maintain order in the House. कि ये दोनों मैम्बर साहेबान फार दि रिमेंडर औफ दि सैशन हाउस में न रहें तो भी आपकी इच्छा लेकिन अदरवाइज, डिस्क्रिशन भी आप में ही वैस्ट करती है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप उनका कंडक्ट

आबजर्व करें। वे दो बार नेम होने के पश्चात इन बिटविन दि टाईम स्पैंट टु मूव दि मोशन ऐसी कोई इवैन्चुअलिटी नहीं आई। ऐसा कोई औकइयन अराईज नहीं हुआ है कि आप इस नतीजे पर पहुंचें कि अब वे मैम्बर साहेबान हाउस में रहने के काबिल नहीं हैं और आप ऐसी डायरैक्शन दें कि उनको बाकी पीरियड के लिए हाउस से एक्सपैल किया जाए। ऐसा कोई ओकेजन इस टाईम गैप में अराईज नहीं हुआ है। मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस मोशन को वापिस लें। सरकार तो शायद इस मोशन को विदड्रा न करे परन्तु यह डिस्क्रिशन आप में वैस्ट करती है, इसलिए आप अपनी डिस्क्रिशन का इस्तेमाल करके उन मैम्बर साहेबान को हाउस में रहने का मौका दें। यह मेरी आपसे गुजरिश है।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, यह मोशन रूलिंग पार्टी की तरफ से लाया गया है। डैमोक्रेसी है ओर हम डैमोक्रेटिक कांस्टीच्यूशन के तहत फंक्शन कर रहे हैं। आप किसी सदस्य को नेम भी कर दें तो वह बाहर चला जाता है। पार्लियामेंट में ऐसा होता है कि अगर चेयर किसी सदस्य को नेम कर दे तो एक बार वह सदस्य दरवाजे से बाहर चला जाए और फिर भीतर आ जाए तो कोई रूकावट नहीं है। जो आदमी इन ट्रेजरी बैन्चिज पर बैठेगा उनकी बात तो सुननी ही पड़ेगी। क्यों सुननी पड़ेगी, वह इसलिए सुननी पड़ेगी क्योंकि उसकी जनता के प्रति जिम्मेदारी है। सरकार की तरफ से रूल 104 के तहत मोशन लाने से सरकार की

ही बदनामी होगी, किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसलिए ग्रेस इसमें है कि लीडर औफ दी अपोजीशन और उनके साथी को आज ही हाउस में बुला लिया जाए ताकि वे डिस्सकशन में भाग ले सकें। अगर आप पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी में, इस प्रकार की छोटी–छोटी बातों में कायदे कानून को लेकर खड़े हो जाओगे कि यह भी नहीं चले, यह भी नहीं चले तो यह ठीक बात नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे भी प्राथ्रना करता हूं और रूलिंग पार्टी को सुझाव देता हूं कि आप ऐसा तरीका एडाप्ट न करें क्योंकि इससे किसी को फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा करने से हाऊस की गरिमा को नुक्सान पहुंचता है। इसमें किसी किस्म का कोई गेन आपको नहीं होने वाला है। अगर लीडर औ दि अपोजिशन और उनके साथी हाउस में आ गए तो उनके आने से इनकी सरकार टूटने वाली नहीं है। वे थोड़ी सी खरी और करारी बात कह देते हैं, इससे इनको चिढ़ना नहीं चाहिए। अगर खरी–खोटी कोई बात कही जाए तो रूलिंग पार्टी को उसे बर्दाश्त करना चाहिए क्योंकि रूलिंग पार्टी का क्रिटिसीज्म तो होना ही है। इनकी प्रदेश को चलाने की जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा और रूलिंग पार्टी के साथियों को सुझाव दूंगा कि वह इस किस्म का मोशन हाउस में न लाएं।

चौ. जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, मेरे विरोधी साथी और बुजुर्ग चौ. बंसी लाल जी, श्री धीरपाल सिंह जी चौ. वीरेन्द्र सिंह जी ने अपनी–अपनी बातें कहीं लेकिन स्पीकर साहब, मैं एक

बात कहना चाहूंगा कि जब चौ. बंसी लाल जी मुख्यमंत्री थे तो उस समय चौ. हरद्वारी लाल जी ने इनकी इच्छा मुताबिक सवाल नहीं पूछा, उसकी वजह से इन्होंने उस समय चौ. हरद्वारी लाल जी को असैम्बली से निकाल दिया था। हम तो उनको रैस्ट औफ दि सैशन के लिए बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। इन्होंने तो चौ. हरद्वारी लाल जी का असैम्बली से ही पता काट दिया था। आप सभी समझते हैं कि चौ. हरद्वारी लाल जी हरियाणा में काफी पढ़े–लिखे और उच्च कोटि के विद्वान हैं। वे इंगलिश में बोलते थे और काफी अच्छे तरीके से हाउस में बोलते थे। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था कि चौ. हरद्वारी लाल जी किसी को कोई गाली गलोच करते हों, लेकिन फिर भी चौ. बंसी लाल जी ने उसको असैम्बली से निकाल दिया था। आज जब चौ. सम्पत सिंह जी की बात सामने आई है तो हम भी नहीं चाहते कि उनको निकाला जाये। हम यह भी चाहते हैं कि कोर्ठ नुक्ताचीनी हो तो कोई हर्ज नहीं है। सरकार की नुक्ताचीनी भी होनी चाहिए। हमारी सरकार की भी कमी हो सकती है, इसमें झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन में भी आपने चौ. सम्पत सिंह जी का कन्डक्ट देखा होगा कि किस तरह से उनको पहले एक बार नेम किया और फिर दुबारा से नेम किया गया। उसके बाद वे फिर हाउस में आकर बैठ गए लेकिन हमारी तरफ से कोई एतराज नहीं हुआ यीन रूल 104 के तहत ऐसी कोई बात हमने नहीं की, जो करनी चाहिए थी। हम इसलिए रेजोल्यूशन नहीं लाए कि नुक्ताचीनी होती रहती है और आपस में जैसे वकील बहस करते

हैं, उसी तरह की बात समझ कर हम चुप रहते हैं। ये कुछ कहते हैं तो इनके जवाब में हम भी अपना केस प्लीड करते हैं। आज के क्वैश्चन आवर में क्वैश्चन की ही बात आनी चाहिए थी और इसमें बैनेफिट हमारा नहीं था बल्कि इसमें जो हमारे विरोधी भाई बैठे थे, उनका ज्यादा बैनेफिट था। वे किसी क्वैश्चन में हमें गिल्टी साबित करें और हमारी तरफ से जो गलती होती है, उसको ये वाच करें। इनको किसी काम के बारे कोई मांग भी हो सकती है और दूसरे जो नए मैम्बर आए हैं, उनको भी सवाल करने का मौका मिल सकता है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि क्वैश्चन आवर कभी भी स्पायल नहीं होता। पार्लियामैंट्री प्रोसिजर के बारे में चौ.बंसी लाल भी अच्छी तरह से जानते हैं। ये हमें ही कहते तो कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन स्पीकर साहब, चौ. सम्पत सिंह जी जाते जाते आपके बारे में भी कुछ कह गए। वह मैं आपको बताता हूं। वे इंग्लिश में बोल कर गए हैं।

प्रो. राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, ... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शर्मा जी, आप बीच में न बोलें।

चौ. जगदीश नेहरा: स्पीकर साहब, अभी मैंने अपनी बात खत्म ही नहीं की है।

प्रो. राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, आप मेरी बात तो सुनिये।

श्री अध्यक्षः शर्मा जी, आप बैठिए। मैंने तो कुछ सुना नहीं। अगर इन्होंने सुना है, तो ये कोअ कर सकते हैं।

चौ. जगदीश नेहराः अध्यक्ष महोदय, सम्पत सिंह जी ने जाते–जाते आपके बारे में जो कहा है, वे इस प्रकार हैः– "Mr. Speaker, you are butchering the democracy. You are killing the domocracy. You are party to this affair."

स्पीकर साहब, हो सकता है गवर्नमैंट की तरफ से कोई गलती हो गई हो और इसके लिये ये हमें कसूरवार ठहरा सकते हैं। हम कोई गलत सूचना दे सकते हैं और गलत भी बोल सकते हैं, वह अलत बात है। हमें कुरैक्ट भी होना चाहिए लेकिन स्पीकर साहब हम यह भी चाहते हैं कि whatver is your order, we should obey. My opposite fellows should also obey. अदर वाईज चेयर पर्सन क्या हुआ है? ये चेयर को भी ऐसा कहेंगे तो अच्छी बात नहीं है। आपको पता है पिछले सैशन में भी इनकी नेम किया गया था। अब मेरा आपसे अनुरोध हे कि सम्पत सिंह जी बहुत सीनियर मैम्बर हैं, अपोजीशन के लीडर हैं, हम उनका आदर करते हैं लेकिन हम यह नहीं चाहते कि वे आप पर भी कोई अंगुली उठायें और सदन का भी समय नश्ट करें और हमें भी बुरा भला कहें। इसके अलावा सारे सिस्टम को वे रैण्डम–वे करें। इसलिए यह जरूरी है कि उनके खिलाफ जो रेजोल्यूशन लाया गया है, उसको पास करें।

Mr. Speaker: After naming, whatever he said, that will not form part of the procedings of the House.

चौ. बीरेन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आप इस हाउस के कस्टोडियन हैं। आपको विधान सभा में एज ऐ लैजिस्लेटर पिछले 25 साल को तजुर्बा है। मैं सिर्फ दो बातों की तरफ ही आपका ध्यान आकर्शित करना चाहता हूं। पार्लियामैंटरी डैमोक्रेसी में जो भी कन्वैन्शन बनती है, वे बड़ी डिबेट के बाद, काफी समय और एक्सपीरिएंस के बाद बनती है। हाउस में नेम करने की प्रथा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा पार्लियामैंट का एक्सपीरिएंस है, इसलिए मैं आपसे यह बात कह रहा हूं। जब अपोजीशन किसी इशू पर अपने पांव पर होता है तो स्पीकर साहब का यह प्रयास होता है कि उस मामले को सुलझाया जाए। मैंने अपनी पूरी लोकसीाी की टर्म में किसी भी मैम्बर को स्पीकर द्वारा नेम करते नहीं देखा। उनका प्रयास यही होता है कि जब किसी मुद्दे पर बात नहीं सुलझती तो वे हाउस को एडजर्न कर देते हैं और एडजर्नमैंट के बाद लीडर आफ दी हाउस और लीडर आफ दी अपोजीशन को बुलाते हैं। उनसे बात करते हैं। बात करने के बाद अगर उनको आश्वासन मिलता है कि हाउस सही ढंग से चलेगा तो हाउस असैम्बल होता है। उसके बाद भी, मैंने देखा है कि 3–3 बार 4–4 बार हाउस इसी तरह से ऐडजर्न होता है और बार–बार यही कोशिश रहती है कि किसी न किसी तरीके से कन्सैन्सिज बनाए रखी जाए और हाउस चलता रहे। स्पीकर साहब, लीडर आफ दि अपोजीशन इस रैजोल्यूशन से अनअवेलेबल हो जाएंगे। हमने अपना बजट कल

पेश किया है। मेरी आपसे गुजारिश है तथा लीडर आफ दि हाउस से भी प्रार्थना करता हूं कि उनको भी अपना व्यू प्वायंट रखने देना चाहिए। वे जो बात करेंगे, हमें उनका जवाब देना है। मैं चाहूंगा कि लीडर आफ दि अपोजीशन से दूसरे सीनियर लीडर्ज बात कर लें और अगर वे यह ऐश्योरैन्स देते हैं कि अब हाउस में ठीक व्यवहार करेंगे तो मैं समझता हूं इस रैजोल्यूशन की कोई जरूरत नहीं है।

स्पीकर साहब, दूसरे मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा जो एक–एक रूलिंग दी जा रही है और आप अपना डिस्क्रिशन जहां–जहां यूज करेंगे, वह इस हाउस में आने वाले समय में प्रथा बनेंगे। हम यह चाहते हैं कि हरियाणा से एक हैल्दी कन्वैन्शन बन कर जाए जिससे प्रजातान्त्रिक ढांचा रिफलैक्ट हो।

प्रो. राम बिलास शर्मा: स्पीकर साहब, नेम के बाद जो कुछ कहा गया है, उसको एक्सपंज करा कर आपने बहुत ही अच्छा किया है। मैं इसके साथ ही यह गुजारिश करूंगा कि नेहरा साहब ने जो रिपीट किया है यह भी एक्सपंज कर दिया जाना चाहिए और वह इस सदन की कार्यवाही का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। स्पीकर साहब, आप हमारे कस्टोडियन हैं, हम आपके अलाववा और किससे रिक्वैस्ट कर सकते हैं? हम विपक्ष के लोगों को बहुत अन–प्लैजेन्ट जाब करना पड़ता है जो कि सरकार को अच्छा नहीं लगता है। पार्लियामैंटरी सिस्टम आफ डैमोक्रेसी में अपोजीशन की

एग्जिस्टैन्स को बिल्कुल नकारा नहीं गया है। एक नई प्रथा कांग्रेस के मित्रों ने चालू कर दी है ओर ये ब्रिटिशर्ज जैसा व्यवहार करने लगे हैं। स्पीकर सर, ये तो हमारी एग्जिस्टैन्स को सदन में स्पीकर नहीं करते लेकिन कांस्टीच्यूशन में ऐसा प्रोवीजन है, यदि हम कोई अन–प्लैजेन्ट बात कर दें तो मुख्य मंत्री जी उसका जवाब देते हैं। अगर हमारे से कोई गलती हो जाए तो उसको रिगरैट भी कर सकते हैं। लेकिन बार–बार ऐसी बात करने के लिए सदस्यों को प्रोवोक किया जाए तो यह ठीक नहीं है। स्पीकर सर, आप भी किसी न किसी पार्टी से चुन कर आए हैं। You are sitting in this Chair. We have all faith iun this Chair. We have all regard for this Chiar. But, Speaker, Sir, we have to perform very unpleasant duty. लेकिन हमारे मित्रों को यह अच्छी नहीं लगती। जो नये–नये लोग चुन कर आए हैं, पता नहीं कैसे मंत्री बन गए हैं। वे बात–बात पर बीच में खड़े होकर बोलना शुरू कर देते हैं। स्पीकर साहब, आप को इस सदन का बहुत लम्बा अनुभव है और आप स्वयं विपक्ष में भी रहे हैं। इसलिए आपको विपक्ष की अन–पलैजेन्ट जाब का भी पता है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उनको अपने चैम्बर में बुला कर बात कर लें। मैं विपक्ष के नेता से भी कहूंगा कि वे अपने मन में आपके प्रति किसी भी तरह की बात न रखें। हम तो आपसे ही रिक्वैस्ट कर सकते हैं। हाउस में आपसे बड़ा कौन है? क्षमा बड़न को चाहिए .....। स्पीकर सर, इसके साथ ही मैं यह भी रिक्वैस्ट करूंगा कि आपकी गरिमा के बारे जो शब्द कहे गए थे, उनको एक्सपंज

किया गया है, उसी तरह से नेहरा साहब ने जो कहा है वह एक्सपंज होना चाहिए। स्पीकर सर, आप आब्जर्वेशन कर चुके हैं कि नेम के बाद सम्पत सिंह जी ने जो कहा है, वह कार्यवाही का हिस्सा नहीं होगा उसी प्रकार नेहरा साहब ने जो उन बातों को रिपीट किया है, वह भी रिकार्ड का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, यही मेरी सबमिशन है।

श्री अध्यक्ष: ऐसा है कि इन्होंने कहा है कि सम्पत सिंह जी ने हमारे बारे में कुछ कहा है, that is un-heard और इसे सदन की कार्यवाही का हिस्सा न बनाया जाए। इसके अलावा नेहरा साहब ने जो बात कही है that stands.

कैप्टन अजय सिंह यादव: स्पीकर साहब, उन्होंने बड़ी अन–रैलेवेन्ट बातें कही हैं। आपने पूरा समय दिया। आप कस्टोडियन हैं, यह ठीक है। इनका जो रोल रहा है, वह बड़ा ही नैगेटिव रहा है। आज हमारे बजट पर डिस्कशन होना था लेकिन शुरू से ही चौ. बंसी लाल जी पर्सनल एक्सप्लेनेशन में लगे रहे और इधर से जवाब दिया जा रहा है, इससे हाउस का समय खराब हो रहा है। मैं आपसे केवल यही अनुरोध करूंगा कि जैसी बातें ये कर रहे हैं, वे गलत हैं। ये कोई ऐसा आश्वासन दें कि अब तक इनका जो नैगेटिव रोल रहा है और जो गलत बातें ये कहते रहे हैं, वे आगे से नहीं होंगी।

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहतार हूं कि नेहरा साहब ने क्वैश्चन आवर की बात कही है और सदन के नेता ने भी सदन की मर्यादा तो तोड़ते हुए उन्हें कह दिया कि आप हमारी वजह से सदन में बैठे हैं। जब सदन के नेता ने ही सदन की मर्यादा तोड़ दी तो उन्हें भी कुछ कहना पड़ा क्योंकि जो कुछ भी इन्होंने कहा, उनको अच्छा नहीं लगा, वे भी विपक्ष के नेता है। हम चेयर को कोई तौहीन नहीं करते, हमारी चेयर के प्रति पूरा आस्था है।

मुख्यमंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, हम जब भी कोई ऐसा प्रस्ताव लाते हैं तो हमारे मन को भी पीड़ा होती है, तकलीफ होती है परन्तु हाउस की भी एक मर्यादा होती है। अध्यक्ष महोदय, यह आप सभी जानते हैं कि पिछले सैशन में भी उनका कैसा कन्डैक्ट रहा था? उनको दो बार नेम किया गया। अगर कोई मैम्बर दो बार नेम हो जाये तो वह मैम्बर सदन के अन्दर नहीं आ सकता लेकिन तब भी बंसी लाल जी, वीरेन्द्र सिंह जी, और धीर पाल सिंह जी ने कहा था कि उनका रवैया ठीक रहेगा। इस बार इनका किस तरह का रवैया रहा है, और कैसा चल रहा है, यह सबको पता है। जब मैं क्वैश्चन आवर में एक सवाल को जवाब दे रहा था तो उन्होंने किस तरह का हंगामा किया, यह किसी से छुपा नहीं है।

श्री धीर पाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे गुजारिश है ..... (शोर एवं व्यवधान)।

श्री अध्यक्ष: धीरपाल जी, आप बैठिए।

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा हम्बल रिक्वैस्ट करने के बाद भी जब ये नहीं माने और जिस तरह का इन्होंने रास्ता अपनाया, उसके कारण इनको दो बार नेम करना पड़ा। आप जानते हैं कि असैम्बली चलाने के लिए कुछ नियम बने हुए हैं, उन्हीं नियमों के तहत हमें यह रेजोल्यूशन लाना पड़ा।

12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने आज प्रेस गैलरी में जो ब्यान दिया है, वह कल अखबार में आएगा, वह मैं हाउस में पढ़ कर सुनाता हूं। ''यह स्पीकर सब से घटिया है। भजन लाल ने इनको अपनी कठपुतली बनाकर रखा हुआ है और हाउस को एक निजी कम्पनी बना रखा है। सदन में स्पीकर की छवि धूमिल होकर रख गई है''। पुण्डरी कांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है ''उसमें जो दो आदमी शामिल थे, उनको स्पीकर ने पनाह दी और दूसरे निसिंग गोली कांड में जो दो आदमी मारे गए थे, उस कांड में भी इनका हाथ है।'' अध्यक्ष महोदय, आगे वे कहते हैं ''हम इस स्पीकर के खिलाफ लोकसभा के स्पीकर से शिकायत करेंगे ताकि इनको सही रास्ते पर लाया जा सके।'' एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा ''हम स्पीकर के विरूद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने का विचार कर रहे हैं।'' जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि क्या स्पीकर के खिलाफ आपने जो आरोप लगाये हैं, उनसे मानहानि

नहीं होगी, तो उनको कहना था ''मैं इसके लिए तैयार हूं।'' उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि स्पीकर ने मेरा लाबी में भी बैठना बन्द कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: यह कब की बात है?

चौ. भजन लाल: यह अभी आधे घन्टे पहले की बात है। अध्यक्ष महोदय, ऐसे व्यक्तियों से क्या उम्मीद की जा सकती है और इससे घटिया और क्या बात हो सकती है? अध्यक्ष महोदय, कुछ कायदे कानून होते हैं, हाउस को चलाने का तरीका होता है और अपनी बात कहने का भी तरीका होता है। हमें भी क्रिटिसाईज करो, कोई बात नहीं। सरकार में जो आदमी बैठे हैं, उनमें भी कमियां हो सकती हैं तथा उनमें गलत आदमी भी हो सकते हैं। किसी गलती को प्वायंट आऊट करना अपोजीशन का काम है। हमें तो खुशी होती है कि कायदे कानून के मुताबिक ये अपनी बात कहें लेकिन अपनी बात कहने के पश्चात् इनको दूसरे की बात भी सुननी चाहिए। ये बार–बार नेम करने की बात कहते हैं। इनको कम से कम यहां पर बैठकर बातें तो सुननी चाहिएं तथा अच्छे–अच्छे सुझाव सरकार को देने चाहिएं। प्रदेश के लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि हरियाणा असैम्बली में क्या हो रहा है? लेकिन यहां पर इन्होंने मजाक बना रखा है। अध्यक्ष महोदय, अनुशासन बहुत जरूरी है और अनुशासन रखने के लिए ऐसे व्यक्तियों को हाउस में नहीं आने देना चाहिए।

श्री सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर ने जो प्रस्ताव रखा है, इसके बारे में आपको में बताना चाहूंगा कि यह घटना ऐसे समय में घटी, जब सवाल जवाब हो रहे थे। चीफ मिनिस्टर सही है कि सदन के नेता अपनी बात कहने का ज्यादा हक है लेकिन उसके बाद विपक्ष के नेता को भी अपनी बात कहने का हक है। जैसा सदन के नेता अपनी बात कहने का अधिकार समझते हैं, वैसा ही वे भी अपनी बात कहने का अधिकार समझते हैं सइ तरह से दोनों ओर से गर्मा गर्मी हो गयी और वे सदन से चले गये तथा रमेश कुमार जी भी सदन से चले गये। परन्तु जिस तरह से कोर्ट का डिवीजन तथा रमेश कुमार जी भी सदन से चले गये। परन्तु जिस तरह से कोर्ट का डिसीजन इनके खिलाफ हुआ वह ठीक नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय देश प्रदेश का राज चलाने के लिए कानून हुआ करते हैं। सदन के नेता में भी हरियाणा की जनता उम्मीद रखती है कि वे अच्छी बातें कहेंगे। डैमोक्रेसी में विपक्ष का काम सरकार का हैल्दीक्रिटिसिज्म करना होता है, वह हम कर भी रहे हैं और आगे भी करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अब ऐसी कोइ बात नहीं है कि पूरी टाईम के लिए ही उनको हाऊस से निकाला जाए और बजट पर हरियाणा की जनता की और से कुछ कहने का मौका न दिया जाए। (विघ्न) अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप सरकार को कहें तथा माननीय सदस्यों को हाऊस में बुलायें। इसके अलावा, आप सदन के नेता और दूसरे अन्य नेताओं को बुलाकर एक मीटिंग बुलायें और हाऊस में सब लोग रहें। अब

तक हाऊस में यही होता रहा है कि कभी पूर्व मुख्यमंत्री बंसी लाल जी पर ऐलीगेशंज लगाते हैं और कभी पूर्व मुख्यमंत्री श्री चौटाला जी पर ऐलीगेशंज लगाते हैं। अब तक ऐलीगेशंज लगाने का ही सिलसिला विधानसभा में चला हुआ है। ये ऐलीगेशंज बाहर किसी प्लेटफार्म पर लगाने चाहिएं, सदन में ये ऐलीगेशंज नहीं लगाने चाहिएं। जब गर्मा गर्मी होती है तो दूसरी तरफ से भी हो जाया करती है। अध्यक्ष महोदय, आप इस बात को खत्म करें। सबके कंडक्ट बढ़िया हैं, क्योंकि लोगों ने उनको चुनकरर भेजा है। इसलिये मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि इस प्रस्ताव की वापस लिया जाए।

श्री बंसी लाल: अध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे सबमिशन है कि आप आधे घंटे के लिए हाऊस को एडजर्न करके लीडर आफ दि हाऊस और अपोजीशन वालों से बात कर लें ताकि इसका कोई हल निकल आए।

आबकारी तथा कराधान मंत्री (श्री ए.सी. चौधरी): स्पीकर साहब, हाऊस में रूलिंग पार्टी और अपोजीशन की ओर से बातें आई हैं। चेयर पर जो अस्पर्शन किए और बाहर जाकर जिस तरह से इन्होंने बातें की हैं, वह आपकी नोलेज में आयी है। मेरी साथियों ने अपने ही तरीके से वकालत की कि उनके खिलाफ ऐक्शन न लिया जाए। मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ दिलाऊंगा कि कुछ एस्टेबलिशड नार्मज हैं, जिनका श्री वीरेन्द्र सिंह जी हवाला दे रहे थे और डैमोक्रेटिक ट्रेडीशंज की बात कर रहे

थे। आप सभी को मालूम है। Tjhe conduct of Speaker or members of Vidhan Sabha cannot be criticised inside the House or even outside the House. यह डैमोक्रेटिक नार्मज हैं। वीरेन्द्र सिंह जी भी इस बात को मानेंगे कि जिस तरह से अपोजीशन वाले भाइयों ने डैमोक्रेसी का नाजायज फायदा उठाया है, उसकी मिसाल मैं आपकी नौलेज में लाऊंगा। तीन दफा सम्पत सिंह जी ने कहा कि ये बकवास करते हैं, ये बकवास करते हैं। अगर डैमोक्रेसी का मतलब दूसरे को गाली देना है, दूसरे की पगड़ी उछालना है तो में समझता हूं कि हिन्दुस्तान ऐसी डैमोक्रेसी का कहीं भी कायल नहीं है। दूसरी तरफ मैं अपोजीशन के साथियों से कहूंगा कि जब किसी की सिफारिश करें, वकालत करने लगें तो कम से कम आन मेरिटस तो करें। जैसे राम बिलास शर्मा जी कहने लगे कि क्षमा बड़न को चाहिए। बड़ों को क्षमा करने के लिए कहते हो और अपने लिए उत्पात का अधिकार मांगते हो। अगर उत्पात का अधिकार मांगोगे तो ये अपने घर तक तो सीमित हो सकते हैं लेकिन विधानसभा में, जहां हम लोग चुने हुए नुमाइंदों के तौर पर इस देश के भविश्य के मामले में निर्णय करते आए हैं, लोगों को सुख–सुविधा के और अधिकार देने आए हैं, वहां हम गाली खाने नहीं आए। जो आदमी इस तरह से नाजायज फायदे उठाने की कोशिश करता है, आप अपने असूल और कानून के दायरे में उसके खिलाफ सख्त एक्शन लें ताकि आगे चलकर ये बैड प्रैसीडैण्ट न बनें और डैमोक्रेटिक नामर्ज के मुताबिक हम हाऊस की कार्यवाही चला सकें।

Mr. Speaker: The matter is before the House for decision. I cannot stop this motion from being put.

Mr. Speaker: Question is –

That Rule 104 of the Rules of Procedure Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly be suspended in its application to the motion regarding the suspension of Shri Sampat Singh and Shri Ramesh Kumar.

The motions was carried.

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra): Sir, I also beg to move-

That Shri Sampat Singh and Shri Ramesh Kumar be suspended from the service of the House for the remainder of the Session for their misconduct, most Irresponsible behaviour unbecoming of a Member of this august House and their grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker: Motion moved-

That Shri Sampat Singh and Shri Ramesh Kumar be suspended from the service of the House for the remainder of the Session for their misconduct, most Irresponsible behaviour unbecoming of a Member of this august House and their grossly disorderly conduct in the House.

Mr. Speaker: Question is-

That Shri Sampat Singh and Shri Ramesh Kumar be suspended from the service of the House for the remainder of the Session for their misconduct, most Irresponsible behaviour

unbecoming of a Member of this august House and their grossly disorderly conduct in the House.

Sh. Bansi Lal: Sir, We want division.

(After as certaining the votes of the members by voices, the speaker announced that 'Aye' have it. This opinion was challenged and division was claimed. Mr. Speaker, after calling upon those members who were for 'Aye' and those who were for 'No' respectively, to rise in their places and on account having been taken declared the motion carried).

The motion was carried.

(Cheers from the Treasury Benches).

श्री धीरपाल सिंह: स्पीकर साहब, यह लोकतन्त्र की हत्या है इनके पार्लियामैंटरी अफेयर्ज मिनिस्टर चाहते हैं कि हमारी जुबान बन्द कर दें लेकिन ऐसा नहीं हो सकेगा। (व्यवधान व शोर) ऐसा मोशन पास कराकर हमें डराना चाहते हैं लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। इनकी धमकी में आने वाले नहीं है। जब तक एस. वाई.एल. और यमुना पानी का पूरा हिस्सा नहीं मिल जाता हम चुप बैठने वाले नहीं है। (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्ष: इतने गुस्से में बोलने की आपको क्या जरूरत है। आप कृपया बैठिये।

श्री धीरपाल सिंह: इनको अब सांप क्यों सूंघ गया है? इनके कान बहरे हो गये हैं? इन्होंने जनता की आवाज को सुनना बन्द कर दिया है। (व्यवधान व शोर)

एक आवाज: कितने वोटों से मोशन कैरी हुआ है?

श्री अध्यक्ष: क्या आप नम्बर पूछना चाहते हैं। 52 सदस्य हक में हैं, और 22 अगेन्सट हैं। (शोर व व्यवधान) बहुजन समाज पार्टी का सदस्य न्यूटरल है।

सदन की मेज पर रखे गये कागज पत्र

Mr. Speaker: Now a Minister will lay the papers on the Table of the House.

श्री सतबीर सिंह कादयान: इन लोगों ने सारी मर्यादाओं को भंग कर दिया है। हाऊस की सैन्टटी इन्होंने खत्म कर दी है। (शोर व व्यवधान)

Mr. Speaker: The House is a master of itself. This is the decision of the House. (Noise & Interruptions)

Irrigation Minister (Ch. Jagdish Nehra): Sir, I beg to lay on the Table-

(1) The Development Panchayats Department Notification No. GSR3/P.A. 3/61/S. 115/93, dated the 8th January, 1993 regarding the Haryana Panchayat Samitis (Primary Members) Election (First Amendment) Rules, 1993 as required under Section 115(4) of the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads Act, 1961.

(2) The statement showing the Loans by the Haryana State Electricity Board upto 15-1-1993 as required under Section 66 of the Electricity (Supply) Act, 1948.

(3) The 17th Annual Report of the Haryana Land Reclamation and Development Corporation Limited for the year 1990-91 as required under Section 619-A(3) of the Companines Act, 1956.

Mr. Speaker: Now the discussion on the Budget for the year 1993-94 will take place. (Noise & Interruptions)

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, * * * *

श्री अध्यक्ष: जो कुछ श्री सतबीर सिंह कादयान बोल रहे हैं वह रिकार्ड न किया जाए।

श्री सतबीर सिंह कादयान: * * * *

वर्श 1993–94 के बजट पर सामान्य चर्चा

Mr. Speaker: Now the discussion on the Budget for the year 1993&94 will take place. (Noise & Interruptions) श्री सतबीर सिंह कादयान अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलिए। (व्यवधान) बाकी सब लोग जो खड़े हैं, सब बैठ जाईए। (व्यवधान)

श्री सतबीर सिंह कादयान: (नौलथ) जी हां, मैं बोलूंगा। अध्यक्ष महोदय ..... (व्यवधान)

सदस्यों का नाम लेना

(इस समय जनता पार्टी के कई सदस्य अध्यक्ष की अनुमति के बिना ही बोलने लग गए)

श्री अध्यक्ष: आनरेबल मेम्बर्ज, आप सब बैठ जाईए (व्यवधान)

(किसी भी जनता पार्टी के सदस्य ने स्थान ग्रहण नहीं किया और सब इकट्ठे ही बोलते रहे।)

श्री राम कुमार कटवाल: इन लोगों ने धांधली मचा रखी है। ये लोग अत्याचार कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: कटवाल जी, आप बैठिये, आप बिना इजाजत के न बोले। I warn you. (Interruptions)

श्री राम कुमार कटवाल: मैं इस बजट की कापी को फाड़ता हूं, इसमें कुछ भी नहीं है।

(इस समय श्री राम कुमार कटवाल तथा श्री दरियाओ सिंह ने बजट की कापी, कुछ अन्य विधान सभा के कागजों सहित फाड़ दी।)

Mr. Speaker: I name Shri Ram Kumar Katwal.

(The Hon. Member did not withdraw from the House and continued raising slongans).

श्री अध्यक्ष: मार्शल, श्री राम कुमार कटवाल को हाउस से बाहर कर दो।

(At this stage the Sergeant-at Arms, with the aid of the Watch & Ward staff, took Shri Ram kumar Katwal out of the House).

श्री अध्यक्ष: कदियान साहब, क्या आप बजट पर बोलेगे। (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, जो बजट 1993–94 को यहां सदन में पेश किया गया है ..... (शोर)

श्री धीरपाल सिंह: स्पीकर सर, रूलिंग पक्ष की तरफ से हर बात पर, हम मैम्बर और मिनिस्टर बोलने के लिए खड़ा हो जाता है। मुख्यमंत्री जी जिस तरह से हाउस को गुमराह कर रहे हैं, हम इस तरह से नहीं होने देंगे और न ही इस ढंग से हाउस को चलने देंगे। (शोर)

श्री अध्यक्ष: धीरपाल जी, आप बैठिये।

श्री दरियाओ सिंह: स्पीकर साहब, यह तो लोकतन्त्र की हत्या है। (शोर) लोकतन्त्र का गला घोटा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दरियाओ सिंह जी, आप बैठ जाइये, वरना मुझे आपकी भी नेम करना पड़ेगा। (व्यवधान) क्या आपका यह बोलने का तरीका है? (शोर) आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

श्री दरियाओ सिंह: स्पीकर साहब, यह लोकतन्त्र की हत्या है ..... (शोर)

(इस समय श्री दरियाओं सिंह, स्पीकर साहब के मंच के पास आकर लगातार बोलते रहे लेकिन कुछ भी स्पश्ट सुनाई नहीं दिया।)

Mr. Speaker: Shri Daryon Singh, I name you. You may please leave the House. (Noise & Interruptions)

(The Hon. Member did not leave the House.)

Mr. Speaker: Marshal, take him out of the House. (Interruptions)

(At this stage the Sergeant-at Arms, with the aid of the Watch & Ward staff, took Shri Daryon Singh out out of the house.)

Mr. Speaker: Kadyan Sahab, you may continue your speech.

श्री धीरपाल सिंह: स्पीकर सर, जिस तरह से यहां मैम्बर्ज के साथ व्यवहार किया जा रहा है, यह तो सरासर लोकतन्त्र का गला घोटने वाली बात हो रही है।

श्री अध्यक्ष: धीरपाल जी, आप बैटिए, आप तो अपनी ही पार्टी के मैम्बर्ज को बोलने नहीं दे रहे हैं ..... (व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंह: स्पीकर सर, हम इस तरह से लोकतन्त्र का गला घोंटने नहीं देंगे। (शोर)

श्री कृश्ण लाल: स्पीकर साहब, यह तो सरासर ज्यादती है ..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृश्णलाल जी, आप मेहरबानी करके बैठ जाइए। इस तरह से आपको बिना इजाजत से बोलना नहीं चाहिए। मैंने आपको अलाऊ नहीं किया है और यदि आप इसी तरह बोलते रहेंगे तो मुझे आपको भी नेम करना पड़ेगा।

श्री कृश्ण लाल: स्पीकर साहब, आप कुछ भी करें। यह तो सरासर लोकतन्त्र का गला घोंटा जा रहा है। इस तरह से हम हाउस की कार्यवाही नहीं चलने देंगे ..... (शोर)

श्री अध्यक्ष: कृश्ण लाल जी, आप बैठ जाइए। आपका यह व्यवहार उचित नहीं हैं। (शोर एवं व्यवधान) Krishan Lal Ji, I name you. You may please leave the House. (Noise & Interruptions) He may go out of the House immediately as he has been named. (Interruptions)

(The Hon. Member did not leave the House.)

Mr. Speaker: Marshal, take him out of the house.

(At this stage the Sergeant-at Arms, with the aid of the Watch & Ward staff, took Shri Krishan Lal out out of the house.)

श्री अमर सिंह ढांडे: स्पीकर सर, रूलिंग पार्टी वाले जिस तरह से अन्धेर गर्दी मचा रहे हैं, इसको रोका जाए ..... (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ढांडे साहब, आप इस तरह से शोर मत कीजिये, मैं आपको भी वार्न करता हूं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अमर सिंह ढांडे: स्पीकर साहब, यह तो सरासर बेइन्साफी है ओर लोकतन्त्र की हतया है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ढांडे जी, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री अमर सिंह ढांडे: स्पीकर सर, ऐसा नहीं चलेगा। (व्यवधान)

Mr. Speaker: I name Shri Amar Singh Dhandey. He may please go out. (Interruptions) Mr. Dhandey, you please go out.

(The Hon. Member did not leave the House)

Mr. Speaker: Marshal take him out of the house.

(At this stage, the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch & Ward staff, took Sh. Amar Singh Dhandey out of the House).

सरदार जसविन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, ये रूलिंग पार्टी के सदस्य व मिनिस्टर हाउस का किस तरह से वातावरण खराब कर रहे हैं, यह आप देख रहे हैं, लेकिन हम यहां हाउस के अन्दर ज्यादती नहीं होने देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जसविन्द्र सिंह जी, आप बैठ जाइए। अगर आप इस तरह से बोलते रहे तो मुझे आपको भी नेम करना पड़ेगा। (व्यवधान) मैं आपको वार्न करता हूं। (शोर)

सरदार जसविन्द्र सिंह: स्पीकर साहब, आप हमें बोलने भी नहीं देते, यह तो आप हमारे साथ ज्यादती कर रहे है। (व्यवधान)

Mr. Speaker: I name Sh. Jaswinder Singh also. He may leave the House. (Interruptions) Please leave the House. (Interruptions)

(The Hon. Member did not leave the House)

Mr. Speaker: Marshal, take him also out of the House.

(At this stage the Sergeant-at-Arms, with the aid of the Watch and Ward staff, took Sh. Jaswinder Singh out of the House).

श्री बलवन्त सिंह मैना: स्पीकर साहब, मैं कुछ कहना चाहता हूं और मुझे आप करने का समय दीजिए। (व्यवधान) इस सरकार का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं है।

श्री अध्यक्ष: चौधरी साहब, आप बैठिये। (व्यवधान) इस तरह बगैर परमिशन नहीं बोलते। (शोर)

श्री बलवन्त सिंह मैना: सर, क्या ये सभी विद–परमिशन बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बलवन्त सिंह जी, अगर आप बगैर परमिशन बोलते रहे तो मुझे आपको भी नेम करना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान) मैं आपको भी वार्न करता हूं। आप बैठिए।

श्री बलवन्त सिंह मैना: स्पीकर साहब, यह तो सरासर ज्यादती हो रही है।

Mr. Speaker: Ch. Balwant Singh Ji, I name you. You please go out of the House immediately. (Noise & Interruptions). Sh. Balwant Singh is also named. Marshal, he may please ber taken out of the House.

(At this stage, the Sergeant-at-Arms with the aid of the Watch & Ward staff took Sh. Balwant Singh Maina out of the House.)

चौ. सूरजभान काजल: स्पीकर साहब, आप एक तरफा बात कर रहे हैं, अपोजीशन के मैम्बर्ज की बाहर निकलवा रहे हैं और बोलने नहीं दे रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) यह तो हमारे साथ बिल्कुल ज्यादती है। हम यह ज्यादती बर्दाश्त नहीं करेंगे। (शोर) हम हाउस को चलने नहीं देंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: काजल साहब, आप बैठिये, वरना मुझे आपको भी नेम करना पड़ेगा। (शोर)

श्री धीरपाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, इन्होंने यहां पर क्या मजाक बना रखा है? * * * * (शोर) हम इतनी ज्यादती कभी भी

बर्दाश्त नहीं करेगे। (शोर एवं व्यवधान) स्पीकर साहब, आपकी हम बहुत इज्जत करते थे लेकिन आज (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: धीर पाल सिंह जी आप बैठिये। आप बिना इजाजत के क्यों बोल रहे हैंत्र यह आपके पार्ट पर शोभा नहीं देता। (शोर एवं व्यवधान) अगर आप इसी तरह बोलते रहे तो मुझे आपको भी नेम करना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री धीरपाल सिंह: स्पीकर साहब, * * * * हमें भी लोकतन्त्र के अन्दर बोलने और अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है लेकिन आप हमें समय नहीं दें रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान) जब आप हमें बोलने से रोक रहे हैं तो इन पर भी अंकुश लगाईये। (शोर एवं व्यवधान) इनको कोई खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिए, ये जिस के बारे में जो चाहें, बोल लें। (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: I name Sh. Suraj Bhan Kajal and Sh. Dhir Pal Singh. They may leave the house immediately. (Noise & Interruptions). Sh. Dhir Pal Singh Ji, I name you. You please leave the House. Kajal Ji, you may also leave the House.

(Both the Hon'ble Members did not leave the House).

Mr. Speaker: Marshal, take them out of the House.

(At this stage the Sergeant-at-Arms, with the aid of the Watch & Ward staff took S/Sh. Suraj bhan Kajal & Dhir Pal Singh out of the House.)

(Sh. Bharath Singh continued Speaking without permission and on being asked, did not resume his seat.)

Mr. Speaker: I also name Sh. Bharath Singh. He may leave the House.

(The Hon. Member did not leave the House and continued speaking without permission of the Speaker).

Mr. Speaker: Marshal, take him out of the House with the aid of the Watch and Ward staff.

(At this stage, the Sergeant-at-Arms went to Sh. Bharath Singh and took him out of the House with the aid of the Watch and Ward staff.)

(Sh. Jai Pal Singh continued speaking without permission and on being asked did not resume his seat.)

Mr. Speaker: I name Sh. Jai Pal Singh. He may leave the House.

(Sh. Jai Pal Singh did not withdraw from the House.)

Mr. Speaker: Marshal, take him out of the House with the aid of the Watch and Ward staff.

(At this stage the Sergeant-at-arms with the aid of the Watch & Ward staff took Sh. Jai Pal Singh out of the House.)

वर्श 1993–94 के बजट परी सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री सतबीर सिंह कादयान (नौलथा): स्पीकर साहब, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद लेकिन मुझे जो वक्त मिला, वह गर्मा गर्मी में मिला। मैं बोलना तो ठंडा चाहता था लेकिन उधर के भाई कहते हैं कि गर्मी से बोलना है। मैं तो बड़े सीधे सादे स्वभाव का आदमी हूं। जो बजट कल इस महान सदन में पेश किया गया, वह न केवल काली निगाहों से पेश किया गया था बल्कि काणी आंखों से पेश किया गया था, क्योंकि इस बजट के अन्दर समाज के उन आदमियों का ध्यान नहीं रखा गया है जो आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं और जो गरीबी में आज भी सड़ रहे हैं। यह एक दिशाहीन बजट है, प्रदेश के किसानों के विरूध है तथा हरियाणा की जनता के विरूद्ध है। ऐसा बजट इस महान सदन में ऐसे वित्त मंत्री ने पेश किय है जिसके खिलाफ प्लाटों के घोटाले हैं। इस बारे में वे हाई कोर्ट में केस हार गए और उसके बाद इन्होंने ब्यान दिया .....

श्री अध्यक्ष: कादयान साहब, आप बजट पर ही बोलें।

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। हाई कोर्ट ने इसके खिलाफ स्ट्रिकचर पास कर दिए .....

वैयक्तिक स्पश्टीकरण –

वित्त मंत्री द्वारा

वित्त मंत्री (श्री मांगे राम गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय सदस्य ने अब दोबारा इस बात का जिक्र किसा है, इसलिए मैं अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैंने पहले कहा था कि आप बहस के जवाब में अपनी एक्सप्लेनेशन दे देना लेकिन अब इन्होंने फिर बात कर दी है। इसलिये इनको अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन के लिए अलाउ किया जाता है।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं दो रिकवैस्टस करना चाहता हूं। पहली रिक्वैस्ट मेरी यह है कि जो एलीगेशन माननीय सदस्य लगा रहे हैं कि मेरे खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिकचर पास किए हैं उस बारे में मैं अपना व्यू पेश करता हूं जैसे इन्होंने अपना व्यू दिया है। मेरी आपको यह राय है कि आप डिप्टी स्पीकर की अध्यक्षता में पांच मैम्बरों की एक कमेटी बना देते उसमें दो विरोध पक्ष के सीनीयर एम.एल.एज. हों जो एडवोकेटस रहे हों, और दो सीनियर प्रैस रिपोर्टस को मैम्बर बना दैं। वे चार मैम्बर मेरी बात को सुनना चाहें तो सुन लें। सुप्रीम कोट्ट और हाई कोर्ट के फैसले मेरे पास हैं, मैं दे देता हूं इन फैसलों में, ईवन सिगल वर्ड भी यदि मेरे खिलाफ कहा हो, मिस यूज आफ पावर के बारे में, गल्त ब्यानी के बारे या किसी घपले के बारे में, तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा। जो शब्द मैंने रिपोर्टर्ज के सामने कहे थे, मैं आज भी उन पर खड़ा हूं। मुझे मंत्री पद की परवाह नहीं है और न ही मैं इसे

बहुत बड़ी अहमियत देता हूं। मंत्री पद की बात नहीं है, अगर उसमें कोई गलत बात है तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा और दोबारा राजनीति में नहीं आऊंगा। मैं कहता हूं कि एक कमेटी बना देनी चाहिए जो कोर्टस के फैसलों को देखे। स्पीकर साहब, कल मैंने एक बात का जिक्र किया था और वह बात आपके नोटिस में भी आई होगी। इन्होंने एक इश्तिहार दिया था। स्पीकर साहब, हाई कोर्ट में मार्च, 1992 में फैसला हुआ और आज मार्च 1993 है और उसका सुप्रीम कोर्ट में 5 फरवरी, 1993 को फैसला हुआ था। स्पीकर साहब, 23 मार्च, 1993 को बजट सैशन शुरू हुआ और उसी दिन, यानि 23 मार्च को जनसत्ता अखबार में एक खबर छपी। उस खबर का सारा हवाला नहीं देता मैं केवल दो लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इस खबर में लिखा है – ''31 जनवरी, 1993 को भंग इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट का कामकाज देख रहे नगरपालिका जींद के सदस्यों की एक बैठक ई वर सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें 17 सदस्यों ने भाग लिया और सुप्रीम कोर्ट मैं दायर विशेश अनुमति याचिका वापिस लेने का फैसला किया। इसकी सूचना राजय सरकार को भी दी गई। सुप्रीम कोर्ट में याचिका रद्द हो जाने के बाद मांगे राम अपनी कही बात पर कायम रहेंगे, यह तो समय ही बताएगा। फिलहाल, वित्त मंत्री जींद पालिका को भंग करने की कोशिश में लगे हैं। इसकी वजह यह है कि नगरपालिका जींद के अध्यक्ष जेा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के भी अध्यक्ष हैं, गुप्ता के कट्ट विरोधी हैं। वित्त मंत्री चाहते हैं कि किसी न किसी तरह पालिका भंग हो जाए तो यह सभी मामले अपने आप निपट

जाएंगे।'' अध्यक्ष महोदय, आप इस खबर को बहुत गहराई के साथ देंखें। इस मामले में इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट भी पार्टी थी, वह याचिका वापिस लेने का प्रस्ताव कर रहा है। हाई कोर्ट के आर्डर है कि 42 कमिशनर्ज को एक–एक प्लाट दिया जाए। इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट उनको एक–एक प्लाट देगा जिनकी कोई एप्लीकेशन नहीं है, जिसके कारण इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट को लगभग दो करोड़ रूपए का नुक्सान उठाना पड़ेगा। 1977 में वह जमीन एक्वायर हुई थी और वे 1991 में एप्लीकेशन दे रहे हैं। हाई कोर्ट ने आर्डर कर दिए लेकिन मैंने उसके खिलाफ अपील की, गवर्नमैंट ने भी अपील की और इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट ने भी अपील की। स्पीकर साहब, नगरपालिका के सदस्यों ने सारे प्लाट होल्डर्ज के साथ सांठ–गांठ करके घपला किया है, जिसके कारण इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने दो करोड़ रूपए का नुक्सान करने के लिए याचिका वापिस करने का प्रस्ताव पास कर दिया और सुप्रीम कोर्ट में अपना केस फेस नहीं किया। स्पीकर साहब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला एक लाईन का है। वह इस तरह से है :–

Mr. Kapil Sibal says that it is difficult to assail the order of the High Court and teh Special Writ Petition is dismissed."

एक लाईन आर्डर है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई मिसयूज औफ पावर नहीं है। और न ही कहीं पर कोई स्ट्रिकचर पास करने के बारे में कोई बात है। स्पीकर साहब, 2 मार्च, 1993 को मैंने प्रदेश का बजट पेश किया। उस दिन

हिन्दुस्तान टाईम्ज में एक खबर छपी थी जिसका एक पैरा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इसमें लिखा है :–

"The demand for his resignation would surely come from the opposition and the dissident Congressmen and even if Mr. Gupta does not quit, his public image is going to suffer. Sources close to him say that he felt sad, but would not oblige his oppoents by quitting the Government. He was quoted as saying that his declaration at that time was in different context."

स्पीकर साहब, यह मैनुप्लेटिड स्टेटमैंट लगाई। उन्होंने पहले ही कह दिया कि अपोजीशन वाले रैजिगनेशन मांगेगे। (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, गुप्ता जी जितनी बातें बता रहे हैं, इतने ऐलीगेशन तो मैंने लगाए ही नहीं। इसके बारे में तो मेरे पास पोया बाकी है।

Mr. Speaker: Let him complete his speech.

Sh. Satbir Singh Kadian: Sir, he has completed. मैंने अभी तो कुछ भी नहीं कहा है। (शोर)

श्री मांगे राम गुप्ता: आपने यह कैसे कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिकचर पास किया है और मैंने घपला किया है? (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयान: मैंने कुछ भी नहीं कहा।

Mr. Speaker: Let him complete. गुप्ता जी, आप अपनी बात पूरी करें।

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं हाई कोर्ट के फैसले के बारे में बताना चाहता हूं। हाई कोर्ट के जजिज अपनी जजमैंट में कुछ भी डिसीजन दे सकते हैं। इस केस में हाईकोर्ट के जजिज की वडिक्ट इस प्रकार से है :–

"We find that in the present case the alleged alternation was effected as far back as in 1982 by the District Town Planner, Jind, without any objection from any quarter including the petitioner and her family members. Even the petition was filed in the year 1985, no such challenge was laid."

स्पीकर साहब, 1985 में यह रिट की गई। 1981 तक किसी ने कोई ऐलीगेशन नहीं लगाया कि गुप्ता जी ने अपनी पावर का मिसयूज किया है या कोई गलत काम किया है यानी कोई ऐलीगेशन नहीं लगाया गया। उनकी मांग सिर्फ यह थी, जो इस सारे केस में जजिज की तरफ से एडमिटिड भी हैं, कि इस केस में मेरी 4800 गज जमीन इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट ने एक्वायर की। मेरी जमीन 3 रूपये गज के हिसाब से एक्वायर करके, कम्पनसेशन दिया गया है और उस जमीन पर लोगों को मकान देने के एिल हाउसिंग कालोनी बनाई गई। मैंने भी अपनी जमीन के बदले प्लाट लेने के लिए एप्लाई किया लेकिन मुझे कोई प्लाट नहीं दिया गया। 8–8 प्लाअ उन लोगों को दे दिए गए जिनकी पोलिटिकल एप्रोच थी।

कहने का मतलब यह है कि उस कालोनी में 1800–1800 गज के प्लाट किसी को 1–1 किसी को 2–2 किसी को 3–3 ओर इससे अधिक भी दिए गए। ये प्लाट एम.एल.एज., एक्स एम.एल.एज., मिनिस्टर और पब्लिक मैन को दिए गए। मैंने भी सरकार को प्लाअ के लिए एप्लाई किया और कहा कि मैंने ऐसा क्या कसूर किया है कि मेरी जमीन 4800 गज एक्वायर की गई है, मैंने भी मकान बनाना है, इसलिए मुझे जमीन दी जाएं। स्पीकर साहब, गर्वनमेंट ने इस केस को एग्जामिन करवाया और कोर्ट ने यह माना कि यूंकि मेरी 4800 गज जमीन ली गई है ओर इसके बदले में मुझे कोई प्लाट ऐलाट नहीं किया है, इसलिए यह प्लाट के लिए एन्टाइटल्ड हैं। ये डिसप्लेस्ड पर्सन हैं, इसलिए इनको प्लाट एलाट किया जाये। स्पीकर साहब गर्वनमेंट ने दूसरे आदमियों को न. 5 स्कीम के तहत प्लाट दिए थे। गवर्नमेंट की यह स्कीम के तहत प्लाट अवेलेवल नहीं हैं तो दूसरी स्कीम के तहत दें दिए जाएं। स्पीकर साहब, मुझे न. 5 स्कीम के बदले 19 न. स्कीम में 1000 गज का प्लाट दे दिया गया। यह प्लाट मुझे उस रेट पर दिया गया, जिस रेट पर दूसरे लोगों को न. 5 स्कीम के तहत दिए गए थे। स्पीकर साहब, 1982 के बाद तो मैं चुनाव हार गया था और मेरा विरोधी जीतकर इनकी सरकार में मंत्री बन गया था यानी 1982 के बाद की सरकार द्वारा ही यह प्लाट कैंसल हुआ। इसके अगेन्स्ट मैं लोअर कोर्ट में गया और कोर्ट से मुझे रिलिफ मिला।

श्री सतबीर सिंह कादयान: स्पीकर साहब, ... (शोर एवं व्यवधान)

Mr. Speaker: Let him complete his explanation first. He has not completed yet. Kadian Sahib, you will be given time later on. Please take your seat.

श्री मांगे राम गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि मुझे 1000 गज का प्लाट उस रेट पर दिया गया जिस रेट पर दूसरों को स्कीम न. 5 के तहत दिए गए थे। 1985 तक इसमें किसी को कोई ओब्जैक्शन नहीं उठा। मुझे यह जमीन 1981–82 में एलाट हुई थी। उस पर किसी को कोई ओब्जैक्शन नहीं था। लोअर कोर्ट में मेरे खिलाफ कोई ओब्जैक्शन नहीं है। मेरे खिलाफ एक सीधी रिट 1985 में हाईकोर्ट में की गई। हाईकोर्ट के जजिज मालिक हैं, मैं क्या कह सकता हूं।

वहां पर केस केस किस तरह से आरगु होता है, किस तरह से फैसले देते हैं, यह उनकी डिस्क्रिशन है। स्पीकर साहब, गवर्नमेंट के खिलाफ रेाज फैसले होते हैं। गवर्नमैंट ने अपने एक्ट के मुताबिक, कानून के मुताबिक, जो फायदा दिया जा सकता था, या जो अलाट हो सकता था, वह अलाट कर दिया। हाईकोर्ट ने सिर्फ एक बात कही है कि स्कीम न. 19 के तहत 1000 गज का जो प्लाट अलाट हुआ है, उसमें 1000 गज का कोई प्लाट नहीं है। वहां पर 400–400 गज के प्लाअ हैं, इसलिए गुप्ता जी को एक 400 गज का प्लाट दे दिया जाये। इससे जयादा मेरे खिलाफ एक

भी सिंगल वर्ड, कोई भी मेलाफाईड या मिस–यूज आफ पावर का हो तो बताएं। ऐसी उसमें कोई बात नहीं है। मुझे जमीन के बदले जमीन मिली। है। मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जिनकी जमीन नहीं ली गई थी, उनको भी 2–2 और 3–3 प्लाट दिए गए। वह भी रिकार्ड में है। उसमें और किसी को टच नहीं किया गया। सबको प्लाट दिए गए हैं, जिनकी जमीन ली गई है। हाईकोर्ट ने भी यही कहा है कि जिनकी जमीन है, उनको प्लाट दे दो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे रिक्वैस्ट करना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो ऐलिगेशन्ज लगाए हैं, वे बिल्कुल बे–बुनियाद हैं और गलत हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक कमेटी मुकरर कर दें जो सारे तथ्यों की जांच करे। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ये लोग किसी के खिलाफ गैर जिम्मेदाराना इल्जाम लगा कर हाउस की गरिमा को कम न करें। इनकी बात में कोई वजन नहीं है। आप हाउस के मैम्बरों की एक कमेटी बना दें, जो भी फैसला वह कमेटी देगी, वह मुझे मन्जूर होगा। (विघ्न) मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं। अगर मेरे खिलाफ कोई बात प्रमाणित होती है तो मैं राजनीति से सन्यास ले लूंगा।

वर्श 1993–94 के बजट पर सामान्य चर्चा (पुनरारम्भ)

श्री सतबीर सिंह कादयान: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने अर्ज कर रहा था कि मंत्री जी के खिलाफ यह आरोप है कि इन्होंने 400 गज की बजाय 1000 गज का प्लाट उस समय लिया जब वे स्वयं लोकल सैल्फ गवर्नमैंट मिनिस्टर थे और इम्प्रूवमैंट

ट्रस्ट इनके अधीन थी। इन्हीं का यह प्लाट है, इसलिए ये इससे जुड़े हुए हैं। हाईकोर्ट में जब इनके खिलाफ फैसला हुआ तो इन्होंने फौरन स्टेटमैंट दी कि यदि सुप्रीमकोर्ट में फैसला उनके खिलाफ हुआ तो वे इस्तीफा दे देंगे। (विघ्न) सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इन्होंने स्वयं पढ़ दिया और स्वयं ही अखबार में स्टेटमैंट दी। आप इसकी डिनायल दे सकते हैं। (विघ्न) आपने अपना भाशण देते हुए लम्बी–चौड़ी बात कही थी। (विघ्न) वह पेपर मैंने आपके साथी शेर सिंह जी को दे दिया है। (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) उपाध्यक्ष महोदय, ये खुद मान गए हैं कि इन्होंने 400 गज की बजाए 1000 गज का प्लाट लिया और यह भी कह रहे हैं कि स्पीकर साहब, इसके लिए एक कमेटी बना दें जो इस मामले को देखे। अगर ये इतने ही ईमानदार हैं तो मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि एक कमेटी बना दी जाए जिसमें विपक्षी दलों के नेता हों। (विघ्न) चौ. बंसी लाल जी और प्रोफेसर सम्पत सिंह जी हों तथा इनकी ओर से नेहरा जी को शामिल कर लिया जाए।

श्री मांगे राम गुप्ता: हम इनके हाथों में अपनी तकदीर क्यों सौंप दें? (विघ्न)

श्री सतबीर सिंह कादयान: आप किस–किस सदस्य की कमेटी बनाना चाहते हैं, आप उन्हीं का नाम बता दें।

श्री मांगे राम गुप्ता: दो विरोधी दल के सदस्यों की कमेटी बना दी जाए। स्पीकर साहब, न तो मुझे और न ही इनको

बताने की जरूरत है। किसी का नाम बताने का इनको कोई अधिकार नहीं है। दो विरोधी पक्ष के सीनियर एम.एल.एज. की एक कमेटी डिप्टी स्पीकर साहब की चेयरमैनशिप में बना दी जाए। मैं अपनी बात पर कायम हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, इन लोगों ने मेरी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। मेरी 4800 गज जमीन आप लोगों ने काट रखी है। (विघ्न)

श्री ए.सी. चौधरी: डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। आनरेबल मैम्बर बजट पर बोल रहे थे लेकिन बजट से हटकर इन्होंने गुप्ता जी के ऊपर स्टेट–वे अस्पर्शन कास्ट करते हुए कोर्ट का हवाला दिया, जब कि यह एक फैक्ट है कि उनकी जमीन एक्वायर हुई है और कानून के मुताबिक जिनकी जमीन एक्वायर होती है उसको एक प्लाट मिलता है, यह सरकार की पालिसी है। श्री गुप्ता जी ने जो एक्सप्लेनेशन दिया है, इसके बाद कादयान साहब को चाहिए कि वे बजट पर बोलें। यदि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है तो आप दूसरे मैम्बर को काल करें।

श्री उपाध्यक्ष: कादयान साहब, मैं भी रिक्वैस्ट करता हूं कि आप बजट पर ही बोलें। (विघ्न)

श्री सतबीर सिंह कादयान: डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बजट पर ही बोलूगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब माननीय वित्त मंत्री जी बोलते हैं तो मुझे खिझाते हैं। (विघ्न)

श्री राजेन्द्र सिंह बिसला: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट आफ आर्डर है। अभी हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने अपनी पर्सनल एक्सप्लेनेशन दी है। हमारे भाई कादयान जी ने सुप्रीम कोर्ट के कागजात के बारे में बार–बार सदन में चर्चा की है। इन साथियों ने इस तरीके से सदन की गरिमा को चोट पहुचाई है। पता नहीं 10–20 साल पुराने कागजात ला कर क्यों सदन में बात उठाने लग जाते हैं? मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जिन सुप्रीम कोर्ट के पेपर्ज के बारे में ये कह रहे हैं, वे मैंने स्वयं पढ़े हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं वकील भी हूं। इस में एक लाईन तो क्या एक शब्द भी ऐसा नहीं है जो मांगे राम गुपता जी के खिलाफ हो। मैं कादयान जी से निवेदन करूंगा कि वे सदन की गरिका को ध्यान में रखें और डिबेट को इतने लोवर लैवल पर न लायें। श्री मांगे राम गुप्ता जी तो हमारे उन साथियों में से हैं, जिन्होंने प्रजातान्तिक परम्पराओं एवं मान्यताओं को हमेशा माना है और ये निहायत स्वच्छ छवि के ईमानदार नेता है। धन्यवाद।

श्री सतबीर सिंह कादयान: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथी ने फरमाया है कि जो एस.एल.पी. डिसमिस हुआ है, यह अढ़ाई लाईन का आर्डर है। (व्यवधान व शोर) खैर आपने यह मान ही लिखा है कि एक कमेटी बन जाएगी जिसमें विपक्ष के नेता भी होंगे। (शोर व व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बजट पर ही बोलें।

श्री सतबीर सिंह कादयान: उपाध्यक्ष महोदय, हमने बजट को पढ़ा है, उसमें कुछ भी नहीं पाया है। जहां इनको दो रूपये का फायदा होता है, उसकी फिगर तो इन्होंने दे दी और जहां फायदा नहीं हुआ हैं, उसकी फिगर नहीं दी है। उपाध्यक्ष जी, जो इन्होंने 920 करोड़ रूपए को अनुमानित बजट रखा है, वह बहुत ही कम है। इसमें सिर्फ 11 प्रतिशत वृद्धि है ओर फाइनैन्स मिनिस्टर साहब कहते है कि 15 प्रतिशत है। पहले वाला बजट 830 करोड़ रूपए का था लेकिन सरकार की इनकम्पीटैंसी की वजह से पूरा धन खर्च नहीं हुआ। उपाध्यक्ष महोदय बजट के अन्दर 11 प्रतिशत की वृद्धि है और इन्फलेशन की देश में रोज बढ़ौतरी हो रही है, वह 13.7 प्रतिशत है। (शोर व व्यवधान) यह टैलिविजन की स्टेटमैंअ है, उसके हिसाब से की कह रहा हूॅ। (शोर व व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, 10 प्रतिशत महंगाई हर साल देश में बढ़ जाती है क्योंकि खाद के रेट बढ़ते हैं, बिजली की दर बढ़ती है और मजदूरी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा, जनसंख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसके लिये बजट में कोई बात नहीं कही गई है और दूसरी तरफ ये कहते हैं कि हम कर रहित बजट लाये है? इसमें कोई शक नहीं है कि बजट तो कर रहित हैं लेकिन इन्होंने पहले ही कर लगा दिए हैं। बसों का किराया 500 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक बढ़ा दिया है। इसके अलावा खाद का रेट हमारे समय में 180 रूपये कट्टा था जो आ 405 रूपए है। बिजली का रेट चालीस प्रतिशत बढ़ाया है, इसकी डिटेल के बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा। सोडी यारन की चार सौ

फैक्टरियां हैं जिनमें धागा बनता है। जिसकी वजह से पंजाब के उद्योगपति पानीपत में आए। हामरी गवर्नमैंट के समय भी टैक्स लगाने की बात हुई थी। परन्तु चौ. देवीलाल जी ने लोगों की ग्रेवैंसिज को सुनते हुए इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाए थे।

श्री जय प्रकाश: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जो महंगाई की बातें कर रहे हैं, इनको अपना समय भी याद करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: गुप्ता जी, क्या आप अपनी सीट से बोल रहे हैं?

श्री जय प्रकाश: सौरी सर। ये क्या बात कर रहे हैं, उस समय घी का रेट 45 रूपये किलो था और अब 31 रूपये हो गया है।

श्री सतबीर सिंह कादयान: उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा, इन्होंने सोडी यारन (Sodhi Yarn) पर दो परसैन्ट से बढ़ाकर तीन परसैन्ट सेल्ज टैक्स कर दिया जब कि हमारी सरकार के समय में 65 आईटम्ज पर सेल्ज टैक्स कम किया गया था, कर को सरल किया गया था तथा व्यापारियों को राहत दी गयी थी लेकिन इस बजट में व्यापारियों को कोई भी सुविधा नहीं दी गयी है। इनका जो रैवेन्यू है, वह 2872 करोड़ रूपये है और नोन प्लान 1952 करोड़ रूपये का है तथा इन्होंने बजट में प्लान का खर्चा सिर्फ 920 करोड़ रूपये का ही दिखाया है जो सिर्फ साढ़े 32

परसैन्ट बनता है, और बाकी का सारा खर्चा इन्होंने ऐडमिनिस्ट्रेशन पर मन्त्रियों के भारी भरकम खर्चे पर दिखाया है। यह तो * * * * वाली बात है।

श्री ए.सी.चौधरी: उपाध्यक्ष महोदय, यह अन–पार्लियामैंटरी वर्ड है इसको रिकार्ड न किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: कादयान साहब के ये शब्द रिकार्ड न किये जाये।

श्री सतबीर सिंह कादयान: उपाध्यक्ष महोदय अविकास कार्यो पर 67.5 परसैन्ट खर्चा है। इसकी जो रेशो है, वह बढ़ती ही जा रही है। इन्होंने अपने बजट में इसको घटाने के प्रयास नहीं किये है, उसको कम करने के लिये कुछ नहीं किया। इनको बजट में जो सबसे जरूरी सुविधा हरियाणा प्रदेश में देनी है, वह हरियाणा प्रदेश के किसानों को देनी है, क्योंकि 80 परसैन्ट लोग खेती करते हैं। इन्होंने ऐग्रीकल्चर पर जो खर्चा किया है वह केवल 8.2 परसैन्ट ही किया है। बजट में इतना थोड़ा हिस्सा रखना न केवल उन विरोधी है बल्कि किसान विरोधी भी है क्योंकि ऐग्रीकल्चर के 70 इनपुटस हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जब खाद के बारे में कहूंगा। डी. ए.सी. खाद के रेट इनकी पार्टी को सरकार ने 180 रूपये से बढ़ा कर 405 रूपये तक पहुंचचा दिये। मुझे ताज्जुब होता है जब ये कहते हैं कि हमने हरियाणा के किसान को 55 रूपये प्रति थैले की

रियायत दी है जबकि इसकी एडवर्टाईजमैंअ पर ही इन्होंने 20 लाख रूपये खच्र कर दिये हैं। मैं आपके माध्यम से अपने काबिल मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अगर एक भी पैसा इन्होंने किसानों को सबसिडी के रूप में दिया हो तो यह बता दें। यह ठीक है कि केन्द्रीय सरकार ने 50 रूपये की सबसिडी किसानों को दी है, मैं इस बात से असहमत नहीं हूं लेकिन विदेशों से जो डी.ए.पी. फर्टिलाईजर आता है वह कांडला की बन्दरगाह ओर सूरत की बन्दरगाह से 250 रूपये प्रति थैले के हिसाब से आता है 160 और 170 डालर पर–मीट्रिक टन के भाव पर आता है। मैं ''इफको'' को चेयरमैन रहा हूं इसलिये मुझे इसके बारे में पता है जबकि मंत्री जी को इस बारे में कुछ नहीं पता है। उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार की खाद के बारे में जो पोलिसी है, वह किसानों को भरमाने वाली है क्योंकि वे यूरिया का रेट एक बार 112 रूपये से बढ़ाकर 153 रूपये करते हैं और फिर किसानों को लालच देते हैं, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी बहुजन समाज पार्टी के विधायक को लालच देते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह झूठी लोकप्रियता लेना चाहते हैं। खाद पर जो सबसिडी हमारी सरकार ने समय में थी, वह इनकी सरकार ने समय में अब नहीं रही। इन्होंने तो पता नहीं कहां से नकली सूरजमुखी का बीज खरीद लिया है। उपाध्यक्ष महोदय, सुरजमुखी का जो बीज खरीदा गया है, वह ठीक नहीं खरीदा गया है। एक–दो दिन में, मैं उसका सैम्पल भी ले आऊंगा। आप किसान हैं इसलिये आपके खेत में भिजववा दूंगा वरना घर पर चार–पांच पौधे जरूर लगवा दूंगा। वह बीज नकली

है। लोगों की मांग है कि माइको नम्बर आठ या माइको नम्बर सौलह का बीज हो। परन्तु ये दिव्या सूरजमुखी का बीज जो नया निकला है, ले आए हैं। यह बात झूठी नहीं हो सकती। फाइनैन्स मिनिस्टर व्यापारी हैं, वे व्यापर करते हैं। पानीपत में जो इनकी फैक्टरियां हैं, वह इनके दोस्तों की फैक्टरियां हैं मैं खूब जानता हूं और सब लोग जानते हैं अगर सब नहीं जानते तो कम से कम सतबीर सिंह कादयान जरूरी जानता है और हरियाणा की जनता को भी मैं इस बात को जरूर बताऊंगा। क्योंकि ये स्वयं एक्सपोर्ट करते हैं और प्रोडक्ट एक्सचेंज के द्वारा बीज विदेशों से लाते हैं, यह बीज इसलिये आया है।

डिप्टी स्पीकर महोदय, डीजल के रेटस बजट से पहले ही बढ़ते हैं। मशीनरी और खेती की पैदावार के रेटस पिछले साल के मुकाबले में घटे हैं बासमती की जीरी के रेट 1700–1800 रूपये क्विंटल थे लेकिन अब वह 600–700 क्विंटल पर रह गई है। व्यापारी आज किसानों के पैसे भी समय पर नहीं देते हैं वे राईस शैलर वालों से भी मिले हुए हैं। मार्किटिंग बोर्ड एक्ट में प्रोवीजन है कि उनको प्रताड़ित करो। आप झूठे केस तो बनवा सकते हैं, पर लोगों का सही पैसा नहीं दिलवा सकते। किसानों के लिये जहां तक गन्ने के भाव को सवाल है, मैं शुगरकेन कंट्रोल बोर्ड का पिछले दिनों मैम्बर था। पिछले दिनों शुगरकेन कंट्रोल बोर्ड की मीटिंग हुई ओर उस मीटिंग में, मैं भी हाजिर था। मैं किसानों का प्रतिनिधि था, मैं इत्तफाक से वहां चला गया था यह जानने के

लिये कि शायद वहां कोई अच्छी बात हो। वहां पर चीफ मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, को–आपरेटिव मिनिस्टर, आला अफसर, कमिशनर्ज ओर सैक्रेटरी आदि सारे मौजूद थे। दो अफसरों ने मुख्यमंत्री जी को कह दिया कि हमने गन्ने की इकोनौमी देख ली है, आप गन्ने का भाव एक रूपये बढ़ा दो। मुख्यमंत्री जी के मुहं में पानी आ गया ओर उन्होंने कहा कि ठीक है, ठीक है। उस समय मुख्यमंत्री जी वहां अन–आफिशियली बैठे हुए थे। मैंने कहा कि मैं किसानों का प्रतिनिधि हूं। मैं 60 रूपये क्विंटल के भाव से कम भाव पर नहीं मानता मैंने लोजिकली कहा कि 10 परसैन्ट एसकोलेशन होती है, हर मशीनरी की, हर कन्ट्रेक्ट की कीमतें बढ़ जाया करती हैं।

इसके अलावा आपने बिजली के रेट बढ़ाए, खाद के रेट बढ़ाए, डीजल के रेट बढ़ाए तो कम से कम गन्ने का साठ रूपये का भाव मिलना चाहिए लेकिन मेरी बात नहीं मानी। मैंने शूगर कन्ट्रोल बोर्ड से रिजाईन भी किया। मेरी डायसैटिग नोट भी नहीं लिखा यह ऐसी सरकार है। आज जो पानीपत, करनाल, भूना और रोहतक के शूगर मिल्ल्ज हैं, वे उत्तर प्रदेश के किसानों से गन्ना लेते है। शूगरकेन कंट्रोल बोर्ड के परिव्य से बाहर कोई मैनेजिंग डायरैक्टर या कमिशन नहीं जा सकता। मैं यह बात सरकार के बहरे कानों तक जयर पहुंचाऊंगा कि हमारे यहां के किसानों को गन्ना न लेकर यू.पी. के किसानों का गन्ना 70 रूपये प्रति क्विंटल तक खरीदा है। शूगर मिल और को–आपरेटिव सैक्टर स्टेट लैवल

के ईशू है। जब किसानों को नुक्सान पहुंचाने का मामला आता है तो हमारी ट्रेजरी बैंचिज से मंत्री महोदया कहती हैं कि जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं, वे भी हमारे भाई हैं। जरूर भाई हैं परन्तु पहले हमें अपने हरियाणा के किसानों को अच्छा भाव देना है गन्ने के जो शूगर मिल्ज को–आपरेटिव सैक्टर में या प्राईवेट सैक्टर में हैं, उनमें से आधे से ज्यादा अगले साल बन्द हो जाएंगे। वे नहीं चलैंगे क्योंकि लोगों ने गन्ना बोना छोड़ दिया है। 20 करोड़ रूपये की पेमेन्ट आज किसानों की मिलों की तरफ डयू है परन्तु बजट के अन्दर कहीं भी शूगर मिलों को सबसिडी देने की बात नहीं की गई। उन में लगातार घाटा चल रहा है। सरकार ने उनके घाटे को कम करने के लिये या उनको अच्छी तरह से चलाने के लिये इस बजट में कोई ग्रान्ट देने का प्रोवीजजन नहीं किया है। ये लोग जो को–आप्रेटिव अदायरों में मिल्जज लगी हुई हैं, उनको बन्द कराने के चक्कर में हैं। जय प्रकाश गुप्ता जी तो शायद यह भी सोच रहे होंगे कि कब यह मिलें बन्द हों और कब यह उनको खरीदें। हो सकता है कि इनकी निगाह पानीपत शूगर मिल पर लगी हुई है। और यह उसको खरीदना चाहते हो। (घंटी) डिप्टी स्पीकर साहब, अभी तो मुझे काफी बोलना है।

13.00 बजे

इसके अलावा मार्किटिंग बोर्ड द्वारा सड़कों का काम किसानों के हित में होना चाहिये लेकिन जो सड़कें बनायी जा रही हैं, वे शहरों में ही बनायी जा रही है। मार्किटिंग बोर्ड संस्थान

किसान के नाम से है, लेकिन उसमें ऊपर से नीचे तक व्यापारी लोग भरे हुए हैं। चेयरमैन भी व्यापारी लोग है। पदाधिकारी तक व्यापारी है। तो ये किसान के हित की बात कैसे करेंगे। हो सकात है कांग्रेस में किसानों की कमी हो परन्तु कुछ तो किसान भाई उसमें भी होंगे। उनको चेयरमैन बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। बोर्ड द्वारा जो सउ़क बनायी जा रही है, वे सड़कें गांव की सड़कें न होकर या किसानों के फायदे के लिये सड़कें न होकर, केवल शहरों की सुख सुविधा के लिये बनायी जा रही हैं। अगर आपने शहरों के लिये सड़कें बनानी हैं तो इसके लिये बजट में प्रोवीजन रखना चाहिए। ताकि शहरों में भी कुछ सड़कें बनायी जा सकें।

श्री जय प्रकाश: आन ए प्वायंट आफर आर्डर, सर। डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय सदस्य शहर में मार्किटिंग बोर्ड द्वारा बनायी गयीी सड़कों की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं। इन्होंने अपने चार साल के कार्यकाल में कही पर भी एक ईन्च सड़क नहीं बनायी। आज देहातों औरा शहरों में सड़कें बनते देखकर इनके पेट में दर्द हो रहा है। सारे हरियाणा में डिवेल्पमैट के काम हो रहे हैं लेकिन इनके पेट में दर्द हो रहा है कि यह काम क्यों हो रहे हैं? व्यापारी की या नान–व्यापारी की इसमें कोई बात नहीं है। यह सरकार किसान के हित में काम कर रही है और मार्किटिंग बोर्ड भी उनके हित के लिये काम कर रहा है। इनके पेट में तो बेकार में ही दद्र हो रहा है।

श्री उपाध्यक्षः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री सतबीर सिंह कादयानः मेरे साथी को इसलिये तकलीफ हो रही है कि वे खुद मार्किटिंग बोर्ड के चेयरमैन हैं। (व्यवधान व शोर)

श्री अमीर चन्द मक्कडः डिप्टी स्पीकर साहब, हमारे माननीय साथी यहां पर व्यापारियों और किसानों की बात कहकर, अपने नेता की शिक्षा पर चलकर, देहातों और शहरों में फर्क डालना चाहते हैं। इनको इस बात का पता नहीं है कि किसान जब शहर से गुजरेगा तभी वह मंडी में अपना माल लायेगा। अगर वह सड़कें ठीक नहीं होगी जिन के ऊपर से उसने गुजरना है, तो वह कैसे माल ला सकेगा अगर मंडी बोर्ड उन सड़कों को बनाता है जो मंडी को उनके गांवों की लिंक रोडज के साथ जोड़ी हैं तो इसमें क्या हर्ज हैं? इसलिये मेरा कहना यह है कि ऐसी सड़कें जरूर बननी चाहियें जिससे किसानों को फायददा हो सके।

श्री सतबीर सिंह कादयानः डिप्टी स्पीकर महोदय, माननीय साथी के एक सवाल के जवाब में यहां पर बताया गया है कि मार्किटिंग बोर्ड गांवों की सड़कें बनाता है और जो शहर के मुर्दघाट को सड़कें जाती हैं, कई जगह पर वे सड़कें भी मार्किटिंग बोर्ड द्वारा बनायी गयी हैं। इस बात का श्रय आप कस हासिल करना चाहते हो कि यह किसान के हित के लिये काम कर रहा है जबकि वह मुर्दघाट की सड़कें भी बना रहा है वह तो शहर के

आदमियों के लिये वहां तक जाने के लिये हैं। यह बात हमें तब समझ आती जब ये सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. महकमा बना कर देता। अब आापके सामने चुनौती के यप में नरवाना का उप–चुनाव आ गया है। वहां पर आपको पता चलेगा कि कितनी सड़कें आपने बनायी है। (व्यवधान व शोर) .... कनको मेरे बोलने से क्या तकलीफ है? मेरे हल्के में चमराड़ा से पुठर तक की सडत्रक बननी थी, उसके लिये टैंडर हो चुके थे। लेकिन मौजूदा सरकार ने उस पर काम इसलिये रोक दिया कि वहां का विधायक विपक्ष का है। उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने कितनी ही सड़कों का काम भेद भाव के कारण हरियाणा प्रदेश में रोका है। सरकार एक कंटीन्यूस प्रोसैस होता है। सरकार बदलती रहती हैं लेकिन उसकी पोलिसी नहीं बदलती।

श्री हरि सिंह नलवाः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी कहा कि भेदभाव से मार्किटिंग बोर्ड सड़कें बनवाता है। मैं इनसे कहना चाहता हूं कि पिछली टर्न में जब आपकी सरकार थी और यह बोर्ड आपके इशारे पर नाचता था, उस वक्त की एक सड़क का मैं जिक्र करना चाहता हूं वह सड़क इनके गांव सिवाह से ढढोला होरक यू.पी. की सड़क ससे मिलती है। उस सड़क को ये अपपने खेतों तक लाए ओर जो पब्लिक के मुफाद की बात थी, यानी यू.पी. से उसको लिंक करना था, वह छोड़ दी। जब हमारी सरकार आई तो मैं मार्किटिंग बोर्ड के चेयरमैन से मिला और इनके गांव से लेकर यू.पी. की सड़क तक दो मिनट में सड़क मन्जूर करवा ली और अब वह सड़क बन गई है। उपाध्यक्ष महोदय,

इनका गांव सिवाह है और वहां से ढढोला गांव तक सड़क मन्जूर की गई है यह सड़क मार्किटिंग बोर्ड के चेयरमैन ने मन्जूर की हैं और इस पर कन्स्ट्रक्शन का काम भी शुरू किया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपने पोलिटिकल कैरियर के पच्चीस साल में इतना काम होते हुए कभी नहीं देखा। मेरे हलके से इनके हल्के को लिंक करने के लिये डेढ़ करोड़ रूपए की सड़क मन्जूर की गई है।

श्री सतबीर सिंह कादयान: सपीकर साहब, जो इन्होंने कहा है, वह गल्त है। मैं बताना चाहता हूं कि सिवाह से रिसालू की सड़क मार्किटिंग बोर्ड ने नहीं बनवाई है। वह सड़क तो पी. डब्ल्यू.डी. ने बनवाई थी। (व्यवधान व शोर)

उपाध्यक्ष महोदय, अब मैं सिंचाई विभाग के बारे में कहना चाहता हूं। सिंचाई विभाग के लिये 16.2 प्रतिशत पैसा बजट का रखा गया है। यह बहुत कम पैसा है। इतने थोड़े से बजट से प्रदेश का किसान पूरी तरह से सिंचाई की सुविधा नहीं ले सकेगा। एस.वाई.एल. के लिए बीस करोड़ यपये का प्रोवीजन किया गया है। बीस करोड़ के बजट में साढत्रे पन्द्रहह करोड़ रूपया नौन–प्लान के लिये है, जो इस नहर पर खर्च होना है। मतलब यह है कि नोन–प्लान का खर्चा अफसरों की तनखाहों पर खर्च होना है ओर बाकी साढ़े चार करोड़ रूपया 'अदर' पर खर्च होना है। इसमें साफ खोला नहीं गया कि वह साढ़े चार करोड़ रूपया कहा पर खर्च किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का

ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले साल एक पैसे का काम एस. वाई.एल. नहर पर नही किया गया। केवल जनता को गुमराह किया गया। हरियाणा विधान सभा के अन्दर यह कहा गया कि छः महीने के अन्दर पानी ला दैंगे लेकिन यह सरकार एक बूंद भी पानी नहीं लाा सकी क्योंकि इस तरह इनका ध्यान नहीं है। हमारी सरकार पंजाब की सरकार से घबराती है कि सरकार बेअन्त सिंह क्या सोचते हैं और किस तरह से जलेबी खिलाते हैं इनको इस बात की चिन्ता है और यह सरकार एक बूंद भी पानी नहीं ला सकी। उन्होंने एक और इशू खड़ा कर दिया और वह इशू है यमुना वाटर का। वे कहते हैं कि यमुना में हमारा हिस्सा है।

सिंचाई मंत्री (चौ. जगदीश नेहरा): आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर' उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने एस.वाई.एल. का जिक्र किया और यमुना के वाटर के बारे भी जिक्र किया। मैं इस बारे में पहले भी जिक्र कर चुका हूं, मैं दुहराऊंगा नहीं। फिर भी मैं यह कहूंगा कि इन्होंने सरदार बेअंत सिंह का जिक्र किया कि वे इस नहर को बनने नहीं देना चाहते। उपाध्यक्ष महोदय, आज का पंजाब केसरी अखबार है, आप उसमें देंखे। उन्होंने कहा है और यह बिल्कुल स्पश्ट है कि सम्पर्क नहर तो बननी ही चाहिए। इससे पहले भी उन्होंने कहा है कि एस.वाई.एल. नहर बननी ही चाहिए और हरियाणा को उसके हिस्से का पानी मिलना ही चाहिए लेकिन ये लोग यहां पर गल्त बातें करके माहौल को खराब ककर रहे हैं। हम पंजाब और हरियाणा का सारा मसला बातचीत के जरिये ही

हलल करने के इच्छुक हैं। आपसी भाई–चारे से हल हो जाए लेकिन जिस तरीके से सरदार बेअन्त सिंह जी ने पंजाब विधान सभा में हरियाणा के बारे में ब्यान दिया है, उसके लिये हम उनको मुबारिकबाद देते हैं। हम इसके लिये पंजाब सरकार के आभारी है।

श्री उपाध्यक्ष: मैम्बर साहेबान, जो ब्यान सरदार बेअन्त सिंह जी ने पंजाब असैम्बली में दिया है, उसकी रिपोर्ट सभी अखबारों में आयी है।

श्री अमर सिंह: डिप्टी स्पीकर साहब, अगर इसी तरह से रूलिंग पार्टी की ओर से मैम्बर्ज इंटरफीयर करते रहे ताो हमारे मैम्बर्ज कैसे बोल सकेंगे? हर मंत्री को उत्तर देने का मौका मिलेगा। जब भी इधर के किसी मैम्बर को बोलने का सममय आप देते हैं तो ये लोग बीच में उठकर खड़े हो जाते हैं ओर अपने आपको इस तरह से पोज करने लगते हैं जैसे वे एज ए मिनिस्टर उत्तर दे रहे हों। कभी कोई मंत्री जवाब देना शुरू कर देता है तो कभी कोई जवाब देना शुय कर देता है। वित्त मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं, उनको ही जवाब देना है लेकिन इनकाा बीच में इस तरह से हर बार इंटरफीयर करना उचित नहीं है।

श्री सतबीर सिंह कादयान: डिप्टी स्पीकर साहब, अभी नेहरा साहब ने अखबार से पढ़कर सुनाया और कहा कि ''फिर भी'' मैं कहना चाहता हूं कि फिर भी की इंटरप्रेटेशन बहुत बड़ी होती है। उन्होंने कहा है कि एस.वाई.एल. का पानी हम देंगे

लेकिन कंडीशनली उन्होंने कहा है। हम तो चाहते हैं कि हमारे हरियाणा के हिस्से का पूरा पानी मिले।

इसी तरह से अब मैं, डिप्टी स्पीकर साहब, एम.बी.के. लिंक कैनाल के बारे में कहूंगा जोकि भाखड़ा मेन लाईन और डब्ल्यू.जे.सी. को जोड़ती है। उसकी पानी की कैपेसिटी 3700 क्यूसिक की है लेकिन उसमें पानी सिर्फ चलता है 1500 क्यूसिक। 2200 क्यूसिक पानी इसलिये कम चलता है क्योंकि उस नहर की सफाई नहीं हुई है और अगर उसमें कैपेसिटी से ज्यादा पानी छोड़ा जाएगा तो उसके किनारे टूट जाएंगे। इसी कारण आज किसी भी टेल पर पानी नहीं पहुंच पाता है। पलड़ी, भटावला और उठनवाली गांव की टेलों तक पानी नहीं पहुंचता है लेकिन ठेकेदारों से मिलकर नाजायज तरीके से सफाई के बिल अवश्य बनाये जा रहे हैं। इस तरह से नहर की सफाई की बजाये सरकारी खजाने की सफाई अवश्य हुई है। (घंटी)

इसके अलावा पावर के बारे में बजट स्पीच में इन्होंने 39 परसैन्ट लीकेज का जिक्र किया है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि लाईन लौसिज 10 परसैन्ट से ज्यादा नहीं हो सकते बाकी की बिजली चोरी होती है जिसकी वजह से बिजली बोर्ड को 700 करोड़ का घाटा हुआ है। इस साल 300 करोड़ रूपये का घाटा रहा है। यह घाटा क्यों हुआ? इन्होंने 40 परसन्ट ऐग्रीकल्चर, डोमैस्टिक, टयूबवैल्ज के रेटस बढ़ा दिये हैं, फिर घाटा कहां से हो गया? सारे देश की बिजली की एवरेज दर निकाली जाए तो

पता चलेगा कि किसानों को 43 पैसे पर यूनिटस के हिसाब से बिजली दी जाती है लेकिन हरियाणा के अन्दर 50 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से चार्ज किया जाता है जबकि पंजाब के अन्दर 30 पैसे पर यूनिट के हिसाब से किसानों से चार्ज किया जाता है। हरियाणा में इतनी मंहगी बिजली होने के कारण घाटा नहीं होना चाहिए।

अब मैं पानीपत थर्मल प्लांट के बारे में कहना चाहूंगा। वहां पर प्लांट की वजह से प्रदूशण बहुत है। खुखराना, सुताना, आसन और दूसरे आसपास के गांवों के लोग प्रदूशण से बहुत तंग हैं। वैसे देखने में लोगों को चमचमाती बिजली तो अवश्य मिलती है लेकिन प्रदूशित वातावरण के कारण वहां के हालात बहुत खराब हैं। उस प्रदूशण की राख लोगों की चारपाईयों पर मिलती है। उनके नाक में चली जाती है और आज भी काफी लोग दमें के शिकार हैं। जो ट्रीटमैंट प्लांट लगना था, वह लगा नहीं क्योंकि सरकार के पास धन नहीं है। (घंटी)

श्री उपाध्यक्ष: कादयान साहब, अब आप बैठिये, आपका टाईम हो चुका है।

श्री सतबीर सिंह कादयान: उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी देर में समाप्त करता हूं। जिन किसानरों की इस थर्मल प्लाट में जमीन गई है, उनको नौकरियां नहीं दी जा रही हैं और सिफारिशी आदमियौं को भरती किया जा रहा है जो बहुत गलत

बात है। बिजली की जो चोरी है, वह चीफ मिनिस्टर के रिश्तेदारों की ऐसोशिएटिड डिस्टलरी की वजह से होती है यानी वहां पर बिजली की चोरी होती है।

श्री उपाध्यक्ष: कादयान जी, आप बैठिए। अब आपकी कोई भी बात रिकार्ड नहीं की जाएगी।

श्री सतबीर सिंह कादयान: * * * *

मुख्य मंत्री (चौ. भजन लाल): उपाध्यक्ष महोदय, अगर कादियान साहब पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहें तो इनको पांच मिनट का समय और दे दें। कादयान साहब, क्या आप पांच मिनट में अपनी बात कह लेंगे?

श्री सतबीर सिंह कादयान: पांच मिनट में तो नहीं, 10 मिनट में कह लूंगा।

चौ. भजन लाल: ठीक है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारी आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि इनको बोलने के लिए 10 मिनट का और टाईम दे दें।

श्री उपाध्यक्ष: ठीक है।

श्री सतबीर सिंह कादयान: डिप्टी स्पीकर, यदि आप एक्साईज के डैटा को देखें तो 1992–93 और 1993–94 में एक्साईज में जो वृद्धि है, हव 1991–92 की बजाये 1992–93 में 20 प्रतिशत है और 1993–94 में भी 20 प्रतिशत है। उसके अलावा

लीकर का कोटा भी बढ़ाया गया है और सरकार की मंशा शराब का रेट बढ़ाने की भी है। यदि एक्साईज कम बढ़ा तो उसका सीधा असर सरकार की आमदन पर पड़ता है, सरकार के स्त्रोतों पर पड़ता है। इसी तरह से जो टैक्स की आमदन है, उसमें भी 1991–92 की बजाये 1992–93 में 15 प्रतिशत की वृद्धि है ओर 1993–94 में केवल 10 प्रतिशत है। सेल्ज टैक्स में क्या उद्योगपतियों का हिस्सा नहीं है? सरकार को हमेशा किसानों से टैक्स की ज्यादा आमदन हुई है। अगर सरकार को उद्योगपतियों से ज्यादा टैक्स इक्ट्ठा करना है तो सरकार को अपनी मशीनरी सख्त करनी होगी। सरकार अपनी सरकारी मशीनरी को सख्त नहीं करती क्योंकि सरकार अपने औफिसर्ज से पैसा लेकर उनको उसके मनचाहे स्टेशंजपर पोस्टिंग करती है। ऐसे औफिसर्ज प्रदेश के हित में क्या काम करेंगे, वे तो अपनी निजी हित में काम करते हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, इसके अलावा, मैं एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने शराब के ठेकों की नीलामी के बारे में ग्रुप सिस्टम प्रणाली शुरू करने के लिए कहा था ओर वह अब शुरू हो गई है। कल इन्होंने शराब के ठेकों की नीलामी शुरू की है। इनसे अम्बाला में शराब के ठेकों की नीलामी नहीं हो पाई। यह सरकार लोगों की भावनाओं को नहीं समझती। आज लोग शराब से छुटकारा पाना चाहते हैं। सरकार को चाहिए कि कुरूक्षेत्र और पानीत जो ऐतिहासिक जिले हैं, उनमें प्रोहिबिशन लागू करे। जिन पंचायतों ने उनके यहां ठेके बन्द करने के बारे में रैजोल्यूशंज पास करके भेजे हैं, उनको सरकार अप्रूव करे और

वहां पर शराब के ठेके न खोले। यह बात मेरे नोटिस में भी आई है और मंत्री जी ने ब्यान भी दिया है कि सरकार ने 230 गांवों के रैजोल्यूशन मंजूर किए हैं कि उन गांव में सरकार शराब के ठेके नहीं खोलेगी, लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, सरकार उन गांवों की बजाय जब उनके साथ गांवों में शराब के ठेके खोलेगी तो नैचुरली उन गांवों के लोग भी शराब पीएंगे। अगर सरकार की मंशा है और लोगों की भावनाओं को समझती है तो सरकार को शराब के ठेके घटाने पड़ेंगे।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात हुड्डा के प्लाटों के बारे में कहना चाहूंगा। चीफ मिनिस्टर साहब, हुड्डा के प्लाट उन औफिसर्ज को अलाट करके खुश करते हैं जो औफिसर्ज इनके खिलाफ इन्कवायरी करते हैं। इन्होंने डी.आई.जी., डी.जी. और एस.पी. को हुड्डा के प्लाट दिए हैं। डिप्टी स्पीकर साहब, मुझे एक बात की नाराजगी है कि जब से मैं दोबारा एम.एल.ए. बना हूं, मैं एक ही क्वैश्चन देता हूं कि किस मुंत्रित्वकाल में डिस्क्रिशनरी कोटे के कितने प्लाट दिए गए। वह क्वैश्चन हर बार डिसअलाऊ हो जाता है। मैं और कोई क्वैश्चन नहीं देता। मैं इस बारे में लिस्ट चाहता हूं लेकिन मुझे उसकी कोई लिस्ट नहीं दी जाती। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपकी अथोरिटी को चैलेंज नहीं करता। हमारी सरकार के समय में भी 180 आदमियों को डिस्क्रिशनरी कोटे से प्लाट दिए गए थें उसमें जजिज, एम.एल.एज. बड़े–बड़े औफिसर्ज और जरूरतमंद लोग शामिल थे। उपाध्यक्ष

महोदय, आज डिस्क्रिशनरी कोर्ट के प्लाट एक बिजनैस बन गया है। एक पेशा बन गया है। ग्रीन बैल्ट में प्लाट काटे जाते हैं। पंचकुला के सैक्टर 6 में 323 बी, सी, डी उनमें प्लाट काटे गए है।

चौ. भजन लाल: उपाध्यक्ष महोदय, ग्रीन बैल्ट में यदि हमने एक भी प्लाट काटा है तो ये बता दें। वे हमें जो भी सजा देंगे, वह हम भुगत लेंगे। ग्रीन बैल्ट में प्लाट काटने की बात आपके जमाने की है। यदि मैं आपके जमाने की बात उखेडूंगा तो यहा फिर हंगामा खड़ा हो जाएगा। यदि एक भी आदमी कह दे कि उससे पैसा लेकर डिस्क्रिशनरी कोटे से प्लाट दिया गया है, तो मैं आज ही इस्तीफा देकर अपने घर चला जाऊंगा। (शोर)

श्री सतबीर सिंह कादयान: इन्होंने यह भी कहा था कि हम प्रदेश में बड़ी मात्रा में उद्योग लगाएंगे और लोगों को रोजगार देंगे। इनकी तरफ से उद्योग कुंज की स्थापना के तहत एक–एक ब्लाक से पांच–पांच इस काम के लिए लिए गए थे जिसके तहत वहां की पंचायत से दो–दो एकड़ जमीन ली गई लेकिन आज तक वहां पर मिनी विकास केन्द्र के नाम से कोई विकास नहीं हुआ। जो बजट पेश किया गया है, उससे हरियाणा की जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है।

डिप्टी स्पीकर साहब, आज के दिन हमारी जो पब्लिक अन्डरटेकिग्ज हैं, उनमें बड़ा भारी घाटा हो रहा है। मैं सदन की

जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जब मैं इफ्कों का चेयरमैन लगा था तो उस साल 17.61 करोड़ रूपये का लाभ हुआ था। उससे अगले साल 101 करोड़ रूपये का लाभ हुआ और उससे अगले साल 108 करोड़ रूपये का प्रोफिट हुआ। उसके बाद का मुझे पता नहीं कि इफ्को में कितना प्रोफिट हुआ है। हरियाणा की जो पब्लिक अंडरटेकिंग्ज हैं, उनमें लौस होने का कारण यह है कि इन कारपोरेशंज के जो चेयरमैन लगाए जाते हैं, उनको पूरी पावर्ज नहीं दी जाती और जो आफिसर्ज लगाये जाते हैं, वे अपनी पावर का मिसयूज करते हैं। वे अपनी मर्जी से सरकार के धन का दुरूपयोग करते हैं। इस वजह से इन कारपोरेशंज में फायदा नहीं होता। हमारे मुख्यमंत्री जी और एक्साईज एण्ड टैक्सेशन मिनिस्टर भी बाहर देशों में घूम कर आये थे और आकर कहा था कि यहां पर एन.आई.आर. की तरफ से उद्योग लगाए जाएंगे लेकिन आज तक किसी एन.आई.आर. ने कोई उद्योग लगाने की पेशकश नहीं की। उसका कारण यह है कि उनको पूरी बिजली नहीं मिलेगी और उसके द्वारा अपने कागज पूरे करवाने के लिए एच.एफ.सी. को 3 परसैंट कमीशन देना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि पानी में जो एच.एफ.सी. का आफिस है, उसमें 3 लाख रूपये का गबन है। वे चैक काट कर ले गए। (विघ्न) उन मुलाजिम को जो पानीपत में था, जिसने यह गड़बड़ की थी, उसको तो ईनाम देकर कहीं दूसरी जगह पर बदल दिया गया होगा। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से रिकी और हीरो हाण्डा जो एच.एस.आई.डी.सी. में सबसिडी यूनिटस थे और जिनमें

एच.आई.डी.सी. का शेयर था, उसमें से सरकार ने अपना हिस्सा वापस ले लिया, जिससे हरियाणा प्रदेश को 1 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ। इसको मैं दूसरे शब्दों में सीधा गबन मानता हूं। यह फैसला चीफ मिनिस्टर की अध्यक्षता में लिया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से भिवानी सिन्थैटिक और यूनाइटिड फार्म में भी बहुत हेरा–फेरी हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय, पोल्यूशन बोर्ड के चेयरमैन मि.आर.ए. गोयल बड़े काबिल व्यक्ति हैं और इनको चौ. देवी लाल जी ने लगाया था। वे कलम के भी बड़े धनी है। उनको इसलिए हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के दामाद की जो एसोसिएटिड डिस्टिलिरी है, उसके बारे में लिख दिया था कि इस डिस्टिलिरी में एफलुएंट प्लांट नहीं लगाया गया है। उनको इन्होंने इसलिए हटा दिया कि वह क्वालिफिकेशन पूरी नहीं करता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि गोयल साहब की जगह पर जो नए चेयरमैन मिन.एस.पी. ग्रोयर लगाए गए थे, वे मि. गोयल से काफी जूनियर हैं जबकि गोयल साहब, वकील भी हैं, और चीफ इंजीनियर भी हैं। उनको सरकार ने दुर्भावना की नीति के तहत ही हटाया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब इन कारपोरेशंज में इस तरह के जूनियर आफिसर्ज लगाएंगे, तो फिर वे कैसे प्रदेश का भला कर पाएंगे?

डिप्टी स्पीकर साहब, अब मैं शिक्षा के बारे में सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। अभी 28 तारीख को मोती लाल

नेहरू स्पोर्टस स्कूल, राई में पेपर्ज हुए थे। उनमें भारी मात्रा में मास–कोपिंग हुई है। उस स्कूल के प्रिंसिपल और अध्यापकों ने अपने बच्चों को खूब नकल करवाई है। यह सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि वहां पर मेरा भतीजा भी पेपर देने गया था। इन बात को मैं शिक्षा मंत्री के नोटिस में भी लाया हूं। सरकार ने पीछे बड़ा शोर मचाया था कि हम नकल रोकने के लिए एक विधेयक ला रहे हैं। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि वे नकल रोकने संबंधी बिल क्यों नहीं सैशन में ला रहे हैं? हम भी आपके इस बिल का समर्थन करते हैं, आप लाएं तो सही। डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से सरकार के नोटिस में लाना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कोई नया स्कूल नहीं खोला जा रहा। 12वीं कक्षा के जो प्राईवेट विद्यार्थी थे, उनके रोल नम्बरों के लिए भिवानी में ऐजुकेशन बोर्ड में धक्का–मुक्की हुई। सरकार के पास इस बारे में सी.आई.डी. की रिपोर्ट पता नहीं है या नहीं है, लेकिन मेरी रिपोर्ट यह हैं कि बच्चों को रोल नम्बर नहीं दिये गये और उनका एक साल खराब हो गया।

श्री उपाध्यक्षः आप का टाईम खत्म हो गया है इसलिए अब आप अपनी बात को खत्म कीजिए।

चौ. सतबीर सिंह कादयानः डिप्टी स्पीकर साहब, मैं दो मिनअ में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। (विघ्न) बुढ़ापा पैंशन के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस पोलिीटिक्लाईज किया जा

रहा है। हमारी पार्टी के लोगों को बुढ़ापा पैंशन नहीं दी जा रही है। बुढ़ापा पैंशन देने के लिए उम्र 65 साल से घटा कर 60 साल की गई लेकिन इससे पैंशन वालों कीर संख्या बढ़ने की बजाय घटकर 2 लाख रह गई है।

श्री उपाध्यक्ष: कादयान साहब, आपका टाईम खत्म हो गया है इसलिए अब आप अपनी सीट पर बैठिये। Now the House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow, the 4th March, 1993.

***13.30 P.M.**

(The Sabha then *adjourned till 9.30 A.M. on Thursday, the 4th March, 1993.)